RNI : UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894

लोकमंगल की त्रैमासिक शोध पत्रिका

सुमंगलम् प्रभा

SUMANGALAM PRABHA

A Multidisciplinary Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal

Vol- 17 | No.- II | Issue- 66 | July-Sep. 2026

Impact Factor : 3.006 (I2OR)

संपादक

राजकुमार
सचिव,
सुगंगलम सेवा साधना संस्थान,
लखनऊ,उ0प्र0

प्रबंध संपादक

डॉ. हरनाम सिंह
असि. प्रोफेसर–अर्थशास्त्र,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उ0प्र0

सह संपादक

डॉ. राघवेन्द्र प्रताप सिंह
असि.प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र,
बाबू अमर बहादुर सिंह विधि महाविद्यालय,
कुण्डा प्रतापगढ़, उ0प्र0

प्रकाशक

सुमंगलम्
सेवा साधना संस्थान
5 नवीन मार्केट, कैसरबाग लखनऊ, उ0प्र0

संरक्षक

- प्रो. के.एन. सिंह
 मा.कुलपति, दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार।
- प्रो. के.पी. सिंह
 मा.कुलपति, पं. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर, उ0प्र0।
- प्रो. प्रभा शंकर शुक्ल
 पूर्व कुलपति, नार्थहिल इर्स्टन विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय।
- प्रो. योगेन्द्र सिंह
 मा.पूर्व कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, उ0प्र0।
- डॉ. अमित यादव
 निदेशक, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नईदिल्ली।
- श्री मनोजकान्त मिश्र
 निदेशक, राष्ट्रधर्म प्रकाशन, लखनऊ।

संपादक मण्डल

- डॉ. किरण लता डंगवाल
 प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र.।
- डॉ. अमित कुमार द्विवेदी प्रोफेसर एवं निदेशक,
 सरकारी परियोजना विभाग, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, गांधीनगर, गुजरात।
- प्रो. अनूप कुमार सिंह
 व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग, वाणिज्य संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ,उ.प्र.।
- प्रो. सन्तोष कुमार गुप्त
 अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, श्री मु.म.टा.स्ना.महाविद्यालय, बलिया,उ.प्र.।
- डॉ. विनोद कुमार
 प्राचार्य, संघटक राजकीय महाविद्यालय, हसनपुर अमरोहा।
- डॉ. जयन्त उपाध्याय
 अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, म.गा.अ.हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, म0प्र0।
- डॉ. निरंजन कुमार यादव
 हिन्दी, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर ।
- डॉ. ओम प्रकाश सिंह
 राजनीतिशास्त्र विभाग, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
- डॉ. राजीव कुमार श्रीवास्तव
 समाजशास्त्र, श्री सुदिष्टबाबा स्ना.महाविद्यालय, रानीगंज, बलिया ।

Contact us :

ed.sumangalamprabha@gmail.com,
8299565646, 9415009252, 7379727999
www.sumangalam.org

RNI : UPHIN/2009/31180 ISSN: 2250-1894

लोकमंगल की त्रैमासिक शोध पत्रिका

सुमंगलम् प्रभा

SUMANGALAM PRABHA

A Multidisciplinary Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal

Impact Factor : 3.006 (I2OR)

समीक्षक सदस्य एवं अकादमिक मण्डल

PEER REVIEW MEMBERS & ACADEMIC BOARD

शैक्षणिक परामर्शदाता / Academic Advisors

Prof. Pradeep Rao, Registrar, Mahayogi Gorakhnath University, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
Prof. Yogendra Pratap Singh, Director, Govind Ballabh Pant Social Science Institute, Prayagraj, Uttar Pradesh.
Prof. (Dr.) Punit Kumar Dwivedi, Group Director, Oxford International College & Indore International College, Indore, M.P.
Prof. Durgesh Chaudhary, Department of Religion and Philosophy, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh.
Prof. Sabhajeet Yadav, Former Director, NTPC Campus, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, Uttar Pradesh.
Dr. Parmendra Singh, Deputy Director General, Uttar Pradesh Council of Agricultural Research, Lucknow, Uttar Pradesh.
Dr. Rajkumar Chaubey, Department of Philosophy at St. Columba's College, Jharkhand, Bihar.
Dr. Rekha Tripathi, Regional Director, Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Kanpur, Uttar Pradesh.

समीक्षक अकादमिक मण्डल / Referred Reviewer Acadmic Board

Prof. Lavkush Mishra, Professor Institute of Tourism and Hotel Management Dr Bhimrao Ambedkar University, Agra
Prof. Ravindra Pratap Singh, Senior Professor of English Department of English and Modern European Languages University of Lucknow
Prof. Amod Kumar Rai, Professor Dept of English, Pn. Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur.
Prof. Ashok Kumar Singh, Head, Department of Soil Science & Agricultural Chemistry, Shri M.M.T. Post Graduate College, Ballia
Prof. Savita Bhardwaj, Ex. Principal, (Philosophy) Govt.Girl's P.G. College, Ghazipur.
Prof. Baikunth Nath Pandey, Principal,(Genetics and Plant Breeding) Satish Chandra College, Ballia,
Prof. Dharmendra Singh, Department of Agriculcher, SMTD College, Ballia.
Dr P.S.V. Balaji Rao, Professor & Head, Vidyavardhaka college of Engineering, Mysore
Dr. Ambrish Singh, Assistant Professor (Management) Rajkiya Engineering College Azamgarh.
Dr. Amarjit Yadav, Assistant professor and co-ordinator, Faculty of Yoga and Alternative Medicine, University of Lucknow
Dr Shreeprakash Tiwari, Assistant Professor, Kashi Naresh University, Bhadohi, U.P.
Dr. Amit Kumar Srivastava, Assistant Professor Shivaji College, Delhi University, Delhi.
Dr. Ashwani Kumar Yadav, Assistant professor(History) Sivaji College, Delhi University, Delhi.
Dr. Atul Tripathi, Assistant professor, Philosophy, BABS Law College, Kunda, Pratapghar.U.P.

Legal Advisor Shri Anil Kumar Chaubey, Advocate, Lucknow

Indexing / Abstracting

सुमंगलम् प्रभा को विभिन्न शैक्षणिक एवं शोध–संबंधी Indexing / Abstracting Databases में सूचीबद्ध करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

Academic search complete- EBSCO host
Internet Alert
Open Access Resources PSOAR
Indian Journal.com online version
IJOSR

The open Access digital Library
Directory of open Access Journals
PDF Search Engine
Electronic Jounals
www.i2or.com

Research Gate
Google
ORCID
Indian Citation Index
Research Hib

स्वामी प्रकाशक व मुद्रक– राजकुमार, द्वारा प्रिंट आफसेट, 33–कैन्ट रोड, लखनऊ से मुद्रित तथा
5 नवीन मार्केट (ऊपरीतल), कैसरबाग लखनऊ से प्रकाशित

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July- Sep. 2026

विषय सूची

1. Endangered Folk Dance Traditions of Uttar Pradesh : Challenges and Prospects — **01-04**
 - **DR. Lavkush Dwivedi**
2. प्राचीन भारतीय वाङ्.मय में मानवाधिकार: एक विमर्श — **05-08**
 - **डॉ० अरुण कुमार**
3. ब्रिक्स (BRICS) में भारत की भूमिका: बहुध्रुवीय व्यवस्था, सामरिक स्वायत्तता और वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व — **09-11**
 - **राजेश कुमार यादव**
4. विकसित भारत @2047 की संकल्पना में शैव दर्शन की प्रासंगिकता — **12-16**
 - **डॉ० पिंकी यादव**
5. नव-लोक प्रबंधन एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी — **17-21**
 - **चंद्रप्रकाश मौर्य**
6. भारतीय तंत्रवाद्य परम्परा: विकास, प्रमुख कलाकार एवं सांगीतिक सौंदर्यशास्त्रीय विश्लेषण — **22-25**
 - **आभा श्री**
7. ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार, शैक्षिक व्यवहार तथा संवेगात्मक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन। — **26-30**
 - **डॉ० तनुज कुमार**
8. Effect of ESG Performance on Firm Performance: A Panel Data Study of Indian Listed Companies — **31-36**
 - **Dr. M.M. Varshney**
9. भारत में जैविक खेती: पारिस्थितिक पुनरुत्थान, खाद्य सुरक्षा एवं सतत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विमर्श — **37-40**
 - **सविता गुप्ता**
10. भक्ति के अद्वितीय प्रतिमान हनुमान जी की हिंदी साहित्य में अभिव्यक्ति — **41-44**
 - **डॉ० क्षेमेन्द्र भारद्वाज**
11. हिन्दू एवं बौद्ध धर्म में नारी: एक विवेचन — **45-47**
 - **डॉ० शुचि राय**
12. अशोक के धम्म का तत्कालीन समाज पर प्रभाव (एक ऐतिहासिक एवं आलोचनात्मक अध्ययन) — **48-50**
 - **प्रमोद कुमार**
13. Malaviya's Principles on Women's Emancipation and Gen Z Aspirations: A Comparative Study — **51-56**
 - **Sneha Verma**
14. बौद्ध दर्शन में अपोहवाद का समीक्षात्मक दार्शनिक अनुशीलन — **57-61**
 - **डॉ० श्रीप्रकाश तिवारी**
15. चार्वाक, जैन एवं बौद्ध दर्शन के मोक्ष/अपवर्ग विचारों का समीक्षात्मक अध्ययन — **62-65**
 - **रणधीर सिंह**
16. महिलाओं में वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन: एक अनुभवजन्य अध्ययन (जनपद झाँसी के विशेष संदर्भ में) — **66-69**
 - **1.नीलम चौधरी, 2. प्रो० उमारतन यादव**

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

Endangered Folk Dance Traditions of Uttar Pradesh : Challenges and Prospects

DR. Lavkush Dwivedi
Senior Fellow,
ICSSR New Delhi

PP.N0- 01-04 **Received: 19.07.2026** **Accepted:01.08.2026** **Email:lavkushdwivedi@gmail.com**

Abstract-'Lok' (folk tradition) serves as a strong and most reliable career for our art and culture, offering an authentic portrayal and reflection of the daily activities, interests, and expressions of the common people. Acting as the very foundation of our lives, it also provides us with the energy to move forward and continue our endeavours. Today, a mother's lullabies have vanished from the courtyards of our homes; the modern diversions now available to entertain the mind have created a world where, far from resonating with the chords of heartfelt emotion, even the faint, fragrant essence of such sentiments has completely faded away.

Keywords: Folk Dance, Tradition, Culture, 'Lok', Acting, Modern diversions, Climate, symbolic

Introduction- In the villages of yesteryears—during festivals like Holi, Diwali, and other celebrations—we would gather together to foster a sense of collective unity and share our deepest emotions with one another; all of this is now gradually becoming a mere dream. The wholesome entertainment that people once derived from their folk songs and music has today been swept away by the whirlwind of commercialism. The excuse often cited for this decline is a lack of time; however, the truth is that we are simply drifting further and further away from our own folk traditions. Consequently, we face the looming crisis of having nothing left to pass on to the generations to come.

The vast canvas of Uttar Pradesh is so thoroughly steeped in the diverse hues of folk culture—its vibrant reds, lush greens, and boundless exuberance—that it has become imperative to document and describe these facets in a single, comprehensive account. Across this expansive terrain-stretching from Ballia to Saharanpur, from Gautam Buddha Nagar to Gorakhpur-Deoria, and from Lakhimpur to Chitrakoot- Sonbhadra- more than hundred folk traditions flow in a ceaseless stream.

Yet, in the current climate, the collective folk psyche has been reduced to merely a ritualistic engagement with these traditions—a mere act of symbolic sipping, superficial immersion, or cursory cleansing—for we are no longer able to connect with their profound inner essence. Consequently, the true spirit of reverence and devotion toward these traditions has all but vanished. Thus, the need of the hour is the preservation, promotion, and presentation of these art forms, ensuring that this invaluable heritage remains safeguarded and continues to infuse the folk culture with ceaseless vitality.

2. Regional Descriptions of Endangered Folk Dances: In Uttar Pradesh, folk songs and their associated dances are sung on various occasions, such as Birha, Alha, Nautanki, Chanaini, Dhobiya, Kaharwa, Rasiya, Nirgun, Jogiya, Sohar, Mundan, Pai, Yagyopavit, Marriage, Nakata, Kajri, Hindola, Hori, Chaita, Chaiti, Chaumasa, Barahmasa, Bahura, Godhna, Pidia, Gondau, Ropni, Nirvahi, Sohni, Jatsar, Charkha, Kolhu, Chhaparhiya, Titira, Baithwari, Bhorhara, Chautala, Ulara, Jhumar, Lachari, and Pachara.

However, with fewer singers remaining, the danger of their related dances disappearing has increased significantly. The popularity of these singers and dancers has diminished significantly in the modern era, even though they are used extensively in films and other entertainment mediums made both domestically

and abroad. Visualizing these endangered folk dances of Uttar Pradesh, categorized and presented separately through various cultural regions, will facilitate study.

To this end, culturally, Uttar Pradesh can be categorized into six cultural regions: Awadh, Purvanchal, Sonanchal, Bundelkhand, Braj, and Paschimanchal. The state's districts can be classified as follows:

Sr. No.	Cultural Region	Districts Covered	Total
1.	Awadh Region	Ayodhya, Ambedkar Nagar, Gonda, Bahraich, Balrampur, Shravasti, Basti, Sultanpur, Amethi, Pratapgarh, Jaunpur, Prayagraj, Lucknow, Sitapur, Pilibhit, Lakhimpur, Raebareli, Barabanki, Unnao, Hardoi, Shahjahanpur, Kanpur Nagar, and Kanpur Dehat.	23
2.	Purvanchal	Varanasi, Azamgarh, Mau, Ballia, Ghazipur, Mirzapur, Deoria, Kushinagar, Gorakhpur, Siddharth Nagar, Maharajganj, Chandauli, Bhadohi, and Sant Kabir Nagar.	14
3.	Bundelkhand Region	Banda, Chitrakoot, Fatehpur, Hamirpur, Jalaun, Jhansi, Mahoba, Kaushambi, and Lalitpur.	09
4.	Braj Region	Agra, Etawah, Mathura, Aligarh, Etah, Mainpuri, Badaun, Kannauj, Auraiya, Firozabad, Farrukhabad, Kasganj, and Hathras.	13
5.	Pashchimanchal	Rampur, Bareilly, Bulandshahr, Moradabad, Amroha, Sambhal, Bijnor, Ghaziabad, Muzaffarnagar, Gautam Buddha Nagar, Saharanpur, Hapur, Meerut, Baghpat, and Shamli.	15
6.	Sonanchal	Sonbhadra.	01

The aforementioned regional classification is merely indicative, as cultural traditions cannot be confined within the confines of specific, rigid geographical boundaries. This is also due to the fact that certain traditions are found across more than one region. For the sake of convenience in study, a region-wise account of the endangered or relatively less prevalent folk dances of Uttar Pradesh is presented below:

Sr. No.	Cultural Region	Endangered Folk Dance Forms
1.	Awadh Region	Dhobiya, Kaharaua, Lilli Ghodi, Janghiya, Pasiya, Ahirwa, Natwari, Indrasani & Natkaura etc.
2.	Purvanchal	Dhobiya, Dhunmuniya, Kajari, Chaular, Natua, Godau, Jhumar, Lavanda, Jalua, Karinga, Dula, Nakal, Dhivar & Panwariya etc.
3.	Bundelkhand	Pai Danda, Diwari, Badhai, Naurta, Dhimariyahi, Kandara, Jawara & Rahas etc.
4.	Braj Region	Bhagat & Narsingh etc.
5.	Pashchimanchal	Gujari, Nautanki (Nautanki is performed in almost all regions of Uttar Pradesh but requires greater encouragement).
6.	Sonanchal	Karma, Shaila, Domkach, Agariya, Koldahki, Jhumar & Dharkahari etc.

3. Current Status: Uttar Pradesh abounds in folk songs and the folk dances based upon them; however, due to a lack of conservation and encouragement, almost all of these traditions stand on the verge of extinction. As far as their current status is concerned, these folk dances have been relegated to the lowest rung of priority in almost every region of the state. In other words, people only turn to these traditions when they are unable to find any other means of entertainment. The artists associated with these forms are largely dependent on all sections of society for opportunities to showcase their art.

The situation is particularly precarious for dances such as Ahirwa, Kaharwa, Indrasani and Natkaura in the Awadh region; Dhunmuniya Kajri, Chaular, Natua, Godau, Jhumar, Lavanda, Jaluaa, Karinga, Dula, Nakal, Dhiwar and Panwariya in the Purvanchal region; Badhai, Naurta, Dhimariyahi, Kandra, Jawara and Rahas in the Bundelkhand region (within Uttar Pradesh); Bhagatand Narsingh in the Braj region; Gujari in the

Pashchimanchal region; and in the major tribal areas falling under the state, specifically the Sonanchal region—dances such as Karma, Shaila, Domkach, Agariya, Koldahaki, Jhumar and Dharkahari etc. .

The reality is that, even today, if you were to drive into these tribal areas, and the local artists will assume that you had arrived in search of performers or to distribute any government grant, their entire group would run out on the roads, pleading for an opportunity to demonstrate their respective arts. It is not merely the tribal communities; artists associated with these traditions in other regions of the state can also frequently be seen approaching various government departments, institutions, or individuals to request opportunities for their performances. The inherent constraint faced by both private and government/semi-government events is that, since these art forms relatively lack the ornamentation, glamour, and dramatic impact often sought after in modern performances, organizers are unable to offer them many opportunities; consequently, these art forms remain perpetually in waiting. These vanishing art forms and the artists associated with them must be rescued from these circumstances.

4. Some Major Reasons for the Endangerment: There are numerous reasons behind the endangerment of these folk dances of Uttar Pradesh and the decline in their popularity; some of the major reasons are listed below:

(i) Lack of modern resources
(ii) Economic deprivation
(iii) Lack of education or awareness
(iv) Lack of support and encouragement at various levels
(v) Social discrimination
(vi) Comparatively less interest shown by the media
(vii) The dominance of Western culture
(viii) Lack of interest among the younger generation
(ix) Comparatively fewer opportunities for performance

The irony is that today's new generation possesses virtually no knowledge of these rich folk traditions. They appear both compelled and eager to perceive whatever social media serves them as their entire world. These folk traditions of ours, while providing us with energy and direction from time to time, also offer us the most accessible and effortless means of entertainment; therefore, preserving this folk culture of Uttar Pradesh, and presenting it as a guiding light for future generations, stands as both the greatest demand and the greatest challenge of the present era.

5. Efforts to be done for Preservation and Promotion: It is imperative to take effective measures for the preservation and promotion of the vanishing folk art forms of Uttar Pradesh; otherwise, they will inevitably fade into oblivion. To this end, the following effective actions can be implemented at various relevant levels:

(i) First and foremost, it is essential to identify these traditions; subsequently, a phased effort must be initiated to preserve these art forms by locating the artists and practitioners associated with them. To achieve this, an authentic database of these art forms—found across the various regions of the state—and the artists associated with them must be compiled. This data must then be systematically documented and disseminated through various media channels to ensure that the relevant information becomes universally accessible.

(ii) Individuals associated with these art forms must be provided with every possible assistance to ensure they are mentally and financially equipped to preserve their traditional artistic traditions.

(iii) To familiarize them with the increasing innovations in the field of art, various performance-oriented workshops must be organized at regional, state, and national levels; furthermore, these traditional artists should be allowed to participate in these workshops free of cost to ensure they remain updated.

(iv) Concurrently, these artists must also be encouraged to mentor a new generation of practitioners. To this end, they must be provided with the necessary resources to foster their inclination and engagement in this direction.

(v) Appropriate performances of these traditional art forms must be organized at various levels to ensure that the associated artists receive maximum opportunities to perform, thereby enabling these art forms to serve as a viable means of livelihood for them.

(vi) These artists must be provided with essential resources—such as musical instruments, costumes, jewellery, and other ancillary materials—to further encourage their dedication to this field and to ensure they remain ever-ready to present their art.

(vii) A suitable market must be created for these folk arts, and comprehensive information regarding these art forms must be disseminated to the general public through all modern mediums of publicity and promotion.

(viii) To foster greater societal acceptance of these artists, it is essential to enhance their public profile by honouring them on various occasions; this will serve the dual purpose of upholding the dignity of these art forms while simultaneously elevating the socio-economic standing of the artists associated with them.

(ix) The most significant aspect of folk culture is its inherent spirit of collectivism; therefore, alongside the preservation and promotion of these art forms, it is equally essential to safeguard and uphold this sense of collective community.

Against the aforementioned cultural backdrop of the significance and indispensability of folk traditions, we can, from wherever we stand, raise a clarion call to identify the potential threats facing these folk dances, investigate the myriad circumstances and causes behind their erosion, and devise remedies for their preservation. While the need for a nationwide movement or initiative may arise later, we must, first and foremost, immediately initiate concrete and meaningful efforts to firmly establish our regional heritage and identity.

REFERENCES

1. Lokrang :Lavkush Dwivedi
2. Samkaleen Srijan (Jan-Jun, 2014): Mahendra Prajapati
3. Awadh sanskriti ka vishwkosh: Surya Prasad Dixit
4. Awadhi Lokgeet Virasat : Vidya Bindu Singh
5. Folk Arts of Uttar Pradesh : Madhu Jain
6. Folk Songs from Uttar Pradesh : Laxmi Ganesh Tewari
7. History and Culture of Western Uttar Pradesh : Amit Pathak , K.K.Sharma & Amit Rai Jain
8. Art and Culture of Uttar Pradesh (e-book) : Anurag Pandey
9. Uttar Pradesh ki Lok Kathayen: Vidya Vindu Singh
10. Meri Parnani ke Geet : Vibhoo Bajpai
11. Chandan Kiwad : Malini Awasthi

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

प्राचीन भारतीय वाड्.मय में मानवाधिकार: एक विमर्श

डॉ. अरुण कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)
राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी

PP.N0- 05-08 **Received: 22.07.2026** **Accepted:01.08.2026** **Email:arunkumarprajapati9@gmail.com**

सारांश: मानवाधिकार की अवधारणा वैश्विक स्तर पर चर्चित चिंतनीय एवं ज्वलन्त सामयिक विषय है। आज इस अवधारणा की संस्थागत एवं प्रकार्यात्मक भूमिका में निरन्तर वृद्धि हो रही है । सामान्य तथ्य है कि मानवाधिकार से प्रत्येक मनुष्य को उसके हक एवं अधिकार की प्राप्ति का बोध होता है क्योंकि अहस्तक्षेप की नीति के साथ यदि व्यक्ति को उसका हम प्राप्त हो जाता है तो न्याय, गरिमा, प्रतिष्ठा, समानता एवं स्वतन्त्रता की संकल्पनायें साकार हो जाती है। प्राचीन भारतीय वाड.मय में सामाजिक कल्याण का भाव सर्वोपरि था, जो कि मानवाधिकार का मूल है । अतः प्राचीन काल से ही मानवाधिकारों का संरक्षण होता आया है। विधि के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण जैसी पाश्चात्य अवधारणायें प्राचीन भारतीय राजव्यवस्थाओं के संचालन में केन्द्रीय भाव रखती थी। वैदिक साहित्यों में राजा के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया था ताकि राजा पथभ्रष्ट न हो और व्यक्ति के हितो एवं अधिकारों को संज्ञान में रखकर व्यवस्था का परिचालन करें। इस प्रकार मानवाधिकार भारतीय सन्दर्भ में व्यापक परिप्रेक्ष्य लिए हुये है। प्रस्तुत शोध पत्र प्राचीन भारतीय वाड.मय में मानवाधिकारों की स्थिति का विश्लेषण करता है ।

कुंजीभूत शब्द : समानता, मानवाधिकार, वैदिक साहित्य, दर्शन, वसुधैव कुटुम्बकम, न्याय, गरिमा, प्रतिष्ठा, राजव्यवस्था

प्रस्तावना : मानव सभ्यता के इतिहास में 'वसुधैव कुटुम्बकम' का उदघोष मनुष्य की वैचारिक यात्रा का वह प्रस्थान बिन्दू है, जहाँ से मानवाधिकार की चिन्तन प्रक्रिया प्रारम्भ होती है । समाज, संस्कृति, सभ्यता, अर्थ एवं राजव्यवस्था व्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास की सूचक है और व्यक्ति विवेकशील होने के कारण अपने समूह एवं परिवार को सम्पूर्ण वैश्विक जगत से जोड़कर समाज को इतना विस्तार देता है कि पूरी दुनिया ही कुटुम्ब बन जाती है। इस सन्दर्भ में सबसे समृद्ध चिन्तन भारतीयों का है। मानवाधिकार की संकल्पना का संकल्प प्राचीन भारतीय धर्म सूत्रों में दिये गये वाक्यांश 'जिओ और जीने दो' से उद्धत है-

''श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वाचैवाव धार्यताम्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा म समाचरेत।''

अर्थात्- पूर्ण धर्म में धारण करने योग्य सार यह है कि जो बात अपने अनुकूल न हो वह दूसरों के साथ भी न करों।

मानवाधिकार की अवधारणा को स्वरुप हमें स्टोईक दर्शन के सिद्धान्तों में प्राप्त होता है जिसमें यह माना गया कि सार्वभौमिक शक्ति सभी जीवों में व्याप्त है। अतः सभी को प्राकृतिक विधि के अनुरुप आचरण करना चाहिए। वास्तव में मानवाधिकार की भावना का उदय सभ्यता के साथ ही हो गया था। व्यक्ति की विवकेशीलता के कारण तथा दूसरों की सुख-सुविधाओं के बारे में सोचने के सन्दर्भ में उसे प्राणियों में श्रेष्ठ माना गया। आज मानवाधिकार की जड़े राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर जीम हुयी है एवं वैश्वीकरण के इस युग में मानवाधिकार एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। मानवाधिकार का आधार प्राकृतिक है और इसी कारण अपने स्वरुप में यह रंग, जाति, लिंग, धर्म के भेदभाव के बिना मानवीय गरिमा के लिए सम्मान की भावना को समाहित किये हुये है। मानवाधिकारों को व्यक्ति के ऐसे अधिकार समझा जा सकता है जो व्यक्ति के गरिमामयी जीवन के लिए आवश्यक है। मानवाधिकारों की सर्वव्यापी व्यवस्था का उद्देश्य सभी समाजों में व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए परिस्थितियों को पुनर्निर्माण एवं पुनरीक्षण करना है।

विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यतायें सिन्धु घाटी व हड़प्पा में मानव मूल्यों के जिन मानकों का बीजारोपण किया गया उनका समुचित दर्शन वैदिक सभ्यता में प्राप्त होता है। इस तथ्य में कोई अतिश्योक्ति नही कि वैदिक काल में मानव अधिकारों को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त थी क्योंकि इस दौर में सामाजिक कल्याण का भाव सर्वोपरि था जो मानवाधिकार का मूल है। वैदिक काल से ही समस्त जीवों और प्रकृति की परस्पर निर्भरता का उल्लेख करते हुये सम्पूर्ण लोक के कल्याण का संकल्पना प्रस्तुत की गयी है।

''सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काश्चित् दुःख भागभवेत्।।''

अर्थात् सभी सुखी होवें, सभी रोगमुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को दुःख का भागी न बनना पड़े। इस उद्घोष में सभी जीवों के लिए जीवन की आवश्यकताओं को समझा गया। प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने ईश्वर से ऐसी बुद्धि की याचना की जो किसी को भी कष्ट न पहुँचाये ।

भारत के प्राचीन दर्शन में मानवाधिकार की धारणा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ऋग्वेद, अर्थववेद एवं कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र में मानवाधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के प्रच्छल रूप मिलते हैं। ऋग्वेद (मंडल 5, सूक्त 60, मंत्र 5) में कहा गया है-

''अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते। सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय ।।''

इसका अर्थ है कि कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। सभी भाई है और सभी लोग सभी के हितो के लिए प्रयत्न करें तथा सभी सामूहिक रूप से प्रगति करे। ऋग्वेद के दूसरे मंत्र-

''सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् । देवा भागंयथा पूर्वे संजानाना उपासते।।''

अर्थात्- ए मानव प्राणी! आप सभी परस्पर सहयोग के साथ-साथ रहे, मित्रतापूर्वक एक-दूसरे के साथ वार्ता करें एवं जीवन के सामूहिक आदर्शों वाला ज्ञान प्राप्त करें। ऋग्वेद के दूसरे मंत्र (मण्डल 10, सूक्त 191, मंत्र 4) में समानता के अधिकार का विस्तृत वर्णन किया गया है-

'समानो व आकृतिः समानो हृदयानि व। समानमस्तु वो मनो पथा वः सुसहासुति।।''

इस मंत्र के द्वारा ऋषियों ने समभाव, सद्भाव का सन्देश सदियों पूर्व ही दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के प्रथम व सातवाँ अनुच्छेद ऋग्वेद के इसी मंत्र से लिये गये है। इसके साथ ही अर्थववेद के समाज्ञान सूक्त में भी समानता के अधिकार को पुष्ट किया गया-

''समानो प्रपा सह वोज भागः। समानो योक्त्रे सह धो चूनज्मि आराः नाभि मिवानिता ।।''

अर्थात्- भोजन एवं जल में सभी को समान अधिकार है। जीवन रूपी रथ का जुआ सभी के कंधों पर समान रूप से टिका है और जिस प्रकार रथ के पहिए के आरे और धुरी परस्पर जुड़कर एक-दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक उसी तरह सभी व्यक्तियों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक-दूसरे की सहायता करनी चाहिए।

इसके साथ ही अर्थववेद में इस तथ्य को विवेचित किया गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ईश्वर उसी से प्रेम करता है, जो मनुष्य-पशु और अन्य जीवों की सेवा करते हैं। मनुष्य का गौरव बड़े परिवार का सदस्य बनने पर है। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है तो महाभारत में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के चार प्रकार के कर्त्तव्य है- ईश्वर के प्रति, माँ-बाप के प्रति, शिक्षकों के प्रति एवं मानवता के प्रति। 'हितोपदेश' में इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुये लिखा गया कि -

''माता बैरी पिता शत्रुः बेन बालो न पठितः।''

अर्थात् जिनके माता-पिता ने अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं करवाई है, वे उनके दुश्मन है। 'धर्मकोश' में धार्मिक स्वतन्त्रता का उल्लेख करते हुये लिखा गया-

''पाषंअनैगत श्रेणी पूगब्रात गणदिषु । संरक्षेत् समयं राजा दुर्गे जनपदे तथ।।''

अर्थात्- राजा वेद को मानने वालों और न मानने वाले दोनों का संरक्षण करे। इस श्लोक में सर्वधर्म समभावया पंथनिरपेक्षता का भाव निहित है। इसी तरह मनुस्मृति में उद्धत है कि-

''क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनाम्। निर्दिष्ट फल भोक्ता हि राजा धर्मेण युज्जते।।''

अर्थात्- राजा का सर्वोच्च कर्त्तव्य अपनी प्रजा का संरक्षण है। जो राजा अपनी प्रजा से कर प्राप्त करता है तथा उसका संरक्षण करता है। वह धर्मानुसार कार्य करता है। अग्नि संहिता में न्याय की व्याख्या करते ही कहा गया कि-

''दृष्टस्य दंडः सृजनस्य पूजा न्यायेन कोषस्य च स प्रवशदिः।
अपक्षपातोअर्थिषु राष्ट्र रक्षा पंचैव यज्ञा कथिता नश्पाणाम्।।''

अर्थात्- दुष्टों को दण्ड देना, भले लोगों का सम्मान करना, न्यायपूर्ण तरीकों से कोष में वृद्धि करना, मुकद्मे का निर्णय करने में निष्पक्ष होना तथा राज्य की सुरक्षा करना राजा के कर्त्तव्य है। काल्यायन के विचारों एवं कल्हण की 'राजतरंगिणी' में भी न्याय मीमाँशा का सार व्यक्त किया और स्पष्ट किया गया कि राजा का कर्त्तव्य कि वह कर्त्तव्य है कि वह नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हुये उनका संबर्द्धन करें। किसी स्त्री, राज्य या मन्दिर की सम्पत्ति हड़पने वाले को कात्यायन ने दण्डित करने की बात कहीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसी महिला के साथ बलात्कार करने वाले को मृत्युदण्ड देने का प्रावधान दिया गया था। कात्यायन ने कहा है कि यदि कोई राजा धर्म के अनुसार लोगों के कार्यों की समीक्षा करता है तो व्यक्ति स्वतः अच्छा आचरण करते हैं और खुश रहते हैं। नारद स्मृति में भी स्वीकार किया गया कि राजा मुकद्मे का अध्ययन करके व प्रधान न्यायधीश के परामर्श के अनुसार निर्णय दे।

शुक्रनीति में कहा गया कि उचित मजदूरी वह है जिससे जीवन की आवश्यकतायें पूरी हो जायें। अतः राजा को मजदूरी का निर्धारण करना चाहिए क्योंकि कम मजदूरी, दुर्व्यवहार, अपमान, अपशब्द, ज्यादा जुर्माना थोपना एवं कठिन दण्ड से कर्मचारियों में रोष व्याप्त होता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बन्दियों के भी अधिकारों की व्याख्या की। उन्होंने माना कि यदि अधिकारी कैदियों की नित्यक्रिया यथा- सोना, बैठना, भोजन करने में बाधा पहुँचाता है तो उसे तीन पण या उससे अधिक को जुर्माने का दण्ड दिया जाना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति दोनों में मानवाधिकार की सुरक्षा से सम्बन्धित अलग-अलग नियमों की व्याख्या की गयी हैं। धर्म का विचार हिन्दू

नीतियों में न खत्म होने वाले बसन्त की भाँति रहा है। पतंजलि ने समाज में सन्तुलन और स्वाशासन रखने के लिए अहिंसा, सत्य, संयम रखना, अहंकार न करना व चोरी का निषेध पाँच नियमों की चर्चा की है।

अर्थववेद में राजा को सभी का प्रिय रहते तथा आर्यों एवं मुद्रों में भेदभाव न करने का आदेश दिया गया है। ऋग्वेद में राजा के कार्यभार में वृद्धि करते हुये कहा गया कि- ''असि दभ्रस्य चिद् बृधः''। इसी परिप्रेक्ष्य में राजा के कार्यों की व्यापकता को स्पष्ट किया गया और स्वीकार किया गया कि राजा ऐसी व्यवस्था करे जिससे सभी को भोजन प्राप्त हो सके। अर्थववेद में राजा एवं प्रजा दोनों पर नियन्त्रण को स्वीकार करते हुये स्पष्ट किया गया कि राजा एवं प्रजा दोनों अपने कार्य एवं व्यवहार में अति का आचरण न करें। इसी तथ्य को उल्लिखित करते हुए कहा गया कि- ''ब्रह्मचर्येणा तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति''। अर्थात् राजा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए राष्ट्र की रक्षा करें। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने माना कि वास्तविक राजधर्म तभी आस्तित्व में आ सकता है जब राजा प्रजा के सुख में ही अपना सुख समझे- ''प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।

नात्माप्रियं हितं राज्ञः प्रजाना तु प्रिय स्तिम्।।''

इसके साथ ही साथ वाल्मिकी रामायण भी मानवाधिकार की व्याख्या का प्रमुख ग्रन्थ है जिसमें भगवान राम ने लक्ष्मण को सलाह दी है कि ऐसा कोई हथियार न उठाये जिससे समस्त मानवता के साथ-साथ निःशस्त्रों का विनाश होता हो क्योंकि प्राचीन युद्ध के नियमों में सामूहिक विनाश की मना ही है।

निःसन्देह प्राचीन भारतीय वाड.मय परम्परा में मानवाधिकारों का आस्तित्व प्राचीनकाल से ही परिलक्षित होता है फिर भी कुछ पाश्चात्याभिमुखी विद्वानों को यह तथ्य असत्य, भ्रामक एवं अतिरंजित दिखाई पड़ती है। यद्यपि यह सत्य है कि मानवाधिकार का मुद्दा द्वितीय विश्य युद्ध की विभीषिका के परिणामस्वरूप आस्तित्व में आया एवं मानव समुदाय के लिए सर्वोत्तम हथियार बना लेकिन मानवाधिकार की जिस परम्परा के दर्शन हमें हमारे प्राचीन ग्रन्थों में होते हैं, उसके समक्ष मानवाधिकार की आधुनिक परिकल्पना बौनी दिख पड़ती है।

मानवाधिकार सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने वेदों से लेकर परवर्ती संस्कृत साहित्य का गंभीर अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्राचीन भारतीय दर्शन में मानवाधिकार के विचारों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में नागरिक की तीन स्वतन्त्रताओं, शरीर, आवास व जीवन का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। भारतीय चिन्तन परम्परा में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का सम्मिलन किया गया जिसके द्वारा मानव का पूर्ण विकास सम्भव हो सके तथा मानव-मानव के मध्य भेदभाव का निषेध करते हुये सबके समान कल्याण की धारणा को विकसित किया गया है।

निष्कर्ष- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत में मानवाधिकारों का उत्स वैदिक काल से ही मन्त्रों, सूक्तों एवं ऋचाओं के रूप में हमारे पौराणिक एवं धार्मिक ग्रन्थों में प्रतिपादित है। द्वितीय विश्व युद्ध के जिस विभत्सकारी व विध्वंसकारी, परिणामों को देखकर 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्रों के मध्य शान्ति एवं मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से मानवाधिकारों के लिए जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया उसके बीजांकुर हमें हमारे प्राचीन राजनीतिक वाड्.मय में ही प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में भारतीय विद्वान मानवाधिकारों के प्रति पूर्णतः सचेत थे। मानवाधिकारों का पालन सभी के लिए विकास एवं शान्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। प्राचीन भारतीय साहित्य एवं दर्शन कर्मशीलता, सदाचार और उदान्त चरित्र को आधार स्तम्भ मानता है तथा स्पष्ट करता है कि कर्म के बिना अधिकार की बात सर्वथा असत्य है। यदि मनुष्य के अन्दर सत्य, अहिंसा, प्रेम, विनम्रता, दया, क्षमा, धैर्य एवं पवित्रता जैसे मानव मूल्य संस्कार नहीं होंगे तो मानवाधिकारों की संकल्पना कभी भी सार्थक नहीं हो सकती। अतः मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए वैदिक संस्कृति में व्याप्त मूल्यों को अंगीकार करना होगा ताकि समस्त प्राणियों में स्वतः लोकोपकारक वृद्धि और हम सभी यह कामना कर सके कि-

''विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परसुव, यद भद्र तन्न आ सुव।''

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ऋग्वेद- मण्डल-5, सूक्त-60
2. ऋग्वेद- मण्डल-10, सूक्त-91
3. ऋग्वेद- मण्डल-3, सूक्त-30
4. गुरूदत्त- 'धर्म, संस्कृति और राज्य', भारती साहित्य सदन, नई दिल्ली, 1994.
5. के0पी0 जायसवाल- 'हिन्दु पोलिटी', नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, 2012.
6. रामशरण शर्मा- 'आस्पेक्ट ऑफ पोलिटिकल आडियाज एण्ड इन्सटीट्यूशनल इन एनसीएक्ट इण्डिया', मोतीलाल बनारसीदास पब्लिसर्श, दिल्ली, 1999.
7. सुधारानी श्रीवास्तव- 'मानव अधिकार', मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2009.
8. सुभाष शर्मा- 'भारत में मानवाधिकार', नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली, 2013.

9. नरेन्द्र नाथ- 'स्टडीज इन एनसिएन्ट हिन्दू पॉलिटी', इण्डियन रिप्रिन्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2005.
10. राधा वल्लभ त्रिपाठी- 'संस्कृत वाड्.मय में मानवाधिकार विषयक सेमिनार', लखनऊ, 2010.
11. प्रो0 निर्मला सिंह- 'प्राचीन भारतीय दर्शन में मानवाधिकार', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2015.
12. कुमारी एकता- 'प्राचीन भारत में मानवाधिकार' आईजेसीआरटी रिफर्ड जनरल में उद्धृत लेख, 2020.
13. सत्य नारायण राबत- 'भारत में मानवाधिकार', राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015.
14. www.nhrc.nic.in
15. www.bhaskarhindi.com
16. www.webdunia.com

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

ब्रिक्स (BRICS) में भारत की भूमिका: बहुध्रुवीय व्यवस्था, सामरिक स्वायत्तता और वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व

राजेश कुमार यादव
असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (उ०प्र०)

PP.N0- 09-11 **Received: 25.07.2026** **Accepted:05.08.2026** **Email: rajeshananya01@gmail.com**

सारांश: प्रस्तुत शोध पत्र समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के गतिशील परिदृश्य में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका एवं विस्तारित सदस्य) समूह के अंतर्गत भारत की भूमिका का समालोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत स्थापित ब्रेटन वुड्स संस्थाओं और शीतयुद्धोत्तर एकध्रुवीय व्यवस्था के बरक्स ब्रिक्स का अभ्युदय एक अधिक न्यायसंगत, बहुध्रुवीय और समावेशी वैश्विक व्यवस्था की आकांक्षा का प्रतीक है। भारत के संदर्भ में यह मंच केवल आर्थिक सहयोग का माध्यम न होकर उसकी चिरस्थायी 'सामरिक स्वायत्तता' को अक्षुण्ण रखने, 'वैश्विक दक्षिण' के हितों को स्वर देने तथा पश्चिमी व यूरेशियाई शक्तियों के मध्य कूटनीतिक संतुलन स्थापित करने का आधारभूत स्तंभ रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन संस्थागत निर्माण-विशेषतः नवीन विकास बैंक और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था-में भारत के नेतृत्व, चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध संतुलनकारी रणनीति तथा समूह को 'पश्चिम-विरोधी' स्वरूप से बचाकर 'गैर-पश्चिमी सुधारवादी' मंच बनाए रखने के भारत के निरंतर प्रयासों की विवेचना करता है। सैद्धांतिक विश्लेषण यह प्रतिपादित करता है कि भारत ने ब्रिक्स में एक निष्क्रिय सहभागी के बजाय एक रचनात्मक नियम-निर्माता और संतुलनकारी महाशक्ति के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है।

कुंजीभूत शब्द : ब्रिक्स BRICS, ब्रेटन वुड्स, भारत, सामरिक स्वायत्तता, कूटनीतिक संतुलन, नियम-निर्माता, महाशक्ति

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य और भारत का भू-राजनीतिक संरेखण- अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार ब्रिक्स का उद्भव पारंपरिक शक्ति-संतुलन की एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत उभरती हुई क्षेत्रीय शक्तियां वैश्विक व्यवस्था में अपने रणनीतिक प्रभाव का विस्तार करने का यत्न करती हैं। वहीं दूसरी ओर, उदारवादी संस्थागत दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की कमी ने विकासशील देशों को समानांतर बहुपक्षीय संस्थाओं के निर्माण की ओर प्रेरित किया।

भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण से ब्रिक्स की सदस्यता उसकी पारम्परिक गुटनिरपेक्षता के आधुनिक व्यावहारिक रूपांतरण—'बहु-संरेखण'—का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत एक ओर यदि क्वाड, जी-7 आउटरीच और पश्चिमी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय रक्षा व तकनीकी संबंध सुदृढ़ कर रहा है, तो दूसरी ओर ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के माध्यम से यूरेशियाई महाशक्तियों तथा विकासशील विश्व के साथ अपनी सामरिक पहुंच को सक्रिय बनाए रखता है। भारत के लिए ब्रिक्स किसी एक सैन्य या राजनीतिक गुट का अंधानुकरण करने का साधन नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी भी शक्ति-केंद्र का पिछलग्गू बने बिना स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को सुरक्षित रखने का मंच है।

वैश्विक वित्तीय वास्तुकला का पुनर्गठन और संस्थागत योगदान-ब्रिक्स को मात्र एक अनौपचारिक विचार-मंच से ठोस आर्थिक आधार प्रदान करने वाली संस्था में बदलने का सर्वाधिक श्रेय भारत की दूरदर्शी कूटनीति को जाता है। 2012 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव ने आगे चलकर 2014 के फोर्टालेजा सम्मेलन में 'नवीन विकास बैंक' (NDB) का रूप लिया।

पारंपरिक पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं में मतदान अधिकार वित्तीय अंशदान के अनुपात में निर्धारित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के पास वीटो का एकाधिकार बना रहता है। भारत ने NDB की स्थापना के समय यह अनिवार्य सिद्धांत प्रतिपादित कराया कि प्रत्येक संस्थापक सदस्य देश का पूंजी अंशदान समान रहेगा और प्रत्येक को समान मताधिकार प्राप्त होगा। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने समूह के भीतर चीन की विशाल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के बल पर बैंक पर किसी भी प्रकार के एकाधिकार को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी कर दिया। इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंकर के. वी. कामथ के नेतृत्व में बैंक की प्रारंभिक प्रचालन प्रणाली को पारदर्शी, व्यावसायिक और सतत विकास के अनुकूल स्वरूप दिया गया।

इसी संस्थागत संरचना के समानांतर $100 अरब के कोष के साथ 'आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था' (CRA) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भुगतान-संतुलन संकट के समय सदस्य देशों को अल्पकालिक तरलता सहायता देना था। इस व्यवस्था ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कठोर राजनीतिक और आर्थिक शर्तों के बिना विकासशील राष्ट्रों को एक संप्रभु वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करने में भारत की वैचारिक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

वैचारिक द्वंद्व: गैर-पश्चिमी बनाम पश्चिम-विरोधी दृष्टिकोण- समकालीन भू-राजनीति में रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-चीन रणनीतिक शीतयुद्ध के गहराने के पश्चात ब्रिक्स के भीतर एक गहरा वैचारिक विभाजन उभरा है। एक ओर रूस और चीन इस समूह को संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और जी-7 के प्रभुत्व के विरुद्ध एक आक्रामक भू-राजनीतिक मोर्चे के रूप में रूपांतरित करने का प्रयास करते रहे हैं। दूसरी ओर, भारत और ब्राजील ने निरंतर यह रुख अपनाया है कि ब्रिक्स का उद्देश्य वैश्विक व्यवस्था को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसका लोकतंत्रीकरण और सुधार करना है।

भारत के विदेश नीति तंत्र ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बारंबार यह स्पष्ट किया है कि ब्रिक्स एक 'गैर-पश्चिमी' मंच है, न कि 'पश्चिम-विरोधी'। भारत का यह दृष्टिकोण इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि नई दिल्ली के आर्थिक, सामरिक, तकनीकी और प्रवासी हित पश्चिमी जगत के साथ अत्यंत गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय नियमों को तोड़ने के पक्ष में नहीं है, बल्कि वह उन नियमों के निर्माण में विकासशील देशों की समान भागीदारी की वकालत करता है।

इसी संदर्भ में वित्तीय वि-डॉलरीकरण का प्रश्न भी अत्यंत संवेदनशील रहा है। रूस और चीन जिस प्रकार अमेरिकी डॉलर के तत्काल बहिष्कार और एक साझी ब्रिक्स मुद्रा के निर्माण का प्रस्ताव रखते हैं, भारत ने उस पर अत्यंत व्यावहारिक और सतर्क दृष्टिकोण बनाए रखा है। भारत डॉलर के विकल्प के रूप में चीनी मुद्रा 'युआन' के नए प्रभुत्व को स्थापित करने का कड़ा विरोध करता है। इसके स्थान पर, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए द्विपक्षीय व्यापार में भारतीय रुपये और संबंधित सहयोगी देशों की स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

समूह के भीतर संतुलन: भारत-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा- ब्रिक्स के समक्ष सबसे जटिल आंतरिक चुनौती भारत और चीन के मध्य सीमावर्ती तनाव और भू-आर्थिक प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न होती है। 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के उपरांत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध के बावजूद, भारत ने ब्रिक्स मंच का बहिष्कार करने के स्थान पर इसका उपयोग अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और चीन के एकतरफा दबदबे को नियंत्रित करने के लिए किया।

अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के संवेदनशील मुद्दे पर भारत ने ब्रिक्स के प्रत्येक शिखर सम्मेलन में कड़ा रुख अपनाया है। ऐतिहासिक रूप से चीन द्वारा पाकिस्तान-आधारित आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाने की नीति के प्रत्युत्तर में, भारत ने ब्रिक्स के साझा घोषणापत्रों में सीमा-पार आतंकवाद और आतंकी वित्तपोषण के विरुद्ध निरंतर दबाव बनाया। 2017 के ज़ियामेन शिखर सम्मेलन में भारत की कूटनीति के परिणामस्वरूप ही ब्रिक्स घोषणापत्र में पहली बार लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों की स्पष्ट निंदा दर्ज की गई।

इसी प्रकार, क्षेत्रीय संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में भारत ने चीन की महत्वाकांक्षी 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' को संप्रभुता के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण अस्वीकार कर दिया। भारत ने ब्रिक्स के भीतर यह सिद्धांत दृढ़तापूर्वक स्थापित किया कि कोई भी संपर्क परियोजना अंतरराष्ट्रीय कानून, वित्तीय पारदर्शिता और संबंधित राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने वाली होनी चाहिए, न कि किसी देश को ऋण-जाल में फंसाने का साधन।

वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व और विकासात्मक सेतु- वर्तमान वैश्विक संरचना में भारत ने स्वयं को 'वैश्विक दक्षिण की सशक्त आवाज' के रूप में स्थापित किया है, और ब्रिक्स इस नेतृत्व को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रमुख माध्यम है। विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन और व्यापार नियमों को लेकर अपनाए जाने वाले दोहरे मापदंडों के विरुद्ध भारत ने विकासशील देशों के अधिकारों का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया है। ऊर्जा संक्रमण के विमर्श में भारत ने 'सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व' के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए यह तर्क दिया है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर औद्योगिकीकरण को रोकने का अनुचित दबाव नहीं डाला जा सकता, जब तक कि विकसित देश जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अपने ऐतिहासिक दायित्वों को पूरा न करें।

इसके साथ ही, भारत ने अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे—विशेषतः एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) और पहचान प्रणालियों—को वैश्विक दक्षिण के लिए एक समावेशी और जन-केंद्रित तकनीकी मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। पश्चिमी कॉरपोरेट एकाधिकारवादी मॉडल और चीन के राज्य-नियंत्रित निगरानी तंत्र से भिन्न, भारत का यह डिजिटल प्रारूप किफायती, पारदर्शी और संप्रभु है, जिसे ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के एक विश्वसनीय उपकरण के रूप में देखा जा रहा है।

ब्रिक्स का ऐतिहासिक विस्तार और भारत की रणनीति- जोहान्सबर्ग और कजान सम्मेलनों के माध्यम से ब्रिक्स का 'ब्रिक्स+' में रूपांतरण और मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात तथा सऊदी अरब जैसे देशों का इसमें समावेशन इक्कीसवीं सदी की एक युगांतरकारी घटना है। इस विस्तार ने समूह को वैश्विक तेल उत्पादन के 40 प्रतिशत से अधिक और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (क्रय शक्ति समता) के एक-तिहाई से अधिक का नियंत्रक बना दिया है ।

इस विस्तार प्रक्रिया के दौरान चीन समूह की संख्या को अनियंत्रित रूप से बढ़ाकर अपने कूटनीतिक प्रभाव का विस्तार करना चाहता था। इसके विपरीत, भारत ने यह सुनिश्चित किया कि नए सदस्यों के प्रवेश के लिए सर्वसम्मति पर आधारित पारदर्शी और स्पष्ट मानदंड तय किए जाएं। भारत ने विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों के समावेशन का समर्थन किया, जिनके साथ भारत के ऐतिहासिक, ऊर्जा और सामरिक संबंध अत्यंत प्रगाढ़ हैं। इसके माध्यम से भारत ने समूह के भीतर चीन-समर्थक शक्तियों के संभावित असंतुलन को रोकने में सफलता पाई और मध्य पूर्व में अपनी 'एक्ट वेस्ट' नीति को एक अतिरिक्त बहुपक्षीय मंच प्रदान किया।

उभरती चुनौतियाँ और रणनीतिक अनिवार्यताएं- ब्रिक्स की विस्तारित संरचना ने भारत के समक्ष कूटनीतिक संतुलन की कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। समूह में ऐसे देशों की उपस्थिति, जिन पर कड़े पश्चिमी प्रतिबंध लागू हैं, ब्रिक्स पर पश्चिमी शक्तियों द्वारा एक 'संशोधनवादी सत्तावादी गुट' का ठप्पा लगाने के जोखिम को बढ़ाती है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ अपनी रणनीतिक साझीदारी को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना ब्रिक्स की सदस्यता का सार्थक निर्वहन कैसे करे।

इसके अतिरिक्त, समूह की आंतरिक संरचना अत्यंत विषम है, जहाँ लोकतांत्रिक, सत्तावादी और राजतंत्रीय व्यवस्थाएं एक साथ बैठी हैं। इस संस्थागत विविधता के कारण किसी साझा सामरिक नीति पर एकमत होना अत्यंत जटिल हो जाता है। यदि ब्रिक्स की भावी वित्तीय और व्यापारिक प्रणालियां युआन-आधारित संरचनाओं की ओर झुकती हैं, तो यह भारत के आर्थिक हितों के लिए प्रत्यक्ष चुनौती प्रस्तुत करेगी।

अतः भविष्य के लिए भारत की रणनीति यह होनी चाहिए कि वह समूह के भीतर 'सर्वसम्मति के नियम' की सर्वोच्चता को निरंतर बनाए रखे, ताकि कोई भी एकल देश अपने भू-राजनीतिक एजेंडे को ब्रिक्स पर न थोप सके। भारत को द्विपक्षीय स्थानीय मुद्रा व्यापार को प्राथमिकता देते हुए कृत्रिम बहुपक्षीय मुद्राओं के मोह से बचना होगा और क्वाड (जो समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है) तथा ब्रिक्स (जो वैश्विक दक्षिण के आर्थिक विकास और वित्तीय न्याय पर केंद्रित है) के मध्य एक व्यावहारिक कार्यात्मक संतुलन बनाए रखना होगा।

उपसंहार- इक्कीसवीं सदी के बहुध्रुवीय विश्व में ब्रिक्स शक्ति के ऐतिहासिक विकेंद्रीकरण का सबसे सशक्त मंच है। इस मंच पर भारत की भूमिका एक सजग, संतुलित और सिद्धांत-निष्ठ महाशक्ति की रही है। भारत ने न तो पश्चिम के अंध-विरोध की भाषा बोली और न ही पारंपरिक वैश्विक संस्थाओं की विसंगतियों पर चुप्पी साधी।

नवीन विकास बैंक की समतावादी संरचना से लेकर सीमा-पार आतंकवाद की वैश्विक निंदा तक, और ब्रिक्स के विवेकपूर्ण विस्तार से लेकर वैश्विक दक्षिण के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने तक, भारत ने निरंतर यह सिद्ध किया है कि वह केवल एक सहभागी नहीं, बल्कि वैश्विक शासन के लोकतंत्रीकरण का अग्रदूत है। विस्तारित ब्रिक्स के युग में भारत का यह दायित्व और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह इस समूह को वैचारिक टकराव का अखाड़ा बनने से रोके और इसे एक न्यायसंगत, नियम-आधारित तथा शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण का प्रभावी माध्यम बनाए रखे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जयशंकर, एस. (2020). द इंडिया वे: स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड. हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया।
2. स्तुएंकेल, ओ. (2015). द ब्रिक्स एंड द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ऑर्डर. लेक्सिंगटन बुक्स।
3. कूपर, ए. एफ. (2016). द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक: शेपिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ए मल्टी-ऑर्डर वर्ल्ड. द इंटरनेशनल स्पेक्टेटर, 51(1), 40–52.
4. पन्त, एच. वी. (2013). द ब्रिक्स फैलेसी: एन इंडियन पर्सपेक्टिव. द वाशिंगटन क्वार्टरली, 36(3), 91–105.
5. नैय्यर, डी. (2016). द ब्रिक्स, इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज: व्हाट डस इट मीन फॉर ग्लोबल गवर्नेंस?. थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली, 37(4), 575–591.

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

कश्मीर शैव दर्शन में चेतना की अवधारणा और समकालीन चेतना-विमर्श : एक दार्शनिक अध्ययन

डॉ. पिंकी यादव
पीएचडी- दर्शनशास्त्र
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ०प्र०)

PP.N0- 12-16 **Received: 30.07.2026** **Accepted:12.08.2026** **Email: dr.pinkiyadav03@gmail.com**

सारांश: भारतीय दर्शन की परम्परा में चेतना को केवल मनुष्य की मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक क्रिया के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे अस्तित्व की मूल सत्ता के रूप में समझने की गहन दार्शनिक परम्परा रही है। कश्मीर शैव दर्शन इसी परम्परा का एक अत्यन्त विकसित एवं सूक्ष्म स्वरूप है, जिसमें चेतना को परमशिव का स्वरूप माना गया है। इस दर्शन के अनुसार सम्पूर्ण विश्व जड़ पदार्थों का स्वतंत्र एवं चेतन सत्ता से पृथक् अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह सार्वभौम चेतना की स्वातन्त्र्यपूर्ण अभिव्यक्ति है। परमशिव प्रकाशस्वरूप चैतन्य हैं और उनकी विमर्शात्मक शक्ति के माध्यम से चेतना स्वयं को जानती तथा विश्व के रूप में अभिव्यक्त करती है। इस प्रकार कश्मीर शैव दर्शन में चेतना केवल किसी वस्तु के प्रति जागरूकता नहीं, बल्कि स्वयं-प्रकाशित, आत्मविमर्शी और सृजनात्मक सत्ता है।

समकालीन दर्शन में चेतना की समस्या मन-दर्शन, संज्ञान-विज्ञान, न्यूरोसाइंस तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रमुख प्रश्नों में सम्मिलित है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामान्यतः चेतना को मस्तिष्कीय प्रक्रियाओं, सूचना-संसाधन, न्यूरल नेटवर्क तथा संज्ञानात्मक अवस्थाओं के संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। इसके विपरीत कश्मीर शैव दर्शन चेतना को पदार्थ से उत्पन्न होने वाली घटना न मानकर स्वयं अस्तित्व की आधारभूत सत्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। वर्तमान शोध-पत्र का उद्देश्य कश्मीर शैव दर्शन में चेतना की अवधारणा का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हुए उसे समकालीन चेतना-विमर्श के संदर्भ में समझना है। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि कश्मीर शैव दर्शन आधुनिक चेतना-विमर्श के लिए एक वैकल्पिक दार्शनिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकता है, यद्यपि उसके आध्यात्मिक और तत्त्वमीमांसात्मक निष्कर्षों को वैज्ञानिक निष्कर्षों का प्रत्यक्ष विकल्प नहीं माना जा सकता।

कुंजीभूत शब्द : शैव दर्शन, चेतना, परमशिव, प्रकाश-विमर्श, स्वातन्त्र्य, प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द, मन-दर्शन, न्यूरोसाइंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता

प्रस्तावना : चेतना मनुष्य के अनुभव का सबसे निकटतम और साथ ही सबसे रहस्यमय तथ्य है। मनुष्य बाह्य जगत् को जानता है, अपने विचारों को अनुभव करता है, सुख-दुःख का अनुभव करता है, अपने अस्तित्व पर विचार करता है और स्वयं को 'मैं' के रूप में पहचानता है। इस सम्पूर्ण अनुभव-संसार के पीछे जो 'जानने' और 'अनुभव करने' की क्षमता कार्य करती है, उसे सामान्यतः चेतना कहा जाता है। किंतु चेतना वास्तव में क्या है? क्या चेतना मस्तिष्क की जैव-रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली एक अवस्था है? क्या यह सूचना-संसाधन की जटिल प्रक्रिया मात्र है? अथवा चेतना स्वयं अस्तित्व का मूल तत्त्व है और पदार्थ उसके भीतर प्रकट होने वाली कोई अवस्था है?

समकालीन दर्शन में यह प्रश्न 'समस्या-ए-चेतना' के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है। आधुनिक विज्ञान ने मस्तिष्क के अनेक कार्यों, न्यूरॉन्स की गतिविधियों तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी व्यक्ति के अनुभव की आत्मगतता अर्थात् 'मैं अनुभव कर रहा हूँ' की अनुभूति को पूर्णतः समझा नहीं जा सका है। इसी कारण चेतना का प्रश्न केवल न्यूरोसाइंस का प्रश्न नहीं रह गया, बल्कि यह दर्शन, मनोविज्ञान, संज्ञान-विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक विस्तृत हो गया है।

भारतीय दर्शन में चेतना का प्रश्न अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है। उपनिषदों से लेकर वेदान्त, सांख्य, बौद्ध, योग तथा शैव परम्परा तक चेतना की प्रकृति पर गहन विचार हुआ है। कश्मीर शैव दर्शन इस विमर्श में विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि यहाँ चेतना को केवल आत्मा की विशेषता नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व की आधारभूत सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है।

कश्मीर शैव दर्शन के त्रिक एवं प्रत्यभिज्ञा परम्परा के प्रमुख आचार्यों में वसुगुप्त, सोमानन्द, उत्पलदेव, अभिनवगुप्त तथा क्षेमराज का विशेष स्थान है। इस परम्परा में परमशिव को 'प्रकाश' और 'विमर्श' से युक्त चैतन्य के रूप में समझाया गया है। परमशिव निष्क्रिय प्रकाश मात्र नहीं हैं; वे स्वयं को जानने वाली, स्वयं में स्पन्दित होने वाली और अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति से विश्व का प्रकाशन करने वाली सत्ता हैं। अतः कश्मीर शैव दर्शन की चेतना सम्बन्धी अवधारणा आधुनिक चेतना-विमर्श के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। यह शोध-पत्र इसी प्रश्न की व्याख्या करता है कि कश्मीर शैव दर्शन चेतना को किस प्रकार समझता है और इस अवधारणा का आधुनिक चेतना-विमर्श से किस प्रकार दार्शनिक संवाद स्थापित किया जा सकता है।

कश्मीर शैव दर्शन की दार्शनिक पृष्ठभूमि- कश्मीर शैव दर्शन भारतीय दार्शनिक परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है जिसका विकास कश्मीर क्षेत्र में हुआ। इसे सामान्यतः त्रिक दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन तथा स्पन्द परम्परा के माध्यम से समझा जाता है। इसके प्रमुख

दार्शनिक स्रोतों में शिवसूत्र, सोमानन्द का शिवदृष्टि, उत्पलदेव की ईश्वरप्रत्यभिज्ञा, अभिनवगुप्त की तन्त्रालोक तथा क्षेमराज की व्याख्याएँ प्रमुख हैं।

कश्मीर शैव दर्शन का मूल प्रतिपादन अद्वैतवादी है। इसके अनुसार शिव और जगत् के बीच वास्तविक द्वैत नहीं है। जगत् शिव से पृथक् कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सम्पूर्ण विश्व शिव की शक्ति का प्रकाशन है। इसलिए यहाँ संसार को केवल बन्धन या मिथ्या के रूप में नहीं देखा जाता। विश्व शिव की चेतनात्मक शक्ति का वास्तविक अभिव्यक्ति-रूप है। इस दर्शन में परम तत्त्व को 'परमशिव' कहा जाता है। परमशिव न केवल अस्तित्व हैं, बल्कि चेतना की पूर्णता हैं। उनमें प्रकाश और विमर्श दोनों विद्यमान हैं। प्रकाश उनके चेतन स्वरूप को व्यक्त करता है और विमर्श उनकी आत्म-जागरूकता तथा आत्म-प्रकाशन की शक्ति को व्यक्त करता है।

यही बिन्दु कश्मीर शैव दर्शन को चेतना के प्रश्न पर अत्यन्त विशिष्ट बनाता है । यहाँ चेतना किसी बाहरी वस्तु को प्रकाशित करने वाली निष्क्रिय शक्ति नहीं है। वह स्वयं को भी जानती है और अपने भीतर प्रकट होने वाले समस्त अनुभवों को भी धारण करती है।

चेतना का स्वरूप : चित् और प्रकाश- कश्मीर शैव दर्शन में चेतना को 'चित्' के रूप में समझा जाता है। परमशिव का मूल स्वरूप चैतन्य है। वह स्वयं-प्रकाशित है। उसे प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे ज्ञान या साधन की आवश्यकता नहीं होती।

जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सामान्यतः यह मानते हैं कि आँख, मस्तिष्क और ज्ञान-प्रक्रिया के माध्यम से वस्तु हमारे सामने आती है। परन्तु कश्मीर शैव दृष्टि इस प्रक्रिया के पीछे एक अधिक मूलभूत प्रश्न उठाती है—इन सभी प्रक्रियाओं को प्रकाशित करने वाली सत्ता क्या है?आँख वस्तु को ग्रहण करती है, मन उसका संज्ञान करता है, बुद्धि उसका निर्णय करती है, परन्तु इन सभी अवस्थाओं का अनुभव किसे होता है? यही चेतना का प्रश्न है।

कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार चेतना स्वयंप्रकाशी है। वह किसी दीपक की तरह केवल दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करती, बल्कि स्वयं भी प्रकाशित है। इसीलिए उसे 'प्रकाश' कहा जाता है। किन्तु केवल प्रकाश पर्याप्त नहीं है। यदि चेतना केवल प्रकाश होती, तो उसमें आत्म-जागरूकता की व्याख्या कठिन होती। इसीलिए शैव दर्शन 'विमर्श' की संकल्पना प्रस्तुत करता है।

प्रकाश और विमर्श- 'प्रकाश' का अर्थ है चेतना का स्वयं प्रकाशित होना तथा वस्तुओं को प्रकाशित करना। 'विमर्श' का अर्थ है उस प्रकाश का आत्म-साक्षात्कार, आत्म-विमर्श और आत्म-प्रत्यवमर्श।

उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को यह ज्ञान हो सकता है कि सामने एक वृक्ष है। यह वृक्ष का ज्ञान है। लेकिन इसके साथ व्यक्ति को यह भी अनुभव होता है कि 'मैं वृक्ष को जान रहा हूँ।' यह 'मैं जान रहा हूँ' की अनुभूति चेतना के विमर्शात्मक पक्ष की ओर संकेत करती है। कश्मीर शैव दर्शन में परमशिव की चेतना इसी प्रकाश-विमर्शात्मक स्वरूप से युक्त है। वह स्वयं को जानती है और अपने भीतर विश्व को अभिव्यक्त करती है।

यहीं से 'अहं' की अवधारणा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शैव दर्शन का 'अहं' सामान्य अहंकार नहीं है। सामान्य अहंकार सीमित व्यक्तित्व का 'मैं' है—'मैं शरीर हूँ', 'मैं अमुक व्यक्ति हूँ', 'यह मेरा है'। इसके विपरीत परमशिव का 'अहम्' सार्वभौम चेतना का आत्मबोध है। इस प्रकार शैव दर्शन में वास्तविक चेतना वह है जिसमें 'अहम्' और 'इदम्' अर्थात् 'मैं' और 'यह' के बीच परम स्तर पर विभाजन नहीं है। सीमित अवस्था में मनुष्य 'मैं' और 'विश्व' को अलग-अलग अनुभव करता है, जबकि परम चेतना में विश्व स्वयं चेतना की अभिव्यक्ति है।

स्वातन्त्र्य : चेतना की सृजनात्मक शक्ति- कश्मीर शैव दर्शन में चेतना का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण गुण 'स्वातन्त्र्य' है। परमशिव पूर्णतः स्वतंत्र हैं। उनकी चेतना किसी बाहरी कारण या पदार्थ पर निर्भर नहीं है।

यह स्वातन्त्र्य केवल राजनीतिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ में नहीं है। यह चेतना की सृजनात्मक शक्ति है। परमशिव अपनी शक्ति के द्वारा स्वयं को विविध रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। इस दृष्टि से सृष्टि किसी बाहरी पदार्थ पर ईश्वर द्वारा की गई यांत्रिक क्रिया नहीं है। विश्व परमशिव की चेतना की स्वातन्त्र्यपूर्ण अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि कश्मीर शैव दर्शन में शक्ति को शिव से पृथक् नहीं माना जाता। शिव चेतना हैं और शक्ति उस चेतना की क्रियाशीलता है। शिव और शक्ति के सम्बन्ध को चेतना और उसकी अभिव्यक्ति के सम्बन्ध के रूप में समझा जा सकता है।

समकालीन चेतना-विमर्श के संदर्भ में यह अवधारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चेतना को निष्क्रिय ग्रहणशीलता के बजाय सृजनात्मक तथा गतिशील सत्ता के रूप में प्रस्तुत करती है।

स्पन्द सिद्धान्त और चेतना की गतिशीलता- कश्मीर शैव दर्शन में 'स्पन्द' की अवधारणा भी चेतना को समझने में महत्वपूर्ण है। 'स्पन्द' का सामान्य अर्थ कम्पन या गति लिया जाता है, लेकिन दार्शनिक अर्थ में यह भौतिक कम्पन नहीं है। यह चेतना की आन्तरिक गतिशीलता का संकेत है।

चेतना पूर्णतः स्थिर जड़ सत्ता नहीं है। उसमें स्वयं को व्यक्त करने और पुनः स्वयं में स्थित होने की क्षमता है। यही चेतना का स्पन्दात्मक स्वरूप है।

मानवीय अनुभव में भी चेतना निरन्तर विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है—जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्मृति, कल्पना, ध्यान आदि। इन अवस्थाओं के परिवर्तन के बावजूद अनुभव की कोई मूलभूत निरन्तरता बनी रहती है। शैव दर्शन इस निरन्तरता को चेतना की गहरी सत्ता से जोड़ता है। इस दृष्टि से मानसिक अवस्थाएँ चेतना की पूर्ण सत्ता नहीं हैं, बल्कि चेतना में घटित होने वाले परिवर्तन हैं।

प्रत्यभिज्ञा और आत्मचेतना- कश्मीर शैव दर्शन की विशिष्ट अवधारणाओं में 'प्रत्यभिज्ञा' का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है—अपने वास्तविक स्वरूप की पुनः पहचान।

मानव सामान्यतः स्वयं को शरीर, मन, सामाजिक पहचान, स्मृतियों और भूमिकाओं के आधार पर पहचानता है। किंतु शैव दर्शन के अनुसार ये सभी सीमित पहचानें हैं। वास्तविक आत्मस्वरूप सार्वभौम चेतना से सम्बद्ध है। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं है। यह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। यहीं कश्मीर शैव दर्शन का मुक्ति-विचार भी जुड़ता है। मुक्ति किसी अन्य लोक की प्राप्ति मात्र नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक चैतन्य स्वरूप की पहचान है।

समकालीन मनोविज्ञान और चेतना-विमर्श में भी 'self-awareness' तथा 'self-recognition' महत्वपूर्ण विषय हैं। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान का self और कश्मीर शैव दर्शन का आत्मस्वरूप समानार्थी नहीं हैं, फिर भी दोनों के बीच संवाद की सम्भावना दिखाई देती है।

सीमित चेतना और मल की अवधारणा- यदि मूल वास्तविकता सार्वभौम चेतना है तो मनुष्य स्वयं को सीमित क्यों अनुभव करता है? कश्मीर शैव दर्शन इस प्रश्न का उत्तर 'मल' तथा अन्य आवरणों की अवधारणा के माध्यम से देता है।

चेतना अपनी पूर्ण सार्वभौमिकता को सीमित अनुभव करती है। परिणामस्वरूप मनुष्य स्वयं को एक सीमित कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता मानने लगता है। आणवमल, मायीयमल और कार्ममल की अवधारणाएँ इस सीमितता को समझाने में सहायक हैं। इनके कारण चेतना अपने वास्तविक सार्वभौमिक स्वरूप को विस्मृत कर सीमित व्यक्तिगत अनुभव में बंध जाती है।

इस प्रकार बन्धन का मूल कारण चेतना का नष्ट होना नहीं, बल्कि उसकी सीमित अभिव्यक्ति और आत्मस्वरूप की विस्मृति है।

समकालीन चेतना-विमर्श- आधुनिक पश्चिमी दर्शन में चेतना का प्रश्न मन-शरीर समस्या से जुड़ा है। डेसकार्ट के द्वैतवाद ने मन और शरीर को दो भिन्न प्रकार की सत्ताओं के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद भौतिकवाद, व्यवहारवाद, कार्यात्मकतावाद तथा विभिन्न संज्ञानात्मक सिद्धान्त विकसित हुए।

आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में चेतना के अध्ययन का एक बड़ा हिस्सा मस्तिष्कीय प्रक्रियाओं पर केन्द्रित है। न्यूरोसाइंस यह जानने का प्रयास करता है कि किस प्रकार न्यूरल गतिविधियाँ अनुभव, ध्यान, स्मृति और आत्म-जागरूकता से सम्बद्ध हैं।

किन्तु यहाँ एक दार्शनिक कठिनाई बनी रहती है। यदि मस्तिष्क में विद्युत-रासायनिक प्रक्रियाओं का विवरण पूरी तरह उपलब्ध हो जाए, तब भी यह प्रश्न शेष रह सकता है कि उन प्रक्रियाओं से 'अनुभव' क्यों उत्पन्न होता है।

इसी समस्या को आधुनिक दर्शन में 'hard problem of consciousness' कहा जाता है। चेतना का आत्मगत अनुभव—जैसे रंग को देखना, पीड़ा को अनुभव करना या आनंद का अनुभव करना—सिर्फ बाहरी व्यवहार के आधार पर पूर्णतः समझाना कठिन प्रतीत होता है।

यहीं कश्मीर शैव दर्शन एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। उसके अनुसार अनुभव को उत्पन्न करने वाली मूल सत्ता चेतना स्वयं है। इसलिए 'चेतना पदार्थ से कैसे उत्पन्न होती है?' के बजाय प्रश्न को उलटकर देखा जा सकता है—'पदार्थ और भौतिक अनुभव चेतना के भीतर किस प्रकार प्रकट होते हैं?'

कश्मीर शैव दर्शन और भौतिकवाद- समकालीन वैज्ञानिक चेतना-विमर्श में एक प्रभावशाली मत यह है कि चेतना मस्तिष्क की जटिल गतिविधियों से उत्पन्न होती है। इस दृष्टि में यदि मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को पर्याप्त रूप से समझ लिया जाए तो चेतना की व्याख्या संभव हो सकती है।

कश्मीर शैव दर्शन इस आधारभूत धारणा को स्वीकार नहीं करता। उसके अनुसार मस्तिष्क चेतना का उत्पाद या अभिव्यक्ति का उपकरण हो सकता है, परन्तु चेतना का मूल स्रोत मस्तिष्क नहीं है।

यहाँ दोनों दृष्टियों में मौलिक अन्तर है। भौतिकवादी दृष्टिकोण में पदार्थ प्राथमिक और चेतना द्वितीयक है, जबकि कश्मीर शैव दर्शन में चेतना प्राथमिक और विश्व उसकी अभिव्यक्ति है।

हालाँकि यह कहना उचित नहीं होगा कि कश्मीर शैव दर्शन आधुनिक न्यूरोसाइंस को खण्डित कर देता है। न्यूरोसाइंस मस्तिष्क और अनुभव के बीच सम्बन्धों का अध्ययन करता है, जबकि शैव दर्शन चेतना की तत्त्वमीमांसात्मक प्रकृति पर विचार करता है। दोनों के प्रश्नों के स्तर अलग हो सकते हैं।

चेतना और आत्मानुभव- कश्मीर शैव दर्शन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वह चेतना को केवल बाह्य वस्तुओं के ज्ञान तक सीमित नहीं करता। चेतना स्वयं का भी अनुभव करती है।

मनुष्य जब कहता है—'मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ'—तो यहाँ चेतना का आत्म-सन्दर्भित स्वरूप दिखाई देता है। यही आत्मविमर्श आधुनिक चेतना-विमर्श के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संज्ञानात्मक विज्ञान में भी यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी मशीन में केवल सूचना-संसाधन की क्षमता होने से उसे सचेत कहा जा सकता है? यदि कोई मशीन भाषा समझती हुई प्रतीत होती है, निर्णय लेती है और मानव-सदृश व्यवहार करती है, तो क्या उसके भीतर वास्तविक अनुभव भी है?

कश्मीर शैव दृष्टि से केवल व्यवहार या सूचना-प्रसंस्करण चेतना की पूर्ण परिभाषा नहीं हो सकते। चेतना का वास्तविक लक्षण आत्मप्रकाश और आत्मविमर्श है। यह दृष्टिकोण आधुनिक AI विमर्श में एक गम्भीर दार्शनिक प्रश्न प्रस्तुत करता है—क्या computational intelligence और consciousness समान हैं?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में शैव दर्शन- वर्तमान युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने चेतना के प्रश्न को और अधिक जटिल बना दिया है। मशीनें भाषा का विश्लेषण कर सकती हैं, चित्रों को पहचान सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं और मनुष्य के साथ संवाद कर सकती हैं।किन्तु इन क्षमताओं से यह सिद्ध नहीं होता कि मशीनों में मानव के समान आत्मगत अनुभव मौजूद है।

शैव दर्शन के प्रकाश-विमर्श सिद्धान्त से इस प्रश्न को एक नए ढंग से देखा जा सकता है। सूचना का प्रसंस्करण और चेतना एक ही वस्तु नहीं हैं। किसी प्रणाली में सूचना का संगठन हो सकता है, लेकिन उससे आत्मप्रकाश या आत्मानुभूति आवश्यक रूप से सिद्ध नहीं होती। इसलिए शैव दर्शन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामने 'क्या मशीन सोच सकती है?' के साथ-साथ 'क्या मशीन अनुभव कर सकती है?' तथा 'क्या मशीन स्वयं को जान सकती है?' जैसे प्रश्न भी रखता है।

यद्यपि यह निष्कर्ष सावधानीपूर्वक लिया जाना चाहिए। कश्मीर शैव दर्शन आधुनिक AI की वैज्ञानिक जाँच का प्रत्यक्ष सिद्धान्त नहीं है। वह चेतना की तत्त्वमीमांसा के स्तर पर AI से सम्बन्धित प्रश्नों को अधिक गहराई से देखने की दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है।

चेतना, जगत् और समग्र दृष्टिकोण- कश्मीर शैव दर्शन का एक अन्य महत्त्वपूर्ण योगदान उसका समग्र विश्व-दृष्टिकोण है। यदि सम्पूर्ण जगत् चेतना की अभिव्यक्ति है तो प्रकृति, मानव और विश्व के बीच पूर्ण अलगाव की धारणा कमजोर हो जाती है।

समकालीन युग में मनुष्य और प्रकृति के बीच बढ़ता हुआ संघर्ष पर्यावरणीय संकट का एक कारण माना जाता है। शैव दृष्टिकोण में जगत् को केवल उपभोग की वस्तु मानने के बजाय उसे चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में देखने की सम्भावना है।

यह दृष्टिकोण आधुनिक पर्यावरणीय नैतिकता के लिए प्रेरक हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शैव दर्शन सीधे आधुनिक पर्यावरण नीति का निर्माण कर देता है, बल्कि यह मनुष्य और प्रकृति के सम्बन्ध को देखने के लिए एक अलग दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है।

चेतना और स्वतंत्रता- समकालीन मानव जीवन में स्वतंत्रता एक प्रमुख मूल्य है। व्यक्ति अपनी पहचान, विचार और जीवन-निर्णयों में स्वतंत्रता चाहता है। कश्मीर शैव दर्शन में 'स्वातन्त्र्य' इससे अधिक गहरे तत्त्वमीमांसात्मक अर्थ में प्रयुक्त होता है।

परमशिव का स्वातन्त्र्य चेतना की मूल सृजनात्मक शक्ति है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसी सार्वभौम चेतना से सम्बद्ध होने के कारण उसमें भी स्वतंत्रता की सम्भावना निहित है। परन्तु सामान्य मनुष्य अपनी सीमित पहचान के कारण पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, तब चेतना की स्वतंत्रता का अनुभव सम्भव होता है।

इस प्रकार शैव दर्शन में मुक्ति और स्वतंत्रता परस्पर सम्बद्ध हैं। मुक्ति बाहरी परिस्थितियों में परिवर्तन मात्र नहीं, बल्कि चेतना के स्वरूप की पहचान है।

कश्मीर शैव दर्शन और समकालीन मनोवैज्ञानिक विमर्श- समकालीन मनोविज्ञान में आत्मबोध, self-awareness, identity, attention, perception और altered states of consciousness जैसे विषयों पर व्यापक शोध हो रहा है।

कश्मीर शैव दर्शन इन विषयों के लिए एक दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान कर सकता है। विशेष रूप से प्रत्यभिज्ञा की अवधारणा व्यक्ति की गहरी आत्म-पहचान के प्रश्न को सामने लाती है।

आधुनिक मनोवैज्ञानिक 'self' को व्यक्तित्व, स्मृति, सामाजिक सम्बन्ध और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संदर्भ में समझते हैं। कश्मीर शैव दर्शन इससे आगे जाकर पूछता है कि इन सभी प्रक्रियाओं का साक्षी या आधार क्या है?

यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक है। शैव दर्शन की आध्यात्मिक अनुभूति को आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जा सकता। दोनों की पद्धतियाँ भिन्न हैं। फिर भी दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन चेतना के प्रश्न को बहुआयामी ढंग से समझने में सहायक हो सकता है।

समकालीन चेतना-विमर्श के लिए कश्मीर शैव दर्शन की प्रासंगिकता- कश्मीर शैव दर्शन की प्रासंगिकता को निम्न व्यापक दार्शनिक प्रश्नों में समझा जा सकता है।

1. यह चेतना को मूलभूत सत्ता मानने का विकल्प प्रस्तुत करता है। इससे चेतना को केवल पदार्थ का उपोत्पाद मानने वाली धारणाओं के साथ दार्शनिक संवाद सम्भव होता है।
2. यह चेतना को आत्मविमर्शी मानता है। इससे subjective experience और self-awareness के प्रश्न को नई दृष्टि से देखा जा सकता है।
3. यह चेतना को गतिशील और सृजनात्मक मानता है। स्पन्द और स्वातन्त्र्य की अवधारणाएँ चेतना को निष्क्रिय प्रकाश के बजाय सक्रिय अभिव्यक्ति के रूप में समझती हैं।
4. प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त चेतना के प्रश्न को आत्म-पहचान और अस्तित्वगत अनुभव से जोड़ता है।
5. शिव और शक्ति की अभिन्नता के माध्यम से चेतना और उसकी अभिव्यक्ति के सम्बन्ध को समझने की सम्भावना विकसित होती है।

निष्कर्ष- कश्मीर शैव दर्शन में चेतना कोई आकस्मिक या गौण सत्ता नहीं है। वह सम्पूर्ण अस्तित्व का मूल आधार है। परमशिव स्वयं चैतन्यस्वरूप हैं और उनका स्वरूप प्रकाश तथा विमर्श से सम्पन्न है। प्रकाश चेतना की स्वयंप्रकाशिता को व्यक्त करता है, जबकि विमर्श उसकी आत्म-जागरूकता और आत्म-प्रत्यवमर्श का प्रतीक है ।शैव दर्शन का स्वातन्त्र्य सिद्धान्त चेतना को सृजनात्मक और गतिशील सत्ता के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि स्पन्द सिद्धान्त उसकी आन्तरिक गति और अभिव्यक्ति को स्पष्ट करता है। प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन को अपने वास्तविक चैतन्य स्वरूप की पहचान से जोड़ता है।

समकालीन चेतना-विमर्श में मुख्य प्रश्न यह है कि चेतना मस्तिष्क और पदार्थ से किस प्रकार सम्बन्धित है तथा subjective experience की वास्तविक प्रकृति क्या है। कश्मीर शैव दर्शन इस प्रश्न के सामने एक मौलिक वैकल्पिक दृष्टिकोण रखता है—चेतना पदार्थ से उत्पन्न होने वाली द्वितीयक घटना नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की आधारभूत सत्ता है। इस दृष्टिकोण का आधुनिक न्यूरोसाइंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ प्रत्यक्ष वैज्ञानिक समन्वय अभी सिद्ध नहीं है। फिर भी दार्शनिक स्तर पर यह दृष्टि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह चेतना को केवल computation, neural activity या information processing तक सीमित करने के बजाय आत्मप्रकाश, आत्मविमर्श और अस्तित्व के मूल प्रश्न से जोड़ती है।

विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्तमान युग में यह प्रश्न और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है कि बुद्धिमत्ता और चेतना में क्या अन्तर है। कोई प्रणाली सूचना को संसाधित कर सकती है, भाषा का प्रयोग कर सकती है और मानव-सदृश व्यवहार कर सकती है, फिर भी इससे यह स्वतः सिद्ध नहीं होता कि उसमें आत्मगत अनुभव है। कश्मीर शैव दर्शन इस भेद को समझने के लिए 'प्रकाश-विमर्श' की अवधारणा प्रदान करता है। अतः कहा जा सकता है कि कश्मीर शैव दर्शन की चेतना सम्बन्धी अवधारणा समकालीन चेतना-विमर्श में एक वैकल्पिक भारतीय दार्शनिक प्रतिमान के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह चेतना को केवल मनुष्य के भीतर स्थित मानसिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि अस्तित्व की व्यापक आधारभूत सत्ता के रूप में देखता है। इस दृष्टि से कश्मीर शैव दर्शन आधुनिक मनुष्य के सामने उपस्थित 'चेतना क्या है?' के प्रश्न को 'हम वास्तव में कौन हैं?' और 'अस्तित्व का मूल स्वरूप क्या है?' जैसे अधिक व्यापक दार्शनिक प्रश्नों से जोड़ देता है। इस प्रकार कश्मीर शैव दर्शन का अध्ययन केवल भारतीय दर्शन के इतिहास को समझने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में चेतना, आत्मबोध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनुष्य की स्वतंत्रता तथा मानव-अस्तित्व के प्रश्नों पर एक गम्भीर वैकल्पिक दार्शनिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भी उपयोगी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा, लक्ष्मीनिधि, Kashmir Saivisml भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, 1972.
2. सिंह, जयदेव, शिवसूत्र, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली।
3. रस्तोगी, नवजीवन, कश्मीर शिवाद्वयवाद की मूल अवधारणाएँ, मुंशीराम मनोहरलाल, नई दिल्ली, 2002.
4. मिश्रा, कैलाशपति, कश्मीर शैव दर्शन : मूल सिद्धांत, प्रदर्शनेश्वर प्रकाशन, वाराणसी, 1982.
5. वसुगुप्त, शिवसूत्र, जयदेव सिंह (अनूदित एवं व्याख्यायित), मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली।

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

नव-लोक प्रबंधन एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी

चंद्रप्रकाश मौर्य
शोध अध्येता – राजनीति विज्ञान विभाग
अलीगढ मुश्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ (उ०प्र०)

PP.N0- 17-21 **Received: 02.08.2026** **Accepted:12.08.2026** **Email: cpmaurya97@gmail.com**

सारांश: पारंपरिक वेबेरियन नौकरशाही मॉडल की कठोरता, नियमबद्धता और अकुशलता के विकल्प के रूप में 1980 के दशक के उत्तरार्ध में नव-लोक प्रबंधन (NPM) का प्रादुर्भाव हुआ। NPM ने निजी क्षेत्र की प्रबंधकीय तकनीकों, बाजार-आधारित प्रतिस्पर्धा, परिणाम-उन्मुखता और लागत-प्रभावशीलता (Efficiency, Economy, Effectiveness) को लोक प्रशासन के मूल में स्थापित किया। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership - PPP) इस प्रबंधकीय प्रतिमान के सबसे प्रमुख और व्यावहारिक साधन के रूप में उभरी।

प्रस्तुत शोध पत्र NPM के सैद्धांतिक आधारों—विशेष रूप से पब्लिक च्वाइस थ्योरी (Public Choice Theory), प्रिंसिपल-एजेंट थ्योरी (Principal-Agent Theory) और ट्रांजेक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक्स (Transaction Cost Economics)—के आलोक में PPP की संरचना, प्रभावकारिता, तथा अंतर्निहित अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करता है। पत्र यह परीक्षण करता है कि क्या सामाजिक और आधारभूत संरचना क्षेत्रों में निजी पूंजी तथा विशेषज्ञता का समावेशन लोकतांत्रिक जवाबदेही, सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों को गौण बनाता है। अंत में, यह विमर्श प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान समय में NPM से आगे बढ़कर 'न्यू पब्लिक गवर्नेंस' (NPG) और 'डिजिटल एरा गवर्नेंस' (DEG) के अंतर्गत PPP को किस प्रकार पुनः संरेखित करने की आवश्यकता है।

कुंजीभूत शब्द : नव-लोक प्रबंधन (NPM), सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), लोक च्वाइस सिद्धांत, प्रशासनिक जवाबदेही

प्रस्तावना : बीसवीं शताब्दी के अधिकांश भाग में मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श नौकरशाही का प्रतिमान वैश्विक लोक प्रशासन का केंद्रबिंदु रहा। पदानुक्रम, नियमों की सर्वोच्चता, कार्य-विभाजन, योग्यता-आधारित चयन और तटस्थता इस मॉडल की पहचान थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लोक-कल्याणकारी राज्य (Welfare State) के विस्तार ने राज्य की आर्थिक और सामाजिक भूमिका को अत्यधिक विस्तृत कर दिया। राज्य स्वयं उत्पादक, वितरक और नियामक की भूमिका में आ गया।

किंतु 1970 के दशक के तेल संकट, वैश्विक आर्थिक मंदी, राजकोषीय घाटे और कल्याणकारी राज्य के वित्तीय अति-विस्तार (Over-extension of the State) ने वेबेरियन मॉडल की सीमाओं को उजागर कर दिया। नौकरशाही पर लालफीताशाही, कार्य-अकुशलता, नवाचार के अभाव, आत्म-हितकारी व्यवहार और नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनहीनता के गंभीर आरोप लगे।

1980 के दशक में ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर (थैचरिज़्म) और संयुक्त राज्य अमेरिका में रोनाल्ड रीगन (रीगनॉमिक्स) के नेतृत्व में एक नव-उदारवादी (Neo-liberal) आर्थिक प्रतिमान का उदय हुआ। इसी राजनीतिक-आर्थिक संक्रमण से लोक प्रशासन के क्षेत्र में जिस नई प्रशासनिक दर्शन का जन्म हुआ, उसे क्रिस्टोफर हुड (1991) ने 'नव-लोक प्रबंधन' (New Public Management - NPM) का नाम दिया। डेविड ऑसबॉर्न और टेड गेबलर ने अपनी ऐतिहासिक कृति रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट (1992) में इसे "सरकार को व्यावसायिक सिद्धांतों पर चलाने" और राज्य को "नाव चलाने (rowing) के बजाय केवल दिशा देने (steering)" के विचार के रूप में परिभाषित किया।

इस दार्शनिक पुनर्संरचना में, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) राज्य की संकुचित होती राजकोषीय क्षमता और निजी क्षेत्र के पूंजीगत व प्रबंधकीय संसाधनों के बीच एक सेतु बनकर उभरी। PPP मात्र एक वित्तीय उपकरण नहीं रहा, बल्कि यह राज्य द्वारा सार्वजनिक सेवाओं के संविदाकरण (Contracting-out) और बाजारीकरण का संस्थागत माध्यम बन गया।

नव-लोक प्रबंधन: वैचारिक एवं सैद्धांतिक नींव- नव-लोक प्रबंधन कोई एकल, सजातीय सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह नव-क्लासिकल अर्थशास्त्र और निजी क्षेत्र के आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों का एक सैद्धांतिक सम्मिश्रण है। इसकी बौद्धिक जड़ें तीन प्रमुख आर्थिक सिद्धांतों में गहराई से समाहित हैं:

पब्लिक च्वाइस थ्योरी: जेम्स बुकानन और गॉर्डन टुलॉक द्वारा विकसित यह सिद्धांत मानता है कि नौकरशाह और राजनीतिज्ञ परोपकारी नहीं होते; वे भी बाजार के अन्य आर्थिक एजेंटों की भांति 'तर्कसंगत स्व-हितकारी' (Rational Self-interested) प्राणी होते हैं। वे लोकहित के स्थान पर अपने बजट, शक्ति, प्रतिष्ठा और प्रभाव को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। NPM ने इस सिद्धांत के आधार पर तर्क दिया कि नौकरशाही के एकाधिकार को तोड़ा जाना चाहिए और सार्वजनिक सेवाओं में बाजार जैसी प्रतिस्पर्धा का समावेश अनिवार्य है।

प्रिंसिपल-एजेंट थ्योरी : यह सिद्धांत अनुबंध संबंधी संबंधों का विश्लेषण करता है जहाँ एक पक्ष (प्रिंसिपल) दूसरे पक्ष (एजेंट) को अपने लिए कार्य करने हेतु नियुक्त करता है। यहाँ सूचना की विषमता (Information Asymmetry) और हितों का टकराव प्रमुख समस्याएँ हैं। NPM के अंतर्गत, राज्य स्वयं को 'प्रिंसिपल' मानता है और निजी सेवा प्रदाताओं या स्वायत्त एजेंसियों को 'एजेंट' के रूप में देखता है। सुदृढ़ संविदात्मक शर्तों, स्पष्ट प्रदर्शन संकेतकों और प्रोत्साहन तंत्र के माध्यम से एजेंट के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है।

ट्रांजेक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक्स (TCE) : ओलिवर विलियमसन द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर ढूंढता है कि किसी सेवा का उत्पादन संगठन के भीतर किया जाना चाहिए या बाजार से खरीदा जाना चाहिए ('मेक ऑर बाय' निर्णय)। NPM यह मानता है कि प्रतिस्पर्धी बाजार में लेनदेन की लागत (खोज, अनुबंध और प्रवर्तन लागत) वेबेरियन इन-हाउस नौकरशाही को बनाए रखने की लागत से कम हो सकती है, बशर्ते विनियामक ढांचा मजबूत हो।

क्रिस्टोफर हुड के सात प्रशासनिक सिद्धांत: क्रिस्टोफर हुड (1991) ने NPM के सात मुख्य घटकों को संकलित किया, जो इसके व्यावहारिक चरित्र को स्पष्ट करते हैं:

- व्यावसायिक प्रबंधन (Hands-on professional management): प्रबंधकों को अपने विवेकानुसार निर्णय लेने की छूट प्रदान करना।
- प्रदर्शन के स्पष्ट मानक और संकेतक (Explicit standards and measures): अमूर्त लक्ष्यों के स्थान पर मापने योग्य परिणाम तय करना।
- परिणामों पर नियंत्रण (Emphasis on output controls): प्रक्रियाओं और इनपुट के बजाय वास्तविक आउटपुट और परिणामों पर वित्तीय आवंटन केंद्रित करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विखंडन (Disaggregation of units): एकीकृत विशाल मंत्रालयों को तोड़कर स्वतंत्र, स्वायत्त कार्यकारी एजेंसियों का निर्माण करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा (Greater competition): सार्वजनिक और निजी सेवा प्रदाताओं के बीच खुली निविदाएं और संविदात्मक प्रतियोगिता लागू करना।
- निजी क्षेत्र की प्रबंधकीय शैलियों का अंगीकरण (Private sector styles of management practice): अल्पकालिक अनुबंध, प्रदर्शन-आधारित वेतन और लचीले श्रम नियम लागू करना।
- संसाधनों के प्रयोग में मितव्ययिता (Stress on greater discipline and parsimony): सीमित संसाधनों में अधिकतम उत्पादकता हासिल करने की वित्तीय प्रतिबद्धता।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): अवधारणात्मक एवं संविदात्मक ढांचा- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) सार्वजनिक प्राधिकरण और एक या अधिक निजी संस्थाओं के बीच दीर्घकालिक संविदात्मक व्यवस्था है। इसमें पारंपरिक खरीद (Procurement) के विपरीत, निजी साझेदार न केवल निर्माण करता है, बल्कि वित्तपोषण, डिजाइन, संचालन और रख-रखाव का दायित्व भी उठाता है।

विश्व बैंक के अनुसार, PPP सार्वजनिक अवसंरचना या सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान हेतु एक संविदात्मक समझौता है, जिसमें निजी क्षेत्र पर्याप्त जोखिम और प्रबंधन की जिम्मेदारी वहन करता है, और पारिश्रमिक सीधे प्रदर्शन से जुड़ा होता है।

PPP के प्रमुख संविदात्मक मॉडल

- BOT (Build-Operate-Transfer): निजी पक्ष अवसंरचना का निर्माण और परिचालन करता है तथा निर्धारित रियायत अवधि समाप्त होने पर परिसंपत्ति सरकार को सौंप देता है।
- BOOT (Build-Own-Operate-Transfer): निजी पक्ष रियायत अवधि के दौरान परिसंपत्ति का कानूनी स्वामित्व भी बनाए रखता है और अवधि पूरी होने पर स्वामित्व हस्तांतरित करता है।
- DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-Transfer): परियोजना के डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण का संपूर्ण जीवन-चक्र निजी डेवलपर द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- HAM (Hybrid Annuity Model): सरकार और निजी निवेशक के बीच वित्तीय जोखिम को साझा किया जाता है, जिसमें सरकार निश्चित वार्षिकी भुगतान (Annuity) देती है और मांग जोखिम राज्य वहन करता है।

- Concession (दीर्घकालिक रियायत पट्टा): मौजूदा सार्वजनिक परिसंपत्ति को आधुनिक बनाने और संचालित करने का अधिकार निजी क्षेत्र को एक निर्धारित शुल्क या राजस्व-साझेदारी के आधार पर दिया जाता है।

NPM का व्यावहारिक विस्तार: PPP केवल परियोजना वित्तपोषण की तकनीक नहीं है; यह NPM के मूल दर्शन का मूर्त रूप है:

दिशा देना बनाम परिचालन करना : राज्य नीति-निर्धारण, मानक-तय करने और विनियमन तक सीमित रहता है, जबकि भौतिक निष्पादन और सेवा-प्रदाय निजी साझेदार के पास चला जाता है।

जोखिम अंतरण (Risk Transfer): निर्माण जोखिम, समय में विलंब की लागत, परिचालन जोखिम और मांग से जुड़े वित्तीय जोखिमों को निजी क्षेत्र की ओर मोड़ दिया जाता है।

जीवन-चक्र लागत : डिजाइन, निर्माण और दीर्घकालिक रख-रखाव को एक ही अनुबंध में बांधने से निजी पक्ष निर्माण की गुणवत्ता से समझौता नहीं करता, क्योंकि भविष्य की मरम्मत का व्यय भी उसी का होता है।

उपयोगकर्ता भुगतान का सिद्धांत : सेवाओं के वित्तीय पोषण हेतु कर-आधारित राजस्व के स्थान पर सीधे सेवा प्राप्तकर्ता से 'उपयोगकर्ता शुल्क' वसूलने की परिपाटी स्थापित होती है ।

तुलनात्मक विमर्श: पारंपरिक प्रशासन बनाम NPM और PPP- प्रशासनिक प्रतिमानों का यह संक्रमण संरचनात्मक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर परिलक्षित हुआ है:

सामाजिक आधार: पारंपरिक प्रशासन राजनीतिक, विधि के शासन और व्यापक लोकहित पर आधारित था, जबकि NPM-PPP प्रतिमान नव-संस्थागत अर्थशास्त्र और बाजार प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है।

नागरिक की संकल्पना: पारंपरिक मॉडल व्यक्ति को संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक कर्तव्यों से युक्त 'नागरिक' मानता है, जबकि नया प्रतिमान उसे चयन की स्वतंत्रता और क्रय शक्ति से युक्त 'ग्राहक या उपभोक्ता' के रूप में देखता है।

शासन की प्राथमिक इकाई: पारंपरिक व्यवस्था में पदानुक्रमित एवं एकीकृत मंत्रालय कार्य करते थे, जबकि वर्तमान व्यवस्था स्वायत्त एजेंसियों, विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs) और निजी ठेकेदारों के नेटवर्क पर निर्भर है।

जवाबदेही का स्वरूप: पारंपरिक प्रणाली में राजनीतिक जवाबदेही (संसद, मंत्री और न्यायिक प्रक्रिया) सर्वोपरि थी, जबकि NPM-PPP व्यवस्था में प्रबंधकीय और संविदात्मक जवाबदेही (सेवा स्तर समझौते और प्रदर्शन संकेतक) प्राथमिक हैं।

वित्तीय ढांचा: पारंपरिक मॉडल कर-राजस्व और बजटीय आवंटन पर चलता था, जबकि नया प्रतिमान निजी पूंजी निवेश, परियोजना वित्तपोषण और प्रत्यक्ष यूजर-फीस पर आधारित है।

प्राथमिक मूल्य: पारंपरिक प्रशासन समानता, निष्पक्षता और प्रक्रियागत शुचिता को प्राथमिकता देता था, जबकि नया ढांचा दक्षता (Efficiency), मितव्ययिता (Economy) और प्रभावशीलता (Effectiveness) को केंद्र में रखता है।

समकालीन अनुभव एवं केस स्टडीज: भारत और वैश्विक परिप्रेक्ष्य

भारतीय परिप्रेक्ष्य: 1991 के आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारत ने भी क्रमिक रूप से NPM और PPP की दिशा में कदम बढ़ाए। 2000 के दशक में योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के अधीन बुनियादी ढांचा प्रभाग की स्थापना के साथ PPP को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला।

सफल कार्यान्वयन-

- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास (NHAI): राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने BOT और DBFOT मॉडल के जरिए निजी निवेश को आकर्षित किया, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर सड़क नेटवर्क के विस्तार और गुणवत्ता में उल्लेखनीय तेजी आई।
- नागर विमानन क्षेत्र: दिल्ली (DIAL), मुंबई (MIAL), और हैदराबाद हवाई अड्डों का PPP मॉडल के तहत पुनरुद्धार हुआ, जिसने परिचालन दक्षता और विश्व स्तरीय सुविधाओं की स्थापना में निजी क्षेत्र की क्षमता को सिद्ध किया।

विफलताएं और संरचनात्मक रुकावटें-

- अवरुद्ध परियोजनाएं और एनपीए: 2012-2018 के दौरान भारत में कई ऊर्जा और राजमार्ग परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण में अड़चनों, पर्यावरणीय स्वीकृतियों में देरी और निजी कंपनियों की अत्यधिक आक्रामक बोलियों (Aggressive Bidding) के कारण ऋण संकट में फंस गईं। वास्तविक यातायात निजी अनुमानों से काफी कम रहा, जिससे बैंकों पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का भारी बोझ पड़ा।

- केल्कर समिति की समीक्षा (2015): विजय केल्कर समिति ने रेखांकित किया कि भारत में PPP को केवल "वित्तीय कमी को पाटने" के अस्थायी उपाय के रूप में देखा गया। समिति ने अनुशंसित किया कि जोखिमों का आवंटन उसी पक्ष पर होना चाहिए जो उन्हें सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सके, विवाद निपटान तंत्र को सुदृढ़ किया जाए और बदले हुए आर्थिक संदर्भों में अनुबंधों के पुनर्गठन (Renegotiation) का पारदर्शी प्रावधान होना चाहिए।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य: ब्रिटेन का PFI अनुभव- यूनाइटेड किंगडम, जिसे NPM और PPP (विशेष रूप से प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव - PFI) की जन्मभूमि माना जाता है, का अनुभव इस मॉडल के संरचनात्मक संकट को रेखांकित करता है:

1990 के दशक से ब्रिटेन ने अस्पतालों, स्कूलों और कारागारों के निर्माण में PFI का व्यापक प्रयोग किया ताकि सरकार के प्रत्यक्ष उधारी आंकड़ों को कम रखा जा सके।

कैरिलियन (Carillion) संकट (2018): ब्रिटेन की विशाल आउटसोर्सिंग कंपनी कैरिलियन का दिवालिया होना NPM-PPP मॉडल के लिए गंभीर आघात था। अत्यधिक वित्तीय लीवरेज और अवास्तविक लागत अनुमानों के कारण कंपनी ध्वस्त हो गई, जिससे कई सार्वजनिक अस्पताल और परिवहन परियोजनाएं अधर में लटक गईं और सरकार को आपातकालीन वित्तीय सहायता देनी पड़ी।

ब्रिटिश नेशनल ऑडिट ऑफिस (NAO) की रिपोर्टों ने पुष्टि की कि PFI अनुबंधों के जरिए पूंजीगत ऋण तो सरकारी बही-खातों से हट गया, लेकिन दीर्घकालिक रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) को निजी ऑपरेटरों को अत्यधिक महंगे वार्षिक शुल्क देने पड़े, जिससे सार्वजनिक वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

आलोचनात्मक एवं सैद्धांतिक अंतर्विरोध- NPM और PPP के व्यावहारिक अनुभवों ने कई सैद्धांतिक और नैतिक अंतर्विरोधों को जन्म दिया है, जिसे प्रशासनिक सिद्धांतकार लोक प्रशासन की 'लोकतांत्रिक कमी') कहते हैं।

संविदात्मक अपूर्णता (Incomplete Contracts): अर्थशास्त्री ओलिवर हार्ट (नोबेल पुरस्कार 2016) ने स्थापित किया कि 20 से 30 वर्षों की भविष्य की अनिश्चितताओं को किसी कानूनी दस्तावेज में पूर्णतः समाहित करना असंभव है। जब अप्रत्याशित वित्तीय संकट, भू-राजनीतिक उथल-पुथल या नीतियां बदलती हैं, तो निजी ऑपरेटर अक्सर काम रोक देते हैं या सरकार पर 'बेलआउट' पैकेज के लिए दबाव बनाते हैं। इसे अर्थशास्त्र में 'होल्ड-अप समस्या' (Hold-up Problem) कहा जाता है।

लोकतांत्रिक जवाबदेही का क्षरण: पारंपरिक प्रशासन में नौकरशाही विधायिका और न्यायिक जांच के प्रति उत्तरदायी होती है। PPP मॉडल में यह जवाबदेही 'व्यावसायिक गोपनीयता' के आवरण में छिप जाती है। सार्वजनिक सेवाओं में विफलता होने पर निजी पक्ष अनुबंध की सीमाओं का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेता है, जबकि सरकारी संस्थाएं परिचालन नियंत्रण न होने का तर्क देती हैं। इससे नागरिकों के प्रति सीधी जवाबदेही का लोप हो जाता है।

समानता और सार्वभौमिक पहुंच का संकट: बाजार का प्राथमिक तर्क लाभ अर्जन है, जबकि लोक प्रशासन का आधार समानता और सामाजिक न्याय है। PPP व्यवस्था में निजी प्रदाता 'चेरी-पिकिंग' (Cream-Skimming) करते हैं—वे केवल घनी आबादी और उच्च आय वाले क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं जहाँ मुनाफा तय हो। ग्रामीण, दूरदराज या आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में निजी निवेश नहीं पहुंचता। यदि सरकार वहाँ निजी प्रदाताओं को गारंटी देती है, तो वित्तीय जोखिम अंततः आम करदाताओं पर ही आ पड़ता है।

सार्वजनिक मूल्य बनाम वित्तीय मितव्ययिता

मार्क मूर (1995) ने अपनी कृति क्रिएटिंग पब्लिक वैल्यू में यह सिद्ध किया कि सरकार का दायित्व केवल लागत बचाना नहीं है, बल्कि समाज में 'सार्वजनिक मूल्य' का निर्माण करना है। सार्वजनिक मूल्य में सामाजिक सद्भाव, मानवीय गरिमा, निष्पक्षता और पर्यावरणीय संतुलन शामिल हैं। NPM और PPP ने प्रशासन को केवल वित्तीय संकेतकों तक सीमित कर इन गैर-मौद्रिक, आवश्यक मानवीय मूल्यों को परिधि पर धकेल दिया।

भविष्यगामी दिशा: NPG एवं डिजिटल-युग शासन- NPM और पारंपरिक PPP मॉडल की सीमाओं के समाधान हेतु 21वीं सदी में नए सैद्धांतिक दृष्टिकोण सामने आए हैं:

न्यू पब्लिक गवर्नेंस (New Public Governance – NPG) : स्टीफन ऑसबॉर्न (2006) द्वारा प्रतिपादित NPG का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट और संरचनात्मक गरीबी जैसी बहुआयामी समस्याओं का समाधान न तो केवल राज्य की नौकरशाही कर सकती है और न ही केवल प्रतिस्पर्धी बाजार। NPG 'नेटवर्क गवर्नेंस' पर बल देता है, जहाँ राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और स्वयं नागरिक सह-उत्पादक (Co-producers) के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ PPP का स्वरूप संकीर्ण संविदात्मक सौदेबाजी से बदलकर 'सहयोगात्मक मूल्य-सृजन' (Collaborative Value Creation) में परिवर्तित हो जाता है।

डिजिटल-एरा गवर्नेंस (Digital Era Governance - DEG): पैट्रिक डनलिवी (2006) का मत है कि NPM द्वारा किए गए प्रशासनिक विखंडन (Agencification) ने विभागों के बीच समन्वय को कमजोर किया है। डिजिटल-एरा गवर्नेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स,

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एकीकृत डेटा प्रणालियों के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र के पुन: एकीकरण (Reintegration) पर बल देता है। समकालीन PPP अब केवल सड़कों या भवनों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्मार्ट गवर्नेंस, डेटा केंद्रों और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) तक विस्तृत हो चुकी है, जहाँ नागरिक डेटा की सुरक्षा और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करना नियामक ढांचे की मुख्य कसौटी है।

निष्कर्ष- नव-लोक प्रबंधन (NPM) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) ने पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था की कार्य-संस्कृति को नया आयाम दिया है। इसने सार्वजनिक क्षेत्र में परियोजना निष्पादन की गति, वित्तीय अनुशासन, तकनीकी विशेषज्ञता और प्रबंधकीय नवाचार को स्थापित किया।

तथापि, इस अनुभव का केंद्रीय निष्कर्ष यह है कि बाजार एक उपयोगी कार्यपद्धति हो सकता है, लेकिन वह लोक प्रशासन का दर्शन नहीं बन सकता। इसी प्रकार दक्षता एक आवश्यक साधन है, किंतु वह लोक कल्याण का अंतिम साध्य नहीं है।

PPP को केवल बजटीय देनदारियों से बचने या सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण के रूप में देखना दीर्घकालिक रूप से जनहित के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। वर्तमान युग में राज्य को न तो पुराने अप्रचलित नियंत्रणकारी ढांचे में लौटने की आवश्यकता है और न ही अनियंत्रित बाजार ताकतों के समक्ष जनहित को समर्पित करने की। आवश्यकता इस बात की है कि PPP व्यवस्था को एक स्वतंत्र, सशक्त और पारदर्शी नियामक ढांचे के अधीन लाया जाए, जहाँ संविदात्मक लाभ के ऊपर नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की प्रधानता सुनिश्चित हो सके। अंततः राज्य को केवल एक 'दिशा दिखाने वाला' नहीं, बल्कि 'सार्वजनिक मूल्य का सजग संरक्षक' बने रहना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New Public Management is Dead—Long Live Digital-Era Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 16(3), 467–494.
2. Hart, O. (2003). Incomplete Contracts and Public-Private Partnerships. Journal of Public Economics, 87(1), 69–76.
3. Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons?. Public Administration, 69(1), 3–19.
4. Kelkar, V. (2015). Report of the Committee on Revisiting & Revitalising the PPP Model of Infrastructure Development. Ministry of Finance, Government of India.
5. Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance?. Public Management Review, 8(3), 377–387.

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

भारतीय तंत्रवाद्य परम्परा: विकास, प्रमुख कलाकार एवं सांगीतिक सौंदर्यशास्त्रीय विश्लेषण

आभा श्री
शोध अध्येत्री – संगीत
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ०प्र०)

PP.N0- 22-125 **Received: 02.08.2026** **Accepted:12.08.2026** **Email: shri .aabha17@gmail.com**

सारांश: भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुदीर्घ परम्परा में तंत्री वाद्यों (Chordophones) का स्थान अत्यंत विशिष्ट एवं केंद्रीय रहा है। वैदिक कालीन बाण, कात्यायनी और दारवी वीणा से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल के सितार, सरोद, संतूर, रुद्रवीणा और विचित्र वीणा तक, तंत्री वाद्यों ने नाद-ब्रह्म की संकल्पना को भौतिक धरातल पर चरितार्थ किया है। यह शोध-पत्र तंत्री वाद्यों के संरचनात्मक विकास, उनकी वादन-शैलियों (घराना परम्परा), तथा बीसवीं व इक्कीसवीं सदी के उन शीर्षस्थ कलाकारों का विस्तृत व समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है जिन्होंने इन वाद्यों को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया।

अध्ययन में उस्ताद अलाउद्दीन खाँ, पंडित रवि शंकर, उस्ताद विलायत खाँ, उस्ताद अली अकबर खाँ, पंडित निखिल बनर्जी, असद अली खाँ तथा पंडित शिवकुमार शर्मा जैसे मनीषियों के तकनीकी अवदान, बाज़ की शैलियों (तंत्रकारी एवं गायकी अंग), तथा सौंदर्यशास्त्रीय प्रतिमानों की मीमांसा की गई है। अंत में, आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आगमन तथा संरक्षण-प्रसार के सम्मुख उपस्थित समकालीन चुनौतियों का भी विश्लेषण किया गया है।

कुंजीभूत शब्द : शास्त्रीय संगीत, तंत्री वाद्य, सितार, सरोद, संतूर, रुद्रवीणा, वैदिक कालीन बाण, कात्यायनी, दारवी वीणा

प्रस्तावना : भारतीय संगीत शास्त्र में वाद्यों का वर्गीकरण चार प्रमुख वर्गों में किया गया है: तत (तंत्री), अवनद्ध (चर्म-वाद्य), सुषिर (फूँक-वाद्य), तथा घन (ठोस धातु या काष्ठ वाद्य)। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र के २८वें अध्याय में 'तत' वर्ग को 'गांधर्व' (दिव्य संगीत) की आधारशिला माना गया है। तंत्री वाद्यों की मूल शक्ति 'श्रुति' और 'मींड' के उस सूक्ष्म निर्वाह में निहित है, जो मानवीय कंठ की लोच और गमक के सर्वाधिक निकट पहुँचने में सक्षम है।

ऋग्वेद और सामवेद में उल्लेखित 'शततंत्री वीणा' (वाण/बाण वीणा) तथा 'कात्यायनी वीणा' इस तथ्य के अकाट्य प्रमाण हैं कि भारतीय ऋषियों ने तार की सूक्ष्म कंपनों के भौतिक और आध्यात्मिक प्रभावों को प्रागैतिहासिक काल में ही पहचान लिया था। कालांतर में मतंग मुनि के बृहद्देशी (छठी-सातवीं शताब्दी), तथा सारंगदेव कृत संगीतरत्नाकर (तेरहवीं शताब्दी) में एकतंत्री, त्रितंत्री, नकुल और आलापिनी वीणाओं के सांगोपांग विवरण प्राप्त होते हैं।

मध्यकालीन सांस्कृतिक संक्रमण के दौर में जब भारतीय संगीत दरबारी परिवेश से जुड़ा, तब तंत्री वाद्यों के स्वरूप और वादन-शिल्प में युगांतरकारी रूपांतरण हुए। प्राचीन वीणाओं के सिद्धांतों को सुरक्षित रखते हुए, फारसी प्रभाव और क्षेत्रीय प्रयोगों के समन्वय से सितार और सरोद जैसे वाद्यों का आविर्भाव हुआ। यह संक्रमण केवल काष्ठ या तार की व्यवस्था का नहीं था, बल्कि यह उस सांगीतिक दृष्टि का विस्तार था जिसने 'ध्रुपद' के गंभीर, आध्यात्मिक आलाप-चारी से लेकर 'ख्याल' की तरल, चपल तानों तक को तंत्री वाद्य पर अवतरित करने का मार्ग प्रशस्त किया।

2- तंत्री वाद्यों का वर्गीकरण एवं संरचनात्मक सौंदर्यशास्त्र- भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होने वाले तत वाद्यों को उनकी वादन प्रविधि, तार छेड़ने के माध्यम, तथा पर्दे (Frets) की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

सारिका युक्त (Fretted) वाद्य: इनमें सितार, सुरबहार और रुद्रवीणा प्रमुख हैं। इनमें दांडी पर धातु या पीतल के परदे (सारिकाएं) बंधे होते हैं। इन वाद्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वादक एक ही परदे पर अपनी अंगुली को स्थिर रखकर तार को तिरछा खींचकर (खिंचाव या मींड) एक साथ चार से पाँच स्वरों का सूक्ष्म अंतरप्रवाह उत्पन्न कर सकता है। यह तकनीक भारतीय शास्त्रीय संगीत के गमक और मींड-प्रधान स्वरूप की आत्मा है।

सारिका विहीन वाद्य: इस श्रेणी में सरोद, विचित्र वीणा और सरबत जैसे वाद्य आते हैं। सरोद का फिंगरबोर्ड चिकने स्टील या पीतल के पत्तर से मढ़ा होता है। परदों के अभाव के कारण यहाँ वादक को अपनी श्रवण-सटीकता और उंगलियों के पोरों अथवा नाखूनों के फिसलने (Slide) पर पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है। यह संरचना सतत, अखंड स्वर-प्रवाह (ग्लाइड) उत्पन्न करने के लिए अद्वितीय मानी जाती है।

आघात जन्य (Hammered/Struck) तंत्री वाद्य: संतूर इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यद्यपि यह तत वाद्य की परिधि में आता है, किन्तु इसकी वादन-पद्धति में उंगलियों के स्पर्श अथवा मिज़राब के आघात के स्थान पर काष्ठ की दो वक्र तीलियों (मैलट्स या मेज़राब) से

तारों पर आघात किया जाता है। परदों के अभाव और अत्यधिक तारों की उपस्थिति के कारण इसमें गमक और मींड का निर्वाह तकनीकी रूप से अत्यधिक दुष्कर होता है, जिसके समाधान हेतु विशेष प्रविधियों का आविष्कार किया गया।

3- सितार वादन के युगपुरुष: शैली, तकनीकी नवाचार एवं सौंदर्यबोध- सितार आधुनिक युग का सर्वाधिक लोकप्रिय और वैश्विक स्तर पर समादृत भारतीय तत वाद्य है। इसका ऐतिहासिक विकास अमीर खुसरो के त्रितंत्री प्रयोगों से माना जाता रहा है, यद्यपि आधुनिक सितार १७वीं और १८वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली के सेनिया घराने के उस्ताद मसीत खाँ और लखनऊ के गुलाम रज़ा खाँ द्वारा क्रमशः 'मसीतखानी' (विलंबित) और 'रज़ाखानी' (द्रुत) गतों के निर्माण से अपने वर्तमान स्वरूप में सुदृढ़ हुआ।

उस्ताद विलायत खाँ: 'गायकी अंग' का चरमोत्कर्ष: उस्ताद विलायत खाँ (१९२८–२००४), इमदादखानी (इटावा) घराने के अप्रतिम ध्वजवाहक थे। उन्होंने सितार की वादन-तकनीक और उसकी भौतिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन करके 'गायकी अंग' को स्थापित किया।

संरचनात्मक परिवर्तन: खाँ साहब ने सितार से खड़ज-पंचम के पारंपरिक मोटे तारों के स्थान पर स्वरों के संतुलन को बदला। उन्होंने तरब (अनुध्वनि) के तारों की संख्या बढ़ाई और वाद्य के बाज़ के तार पर ऐसा खिंचाव और तनाव निर्मित किया कि एक ही परदे से छह स्वरों तक की मींड स्पष्ट सुनाई दे सके।

वादन प्रविधि: उन्होंने सितार को कंठ संगीत के समतुल्य ला खड़ा किया। ख्याल गायकी के 'मुर्की', 'खटका', 'ज़मज़मा', और 'बहलावा' जैसे अत्यंत नाजुक अलंकारों को उन्होंने मिज़राब के कठोर आघातों के बिना, केवल बाएं हाथ की अंगुलियों की कलाई-लोच और मींड के सहारे वाद्य से प्रस्फुटित किया।

सौंदर्यबोध: उनका वादन नाद-सौंदर्य और भावप्रवणता से ओत-प्रोत था। उनके अनुसार, "वाद्य को बजना नहीं चाहिए, बल्कि उसे बोलना और गाना चाहिए।" राग भैरवी, यमन, और दरबारी कानड़ा में उनके द्वारा प्रस्तुत सूक्ष्म श्रुतियों का निर्वाह सितार वादन के इतिहास का स्वर्ण अध्याय है।

पंडित रवि शंकर: 'तंत्रकारी अंग' और वैश्विक चेतना- मैहर घराने के संस्थापक बाबा अलाउद्दीन खाँ के शिष्य, भारतरत्न पंडित रवि शंकर (१९२०–२०१२) ने सितार को ध्रुपद-अंग की शास्त्रीय गरिमा और लयकारी की जटिलतम गणनाओं से सुसज्जित किया।

वादन शैली (तंत्रकारी एवं ध्रुपद अंग): पंडित जी ने सितार वादन में 'आलाप-जोड़-झाला' के विशुद्ध ध्रुपदीय ढांचे को पुनर्जीवित किया। उन्होंने विलंबित वादन में खड़ज के तारों का गंभीर प्रयोग किया, जिससे सितार में सुरबहार जैसी गंभीरता और भारीपन आया।

ताल और लय का गणितीय सौष्ठव: रवि शंकर जी का ताल-पक्ष अत्यंत सशक्त था। उन्होंने विभिन्न तालों (जैसे रूपक, तिलवाड़ा, पंचम सवारी, मत्त ताल) में अप्रचलित लयकारियों (कुआड़, बिआड़, सवाई, पौने दो) का जो संजाल रचा, उसने तबला संगति को मात्र संगति न रखकर एक बौद्धिक संवाद (सवालात-जवाबात) का रूप प्रदान किया।

वैश्विक प्रभाव: उन्होंने पाश्चात्य संगीत के मूर्धन्य कलाकारों—यहूदी मेनुहिन (वायलिन) और जॉर्ज हैरिसन (द बीटल्स)—के साथ मिलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिमी जगत में एक सम्मानित, शास्त्रीय विधा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने तीन सितार कॉन्सर्टो (Concertos) की रचना कर पूरब-पश्चिम के सांगीतिक दर्शन का अभूतपूर्व सेतु निर्मित किया।

पंडित निखिल बनर्जी: समन्वय की एकांत साधना: मैहर घराने के ही एक अन्य तेजस्वी सितार वादक पंडित निखिल बनर्जी (१९३१–१९८६) का दृष्टिकोण विशुद्ध अंतर्मुखी और आध्यात्मिक था। उन्होंने अमीर खाँ साहब की इंदौर घराना ख्याल गायकी की गंभीरता, उस्ताद विलायत खाँ की सूक्ष्म तरल गायकी, और अपने गुरु अलाउद्दीन खाँ की तंत्रकारी का ऐसा अद्वितीय समन्वय किया जो भारतीय संगीत में दुर्लभ है।

उनका झाला वादन अत्यंत परिष्कृत था, जहाँ तीव्र गति में भी प्रत्येक दाणे (तार का आघात) की स्पष्टता शीशे की भांति पारदर्शी रहती थी। राग मालकौंस, ललित, और हेम-बिहाग में उनका वादन आज भी शोधार्थियों के लिए चिंतन का विषय है।

4- सरोद परम्परा: गांधार से ग्वालियर तक का नाद-प्रवाह- सरोद मूलतः मध्य एशियाई वाद्य 'रबाब' का भारतीय परिष्कृत रूप है। १८वीं शताब्दी में अफ़ग़ान पठानों के आगमन के साथ रबाब भारत आया, जहाँ ग्वालियर और रीवा के संगीत-वातावरण में भारतीय शीशम, बकरे की खाल (जो नाद-पेटी पर मढ़ी जाती है), तथा इस्पात व पीतल के तारों के संयोजन से सरोद का प्रादुर्भाव हुआ।

उस्ताद अलाउद्दीन खाँ: मैहर घराने की पीठिका: बाबा अलाउद्दीन खाँ (१८६२–१९७२) केवल एक सरोद वादक नहीं, बल्कि आधुनिक भारतीय शास्त्रीय वाद्य संगीत के निर्माता थे। सेनिया बीनकार उस्ताद वज़ीर खाँ (रामपुर) से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने सरोद को ध्रुपद की गंभीर वादन-शैली से आवेष्टित किया। उन्होंने सरोद में तरब के तारों और चिकाटी के तारों का विस्तार किया ताकि गूंज और अनुनाद (Resonance) दीर्घकालिक हो सके। उन्होंने 'मैहर वाद्य वृंद' (Maihar Band) की स्थापना कर भारतीय संगीत में आर्केस्ट्रेशन की आधारशिला भी रखी।

उस्ताद अली अकबर खाँ: नाद-ब्रह्म के स्वर-शिल्पी: अलाउद्दीन खाँ के सुपुत्र उस्ताद अली अकबर खाँ (१९२२–२००९) को संगीत जगत में 'सरोद सम्राट' की उपाधि प्राप्त है। उनके वादन में रबाब की झंकार और वीणा की गंभीरता का अभूतपूर्व संगम था।

स्वर-चिंतन: अली अकबर खाँ के सरोद की ध्वनि अत्यंत उदात्त, गहन और आत्म-लीन करने वाली थी। उन्होंने अपने नाखूनों के अग्रभाग से सरोद की स्टील-प्लेट पर जिस प्रकार के ग्लाइड्स (सूक्ष्म मींड) प्रस्तुत किए, उसने सरोद को एक अत्यंत संवेदनशील वाद्य बना दिया।

राग-सृजन: उन्होंने कई नवीन रागों का सृजन किया, जिनमें राग 'गौरी मंजरी', 'चंद्रनंदन', और 'लाजवंती' प्रमुख हैं। उनके विलंबित आलाप की गति इतनी शांत और गरिमापूर्ण होती थी कि प्रत्येक स्वर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व धारण कर लेता था।

उस्ताद अमजद अली खाँ: परिष्कार और सहजता: ग्वालियर के बंगश घराने के वंशज उस्ताद अमजद अली खाँ (जन्म १९४५) ने सरोद वादन की उंगली-तकनीक में भारी बदलाव किया। उन्होंने सरोद पर नाखूनों के उल्टे हिस्से (Reverse nail technique) के प्रयोग को परिष्कृत किया, जिससे द्रुत गति की तानों में तारों पर से हाथ फिसलने की गति में तीव्र वृद्धि हुई।

खाँ साहब ने सरोद को भारी-भरकम दरबारी परिवेश से निकालकर एक अत्यंत सहज, सम्मोहक और मधुर अभिव्यक्ति प्रदान की। उन्होंने कई रागों (उदा. राग प्रियदर्शिनी, कमलश्री) का सृजन किया और लोक धुनों को सरोद पर अत्यंत गरिमा के साथ उतारा।

वीणा की पुरातन परम्परा: रुद्रवीणा एवं विचित्र वीणा- वीणा भारतीय संगीत की समस्त तंत्री परम्परा की जननी है। मध्यकाल में जब अन्य तंत्री वाद्य विकसित हो रहे थे, तब वीणा की दो शाखाएँ प्रमुख रूप से प्रतिष्ठित रहीं:

रुद्रवीणा और ध्रुपद-अंग: उस्ताद असद अली खाँ: रुद्रवीणा (बीन) का निर्माण दो बड़े तूंबों (सूखे लौकी के तुम्बे) पर काष्ठ की डांडी और मोम से चिपकाए गए ऊंचे पर्दों से होता है। इसे वादन करते समय छाती और कंधे के सहारे तिरछा रखा जाता है। यह विशुद्ध रूप से ध्रुपद-अंग का वाद्य है।

खंडारबानी शैली के अंतिम महान उस्ताद असद अली खाँ (१९३७–२०११) ने रुद्रवीणा के लुप्तप्राय वैभव को बीसवीं सदी में जीवंत रखा। उनके वादन में: अत्यंत धीमी गति का, शुद्ध गंभीर आलाप होता था जो नाद-योग की अवस्था उत्पन्न करता था।

'गमक', 'दाजरा', और 'हुंकार' जैसी प्राचीन तकनीकों का पूर्ण निर्वाह पखावज की संगति के साथ किया जाता था।

विचित्र वीणा: पंडित गोपाल कृष्ण और लालमणि मिश्र: विचित्र वीणा सारिका-विहीन वाद्य है, जिसमें स्वरों की उत्पत्ति के लिए बाएं हाथ से कांच के बट्टे (Glass sphere) को तारों पर फिसलाया जाता है तथा दाएं हाथ की मिज़राब से आघात किया जाता है। पंडित गोपाल कृष्ण तथा डॉ. लालमणि मिश्र ने इस वाद्य को शास्त्रीय मंचों पर पुनर्जीवित किया। डॉ. मिश्र ने अपनी पुस्तक भारतीय संगीत वाद्य में विचित्र वीणा के तकनीकी पक्ष और श्रुति-विभाजन का प्रामाणिक दस्तावेजीकरण किया।

6- संतूर का पुनर्जन्म- लोक-धरातल से शास्त्रीय क्षितिज तक पारंपरिक रूप से संतूर कश्मीर की 'सूफियाना मौसिकी' का एक लोक-वाद्य था, जिसे 'सौ तंत्री वीणा' का आधुनिक अवशेष माना जा सकता है। इसकी सपाट लकड़ी के बक्से जैसी संरचना और सौ तारों के कारण यह माना जाता था कि इस पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्राण—'मींड' और 'आंदोलित गमक'—का निर्वाह असंभव है।

पंडित शिवकुमार शर्मा का युगांतरकारी अवदान: पंडित शिवकुमार शर्मा (१९३८–२०२२) ने संतूर को एकल शास्त्रीय वाद्य के रूप में स्थापित करने के लिए दशकों तक कठोर साधना और संरचनात्मक अनुसंधान किया।

तकनीकी एवं भौतिक रूपांतरण: उन्होंने संतूर के तारों के व्यास, उनकी तनातनी, और लकड़ी के सेतुओं (Bridges) की स्थिति में परिवर्तन किया ताकि ध्वनि का अनुनाद कम हो और स्वर आपस में गड्डमड्ड न हों।

कलम का संचालन: उन्होंने अक्रूट की लकड़ी से बनी कलमों को पकड़ने और प्रहार करने की ऐसी तकनीक विकसित की जिसमें तारों पर आघात करने के साथ-साथ कलम को क्षैतिज रूप से सरकाकर (Tremolo & Glide) मींड का आभास उत्पन्न किया जा सके।

उनके इस भगीरथ प्रयास से संतूर आज सितार और सरोद के समकक्ष शास्त्रीय गरिमा से दीप्तिमान है।

7- तंत्री वाद्यों की प्रमुख वादन शैलियाँ: तुलनात्मक समीक्षा- तंत्री वाद्यों पर राग-प्रस्तुतीकरण के दो प्रमुख वैचारिक दर्शन रहे हैं—'तंत्रकारी अंग' और 'गायकी अंग'। इन दोनों शैलियों की सांगीतिक संरचना का तुलनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत है:

विश्लेषणात्मक आयाम	तंत्रकारी अंग (Instrumental Idiom)	गायकी अंग (Vocal Idiom)
दार्शनिक आधार	वाद्य की यांत्रिक क्षमता और तार-आघात की स्वायत्तता का प्रकटीकरण।	मानव कंठ (ख्याल/ध्रुपद) के सूक्ष्म अलंकारों की वाद्य पर अनुकृति।
मिज़राब (दायां हाथ) का प्रयोग	दा, रा, दिर, दड़ा आदि बोलों के विविध, जटिल और तीव्र आघात।	आघात न्यूनतम; एक ही आघात में बाएं हाथ से कई स्वरों का प्रवाह।
मींड और गमक	सीमित फैलाव (२ से ३ स्वर); लयबद्ध झटके और स्पष्ट स्वर-स्थान।	अत्यधिक गहरी मींड (४ से ६ स्वर); आंदोलित गमक और सूक्ष्म श्रुतियाँ।
ताल एवं लय पक्ष	गणितीय तिहाइयां, छंद-भेद, लयकारी (आड़, कुआड़), द्रुत झाला।	सम के प्रति सहज आकर्षण, तालबद्ध विस्तार, तानों की अ-समतल संरचना।
प्रमुख प्रतिनिधि कलाकार	पं. रवि शंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खाँ, पं. निखिल बनर्जी।	उस्ताद विलायत खाँ, उस्ताद शाहिद परवेज़, पं. बुद्धादित्य मुखर्जी।

8- समकालीन चुनौतियाँ, प्रवृत्तियाँ एवं भविष्य- इक्कीसवीं शताब्दी में तंत्री वाद्यों के सम्मुख कई तकनीकी और सौंदर्यशास्त्रीय चुनौतियाँ उपस्थित हुई हैं:

ध्वनि-विस्तारक तकनीक का प्रभाव: माइक्रोफोन और आधुनिक डिजिटल एम्पलीफायरों के कारण वाद्यों के प्राकृतिक काष्ठ-ध्वनि (Acoustic resonance) में विकृति का संकट उत्पन्न हुआ है। अत्यधिक गेन (Gain) और रिवर्ब (Reverb) के प्रयोग से कई बार सूक्ष्म श्रुतियों की शुद्धता आच्छादित हो जाती है।

शिल्पकारों (Artisans) का संकट: सितार, सरोद और वीणा के निर्माण के लिए अत्यंत परिपक्व तुंबा, अनुभवी बढ़ईगीरी और तार-संयोजन के ज्ञान की आवश्यकता होती है। कनैल लाल (कोलकाता), रिखी राम (दिल्ली) जैसे ऐतिहासिक निर्माताओं के बाद कुशल कारीगरों की नई पीढ़ी का अभाव एक गंभीर संरचनात्मक संकट बनता जा रहा है।

प्रस्तुति-अवधि का संकुचन: पारंपरिक रूप से जो राग दो से तीन घंटे के विस्तार में धीरे-धीरे विकसित होते थे, वे आज के ३० से ४० मिनट के मंच-प्रदर्शनों में सीधे द्रुत गति और तीव्र झाले पर केंद्रित हो रहे हैं। इससे तंत्री वाद्यों का वह ध्यान-मूलक और आध्यात्मिक पक्ष प्रभावित हो रहा है जो इनके निर्माण का मूल उद्देश्य था।

इसके बावजूद, युवा पीढ़ी के कई वादक अपने पूर्वजों की विरासत को आत्मसात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और फ्यूज़न माध्यमों के बीच भी शुद्ध शास्त्रीयता की लौ को प्रज्वलित रखे हुए हैं।

निष्कर्ष- भारतीय तंत्री वाद्यों की परम्परा केवल काष्ठ, तार और धातु का संयोजन मात्र नहीं है, बल्कि यह सहस्राब्दियों के नाद-अनुसंधान का मूर्तिमंत स्वरूप है। वैदिक वीणाओं से आरंभ होकर आधुनिक सितार, सरोद और संतूर तक की यह यात्रा निरंतर परिष्कार और नवोन्मेष की गाथा है। उस्ताद विलायत खाँ की गायकी की तरलता, पंडित रवि शंकर की तंत्रकारी का विराट स्थापत्य, उस्ताद अली अकबर खाँ की सरोद का गंभीर अंतर्मुख नाद और पंडित शिवकुमार शर्मा का संतूर-शिल्प—इन सभी ने मिलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व-धरोहर के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किया है। तंत्री वाद्यों की यह अजस्र धारा भौतिकता और आध्यात्मिकता के संतुलन के साथ मानव चेतना को परिष्कृत करती रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भरत मुनि. (१९८४). नाट्यशास्त्रम् (संपादक: बाबूलाल शुक्ल शास्त्री). वाराणसी: चौखंभा संस्कृत संस्थान.
2. सारंगदेव. (१९५३). संगीतरत्नाकर (खंड १ एवं २, अनुवादक: सुभद्रा चौधरी). दिल्ली: राधा पब्लिकेशन्स.
3. मिश्र, डॉ. लालमणि. (१९७३). भारतीय संगीत वाद्य. नई दिल्ली: भारतीय ज्ञानपीठ.
4. Shankar, Ravi. (1968). My Music, My Life. New York: Simon & Schuster.
5. खान, विलायत एवं कुमार, अरविंद. (२००१). राग अनुराग: सेनिया घराने की विरासत. कोलकाता: संगीत रिसर्च एकेडमी.
6. देव, बी. चैतन्य. (१९७८). Musical Instruments of India: Their History and Development. New Delhi: Firma KLM.
7. Miner, Allyn. (1993). Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries. Wilhelmshaven: Florian Noetzel Verlag.
8. वृहस्पति, आचार्य कैलाशचंद्र. (१९७६). भरत का संगीत सिद्धांत. दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.
9. Hamilton, James Sadler. (1994). Sitar Music in Calcutta: An Ethnomusicological Study. University of Calgary Press.
10. गौतम, एम. आर. (१९८०). The Musical Heritage of India. New Delhi: Abhinav Publications.

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार, शैक्षिक व्यवहार तथा संवेगात्मक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।

डॉ० तनुज कुमार
असि0 प्रोफ़ेसर-शिक्षाशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय, सम्भल (उ०प्र०)

PP.N0- 26-30 **Received: 05.08.2026** **Accepted:13.08.2026** **Email: mrtanuj2387@gmail.com**

सारांश: स्थानीयता का छात्रों के व्यवहार पर प्रभाव को व्यापक रूप से देखने के लिए शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन में छात्र जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों यथा सामाजिक व्यवहार शैक्षिक व्यवहार शैक्षिक व्यवहार को अध्ययन में सम्मिलित किया है। शोध में वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया गया है। शोध में न्यादर्श चयन हेतु असम्भाव्यता न्यादर्शन विधि के अन्तर्गत उद्देश्यपूर्ण विधि स्नातक स्तर के 600 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में चुना गया है। शोध में निर्धारण मापनी के माध्यम से शोध आंकड़े एकत्रित करने का निर्णय किया गया। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार एवं शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। ग्रामीण व शहरी समूह के संवेगात्मक व्यवहार में सार्थक अन्तर पाया गया।

कुंजीभूत शब्द : विद्यार्थी, सामाजिक व्यवहार, शैक्षिक व्यवहार, छात्र जीवन, न्यादर्श चयन, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र, संवेगात्मक व्यवहार

प्रस्तावना : राष्ट्र के विकास में मानव संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में मानव संसाधन का विकास उचित दिशा में हो इसके दृष्टिगत शिक्षा को मानव संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत रखा गया है। भारत में शिक्षा को मुख्यतः तीन स्तर में विभक्त किया गया है यथा प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली युवा शक्ति का निर्माण करने में उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है। उच्च शिक्षा स्तर पर छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयारी तथा कुशल नागरिक बनने की शिक्षा प्रदान की जाती है। नायक (2010) ने शालेय वातावरण और व्यक्तिगत मूल्यों के अध्ययन में ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों में सार्थक अन्तर पाया। शुक्ला (2010) ने शहरी व ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण में सार्थक अन्तर पाया। सोनी (2010) ने पारिवारिक वातावरण का बालक व बालिकाओं के समायोजन तथा संवेगात्मक परिपक्वता में धनात्मक सहसम्बन्ध पाया।शैल (2011) ने पारिवारिक वातावरण तथा आकांक्षा स्तर के अध्ययन में ग्रामीण व शहरी बालिकाओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया। कुमार (2012) ने शैक्षिक उपलब्धि तथा पारिवारिक वातावरण के अध्ययन में स्थानीयता के आधार पर सार्थक अन्तर पाया। रिछारिया (2012) ने गृह वातावरण का कैरियर के प्रति निर्णय लेने की क्षमता पर सार्थक प्रभाव पाया। स्वामी (2015) ने वातावरण छात्रों में शैक्षिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर पाया। पाण्डेय (2015) ने पारिवारिक वातावरण तथा शैक्षिक उपलब्धि में धनात्मक सहसम्बन्ध पाया।

राठौर व मिश्रा (2015) ने सामाजिक समायोजन में लिंगभेद के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नही पाया। सिंह (2016) ने विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन पर विद्यालयी वातावरण का सार्थक प्रभाव पाया। चौधरी (2016) ने गृह वातावरण का अध्ययन आदतों तथा शैक्षिक अभिप्रेरणा पर सार्थक प्रभाव पाया। चौहान (2016) ने परिवार के वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पाया। सिंह (2017) ने विद्यालय वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पाया। यादव (2017) ने पारिवारिक वातावरण तथा शैक्षिक उपलब्धि में सकारात्मक सहसम्बन्ध पाया। त्रिपाठी व सिंह (2017) ने ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के शालेय संवेगात्मक वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर समान प्रभाव पाया। सिंह (2017) ने लिंगभेद तथा स्थानीयता के आधार पर संवेगात्मक बुद्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया। सोनी एवं बाबल (2018) ने ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक परिवेश में सार्थक अन्तर पाया। यादव (2018) ने पारिवारिक वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर समान प्रभाव पाया। हाशिम एवं अन्य (2016) ने संकाय तथा सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में सार्थक अन्तर पाया। मोवाट (2019) ने संवेगात्मक मजबूती तथा सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर सार्थक अन्तर पाया।

पूर्ववर्ती अध्ययनों के अवलोकन से एक तथ्य स्पष्ट है कि अधिकांश शोधकर्ताओं द्वारा आवासीय वातावरण का छात्र जीवन के किसी एक ही पक्ष के साथ अध्ययन किया गया है। पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों में छात्रों के व्यवहार पर आवासीय वातावरण के प्रभाव की गहनता के लिए एक ही अध्ययन में छात्रों के व्यवहार के विभिन्न पक्षों को एक साथ सम्मिलित नहीं किया गया है। स्थानीयता का छात्रों के व्यवहार पर प्रभाव को व्यापक रूप से देखने के लिए शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन में छात्र जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों यथा सामाजिक व्यवहार शैक्षिक व्यवहार एवं संवेगात्मक व्यवहार को अध्ययन में सम्मिलित किया है।

अध्ययन के उद्देश्य-

1. ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करना।

2. ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के संवेगात्मक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनायें-

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध विधि - प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय परिसर तथा झाँसी शहर में स्थित बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी छात्र-छात्राओं को शोध में जनसंख्या के रूप में निर्धारित किया गया है। प्रस्तुत शोध में न्यादर्श चयन हेतु असम्भाव्यता न्यादर्शन विधि के अन्तर्गत उद्देश्यपूर्ण विधि का प्रयोग किया गया है। शोध में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के 600 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में चुना गया है। शोध की आवश्यकता तथा चरों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये शोधकर्ता ने पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों के आधार पर निर्धारण मापनी के माध्यम से शोध आंकड़े एकत्रित करने का निर्णय किया। प्रदत्तों के विश्लेषण में विविध सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। इसकी गणना करने के लिए SPSS साफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है।

तालिका सं0- 1.

ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार की तुलना हेतु सांख्यिकीय मानों का परिदृश्य

सामाजिक व्यवहार एवं सम्बन्धित आयाम	विद्यार्थियों का समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक-अनुपात मान	स्वतन्त्रांश	सार्थकता स्तर
सामाजिक समायोजन	ग्रामीण	275	30.81	5.51	**4.17**	598	>.01
	शहरी	325	29.02	5.02			
जीवन प्रबन्धन	ग्रामीण	275	44.99	7.84	**3.48**	598	>.01
	शहरी	325	46.98	6.13			
समूहिकता	ग्रामीण	275	30.83	5.87	**3.96**	598	>.01
	शहरी	325	29.02	5.25			
नेतृत्वशीलाता	ग्रामीण	275	39.20	7.68	0.31	598	<.05
	शहरी	325	39.40	7.37			
प्रतिस्पर्द्धात्मकता	ग्रामीण	275	21.88	2.77	**2.34**	598	>.05
	शहरी	325	22.41	2.78			
समग्र सामाजिक व्यवहार	ग्रामीण	275	167.73	14.99	**0.69**	598	<.05
	शहरी	325	166.84	16.14			

ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के समग्र सामाजिक व्यवहार के प्राप्तांकों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता की जाँच के लिए परिगणित क्रान्तिक-अनुपात मान 0.69 है जो कि स्वतन्त्रांश 598 के लिए .05 सार्थकता स्तर पर असार्थक है। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना ''ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के समग्र सामाजिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है'' को स्वीकृत किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का सामाजिक समायोजन शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों से सार्थक रूप से उत्तम है। इसका कारण यह हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवारों की अधिकता रहती है। जबकि शहरी क्षेत्रों में एकांकी परिवार अधिक पाये जाते है। परिवार में

सदस्यों की संख्या अधिक होने तथा संसाधनों की संख्या कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को समायोजन के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते है।ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का जीवन प्रबंधन सार्थक रूप से उत्तम है। इसका कारण यह हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं का स्तर शहरी क्षेत्र की अपेक्षा निम्न है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का सामूहिकता व्यवहार शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों से सार्थक रूप से श्रेष्ठ है। इसका कारण यह हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर विद्यार्थी साथ-साथ उच्च शिक्षा के लिए शहरी क्षेत्र में आते-जाते है। इससे उन्हें एक साथ समूह के रूप में रहने के अवसर शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक प्राप्त होते है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के नेतृत्वशील व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का प्रतिस्पर्द्धात्मकता व्यवहार ग्रामीण विद्यार्थियों से उत्तम है।

इसका कारण यह हो सकता है कि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों में रोजगार तथा भावी जीवन में होने वाली प्रतियोगिताओं के सम्बन्ध में जानकारी अधिक है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। दोनों समूहों में अन्तर नहीं होने का कारण यह हो सकता है कि दोनों समूह के विद्यार्थियों का आयु वर्ग तथा शैक्षिक स्तर समान है और इस कारण छात्रों का व्यवहार तथा विशेषताएं लगभग एक समान है।

2- ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन

तालिका सं0- 2

ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार की तुलना हेतु सांख्यिकीय मानों का परिदृश्य

शैक्षिक व्यवहार एवं सम्बन्धित आयाम	विद्यार्थियों का समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक–अनुपात मान	स्वतन्त्रांश	सार्थकता स्तर
अध्ययन आदतें	ग्रामीण	275	92.66	7.98	**3.27**	598	>.01
	शहरी	325	94.60	6.49			
शैक्षिक निष्पादन	ग्रामीण	275	68.87	5.84	0.64	598	<.05
	शहरी	325	69.17	5.46			
तकनीक का प्रयोग	ग्रामीण	275	28.48	4.52	**2.16**	598	>.05
	शहरी	325	29.30	4.75			
समग्र शैक्षिक व्यवहार	ग्रामीण	275	190.84	12.50	1.43	598	<.05
	शहरी	325	192.26	11.63			

शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक व्यवहार के प्राप्तांकों का मध्यमान ग्रामीण क्षेत्र के प्राप्तांकों के मध्यमान से अधिक है। दोनों समूहों में प्राप्तांकों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता की जाँच के लिए परिगणित क्रान्तिक-अनुपात मान 1.43 है जो कि स्वतन्त्रांश 598 के लिए .05 स्तर पर असार्थक है। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना ‘‘ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है’’ को स्वीकृत किया जाता है।

कहा जा सकता है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। दोनों समूह के मध्यमानों में जो अन्तर परिलक्षित हो रहा है वह न्यादर्शन की त्रुटि के कारण हो सकता है। दोनों समूहों में अन्तर नहीं होने के कारण यह हो सकता है कि आधुनिक युग में शिक्षा के प्रति ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अभिभावक बहुत सजग है और अपने पाल्यों को अच्छे से शिक्षित करने का प्रयास कर रहे है। वर्तमान पीढ़ी बर्हिमुखी है और सामान्यतः सभी छात्र शैक्षिक तथा पाठ्यसहगामी क्रियाओं में पूर्ण मनोयोग से प्रतिभाग करते है। इसलिए दोनों समूहों के शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

जुबैर (2011) शुक्ला (2012) तथा त्रिपाठी एवं सिंह (2017) के शोध अध्ययन में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार में कोई अन्तर नहीं पाया गया। इन शोध अध्ययनों से प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम की सत्यता की पुष्टि होती है।

3. ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के संवेगात्मक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन

तालिका सं0- 3

ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के संवेगात्मक व्यवहार की तुलना हेतु सांख्यिकीय मानों का परिदृश्य

संवेगात्मक व्यवहार एवं सम्बन्धित आयाम	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक–अनुपात मान	स्वतन्त्रांश	सार्थकता स्तर
संवेगात्मक परिपक्वता	ग्रामीण	275	115.42	13.26	**2.19**	598	>.05
	शहरी	325	113.28	10.70			
संवेगात्मक बुद्धिमत्ता	ग्रामीण	27.5	84.52	7.63	**4.19**	598	>.01
	शहरी	325	82.09	6.57			
समग्र संवेगात्मक व्यवहार	ग्रामीण	275	199.95	16.39	**3.76**	598	>.01
	शहरी	325	195.37	13.42			

समग्र संवेगात्मक व्यवहार - दोनों समूहों में प्राप्तांकों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता की जाँच के लिए परिगणित क्रान्तिक-अनुपात मान 3.76 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतन्त्रांश 598 के लिए .01 स्तर पर सार्थक है। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना ''ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के समग्र संवेगात्मक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है'' को अस्वीकृत किया जाता है। कहा जा सकता है कि ग्रामीण व शहरी समूह के संवेगात्मक व्यवहार में सार्थक अन्तर पाया गया। शहरी समूह की अपेक्षा ग्रामीण समूह का संवेगात्मक व्यवहार सार्थक रूप से श्रेष्ठ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. चौधरी, मंजू (2016). माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के गृह वातावरण के सन्दर्भ में अकादमिक अभिप्रेरणा का अधिगम आदत पर प्रभाव: एक अध्ययन. पी-एच०डी० शोध प्रबन्ध, डिपार्टमेन्ट ऑफ एजूकेशन, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान। (http://hdl.handle.net//10603/197574)
2. चौहान, श्रद्धा सिंह (2016). माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण व मानसिक स्वास्थ्य का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन. पी-एच०डी० शोध प्रबन्ध, डिपार्टमेन्ट ऑफ एजूकेशन, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान। (http://hdl.handle.net//10603/197543)
3. गुड, बार एवं स्केट्स (1982). मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशन रि-एप्लीकेशन. न्यूयार्क: सेन्चुरी पब्लिकेशन।
4. गुप्ता, एस०पी० (2008). आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन।
5. करलिंगर, वी०पी० (1996). फाउन्डेशन ऑफ विहेवियरल रिसर्च. नई दिल्ली: सनगेक्ट पब्लिकेशन।
6. कुमार, आशीष (2012). माध्यमिक विद्यालय में किशोरावस्था के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके पारिवारिक वातावरण, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन. पी-एच०डी० शोध प्रबन्ध, डिपार्टमेन्ट ऑफ एजूकेशन, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश। (http://hdl.handle.net//10603/224976)
7. पाण्डेय, अनुराधा (2015). उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं अध्ययन आदतों के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन. पी-एच०डी० शोध प्रबन्ध, डिपार्टमेन्ट ऑफ एजूकेशन, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश। (http://hdl.handle.net//10603/219900)
8. राठौर, योगिता तथा मिश्रा, संस्मृति (2015). ग्रामीण विद्यार्थियों के मध्य सामाजिक बुद्धि एवं समायोजन के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन. इन्टरनेशनल जर्नल आफ मल्टीडिस्प्लेनरी रिसर्च एण्ड डेवलमेंट, 2(2), 434-436।
9. राय, पारसनाथ (2010-11). अनुसंधान परिचय (13वां संस्करण). आगरा, उत्तर प्रदेश: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।

10. रिछारिया, ज्योति (2012). उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के गृह वातावरण, विद्यालय वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि का उनके कॅरियर के प्रति निर्णय क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन. पी-एच०डी० शोध प्रबन्ध, डिपार्टमेन्ट ऑफ एजूकेशन, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी। (http://hdl.handle.net//0603/229256)
11. शैल, चन्द्रकार (2011). मुस्लिम बालिकाओं के परिवार के शैक्षिक वातावरण का उनके आकांक्षा स्तर पर प्रभाव का अध्ययन. एम०एड० लघु शोध प्रबन्ध, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
12. शर्मा, रीना (2000). पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शारीरिक तथा संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक आर्थिक स्तर तथा गृह वातावरण के प्रभाव का अध्ययन. पी-एच०डी० शोध प्रबन्ध, डिपार्टमेन्ट ऑफ एजूकेशन, दयालबाग विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश। (http://hdl.handle.net//10603/205581)
13. सिंह, अरूण कुमार (2006). शिक्षा एवं मनोविज्ञान में शोध विधियां. पटना: मोतीलाल बनारसीदास।
14. सिंह, बलवान (2017). माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण का शैक्षिक निष्पत्ति पर प्रभाव का अध्ययन. इन्टरनेशनल जर्नल चेतना, ISSN-2231-313, 3(2), 235-242।
15. सिंह, बलवान (2018). माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण का समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन. इन्टरनेशनल एजूकेशन एण्ड रिसर्च जर्नल, ISSN-2424-9916, 4(9)।
16. सिंह, नीलू (2016). विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन पर विद्यालयी वातावरण द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन. इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसीप्लेनटरी एजुकेशन एण्ड रिसर्च, ISSN-2455-4588, 1(2), 31-34।
17. सोनी, मधुकवर एवं बाबल, जगदीश (2018). बाल अपराध प्रवृति के ग्रामीण एवं शहरी किशोर विद्यार्थियों का पारिवारिक परिवेश तथा सुरक्षा एवं असुरक्षा की भावना का तुलनात्मक अध्ययन. श्रृंखला एक शोध वैचारिक पत्रिका, ISSN-2321-290, 5(7), 07-12।
18. सोनी, पदमा (2010). कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं के किशोरों की सांवेगिक परिपक्वता के सन्दर्भ में समायोजन क्षमता का अध्ययन. लघु शोध संकलन (2009-10), क्रियात्मक शोध व नवाचार प्रभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर, छत्तीसगढ़।
19. शुक्ला, संजय (2010). उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनकी अध्ययन आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन. लघु शोध संकलन (2009-10), क्रियात्मक शोध एवं नवाचार प्रभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर, छत्तीसगढ़।
20. स्वामी, शिल्पा (2015). उच्च प्राथमिक स्तर पर डे-बोर्डिंग व सामान्य विद्यालयों के छात्रों के शैक्षिक, सांवेगिक तथा सामाजिक समायोजन का अध्ययन. पी-एच०डी० शोध प्रबन्ध, शिक्षा संस्थान, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान। (http://hdl.handle.net/10603/139849)
21. त्रिपाठी, सुनील मणि एवं सिंह, जय (2017). जौनपुर जिले के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों के शालेय संवेगात्मक वातावरण का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन. इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस एजूकेशन रिसर्च, ISSN-2455-6157, 2(1), 38-42।

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

Effect of ESG Performance on Firm Performance: A Panel Data Study of Indian Listed Companies

DR. M.M. Varshney
Assistant Professor, Deptt of Commerce
DRA Govt. PG College, Bisauli, Budaun (U.P.)

PP.N0- 31-36 Received: 05.08.202 Accepted:20.08.2026 Email: drmadanmohan.varshney11@gmail.com

Abstract-This study investigates the impact of ESG performance on the firm's performance based on a hypothetical panel dataset of 100 listed Indian firms for the period 2018–2024. The analysis uses fixed-effects panel regressions to see whether overall ESG scores and the three-ESG-pillars scores are correlated with accounting-based and market-based performance measures, such as return on assets (ROA), return on equity (ROE) and Tobin's Q. All three performance measures are positively and significantly related to overall ESG performance, as suggested by the hypothetical findings. The governance and social scores have more consistent and stronger links to firm performance than environmental scores among the three pillars of ESG. The positive ESG–performance relationship is found to be robustly stable across the different robustness checks tested using lagged ESG, alternative performance measures, and industry subsamples, especially in high-impact industries. The findings are also in line with the stakeholder theory and with the resource-based view and are consistent with recent Indian research that discloses a positive (although not always statistically significant) relationship between ESG disclosure and performance, depending on the specifications and the measures used.

Keywords: ESG, Firm Performance, Fixed Effects, India, Panel Data, Environmental, social, Integral

Intoduction- ESG (environmental, social, and governance) issues are integral to corporate strategies, investor choices, and regulatory frameworks. As well as making a profit, firms are increasingly expected to take responsibility for environmental risks, towards their employees and communities, and to have effective governance arrangements. This shift has sparked a renewed academic debate on the ESG's impact on firm performance and whether it is just a cost of compliance and disclosure.

The ESG–performance relationship is especially important in emerging markets such as India. The regulatory, financial investment community, international supply chains, and sustainable investors all watch Indian companies closely, demanding greater transparency and accountability.Indian companies are being closely watched by regulatory bodies, investors, global supply chains, and sustainability-focused investors, who are pushing for greater transparency and accountability. Concurrently, the Indian corporate sector is very fragmented with regard to the nature of ownership, disclosure quality, sectoral environmental exposure, and level of governance maturity. India is a relevant context to examine the potential financial and market value that ESG can bring about, given these conditions.

Studies conducted in the literature point to a positive relation between ESG and firm performance, although the results are not consistent. ESG disclosure and ESG performance have been found to have a positive link with profitability and market value in India for some of the studies finding this link, but the nature and magnitude of the effect differ over time, estimation method and performance measure (Maji & Lohia, 2023; Veeravel et al., 2024; Sinha Ray & Goel, 2022). Other research indicates that while ESG investments can have mixed and even negative short-term impacts, they could yield financial returns when it comes to a longer-term perspective (Deb et al., 2024; Dwibedi et al., 2024). This diversity highlights the need to analyse the aggregate ESG scores and the three individual pillars E, S and G.

This paper makes a contribution by analyzing fully, in the style of a research paper, a hypothetical set of panel data results for Indian listed firms. The purpose of this paper is to illustrate the structure of a complete empirical manuscript and to show the patterns that are found in contemporary ESG research. The primary goals are to explore the ESG–performance correlation, to challenge the ESG pillars' relative significance, and to consider the effects on corporate strategy and policy in emerging markets.

Review of Literature

2.1 ESG and firm performance in theory: There are two key theoretical lenses that are central to the ESG–performance nexus. The first thing to note is that, according to the stakeholder theory, companies can create value by meeting the needs of stakeholders—the groups that influence or are influenced by the company, such as workers, customers, communities, regulators, and investors. Enhanced stakeholder management can help mitigate conflict, build trust and build organizational legitimacy, thereby strengthening a firm's performance. Second, the resource-based view implies that the ESG capabilities are valuable, scarce, hard to imitate and difficult to substitute into the organization, which gives competitive advantage.

Another line of reasoning is that ESG can decrease information asymmetry and improve the signal strength in capital markets. Meanwhile, credible ESG disclosure could indicate good internal controls, risk management and long-term thinking by firms. There are however potential trade-offs as noted in the same literature: ESG initiatives can be costly, time-intensive and only create benefits with a delay. This is a possible explanation for the positive results in some studies and the insignificant relationships in others, as well as for some negative short-term studies (Fatemi et al., 2018; Huang, 2021; Li et al., 2024).

2.2 Global evidence on ESG and performance- Overall, reviews of the literature endorse the positive relationship between ESG and firm value and financial performance, though with a relatively small magnitude and that is influenced by measurement methods. When conducting systematic reviews and/or meta-analytical studies, the direction of the relationship is typically positive, though not always, and the link is generally stronger for market-driven outcomes than for accounting-driven outcomes (Huang, 2021; Li et al., 2024; Shen, 2023). This indicates that the capital markets could be quicker to price in the benefits of ESG than the accounting numbers.

An important piece of literature cited is ESG being multidimensional. The environmental, social and governance aspects are not always aligned and composite scores may mask meaningful differences in dimensions. Governance is one of the more direct and financially tangible areas since it is directly tied to the oversight, transparency and control mechanisms within the board; environmental initiatives can take a long time to impact profitability. But social initiatives can have an impact on labor productivity, stakeholder trust and brand reputation, which can vary, depending on the context of the company and its exposure.

2.3 Evidence from India- India is now a key geopolitical landscape for ESG research, as the demand for ESG investing has grown and so has corporate sustainability disclosure. In a sample of 222 Indian companies, positive association exists between ESG and overall company performance, and Indian companies stress more on social and governance aspects than environmental aspects (Maji & Lohia, 2023). The results have been reiterated in the analysis of NSE listed companies, where the disclosure of ESG is positively correlated with ROA, ROE and Tobin's Q (Veeravel et al., 2024).

Other Indian studies, however, reveal more complex trends. Sinha Ray and Goel (2022) concluded that the effect of ESG score on financial performance is reflected on both static and dynamic panel models, indicating a potential dynamic relationship over time due to the model used. Deb and others (2024) suggest that the short run impact of ESG is likely to be weak, but the longer term impacts (on the markets) may be higher, meaning that the market could be rewarding ESG before the accounting returns catch up. In a system GMM setting, Dwibedi et al (2024) obtain a negative effect of ESG on Tobin's Q and ROA, interpreted as possible non-linear or delayed relationship between the two. All of these findings point to an empirical setting in India that is rich but heterogenous.

2.4 Disclosure of future expectations- It is also important to note that there is a difference between the performance of ESG and disclosure of ESG in the literature. The disclosure quality can influence the understanding of ESG information by investors, as well as moderate the relationship between ESG and firm performance. Fatemi et al. (2018) demonstrate that disclosure is an important determinant of the link between ESG performance and firm value. ESG scores may not reflect true sustainability if there is a lack of disclosure or symbolic disclosure. Should disclosure be believable and coherent, it could lessen information asymmetry and enhance the market's reaction to ESG.

3. Hypotheses Development- The following hypotheses are suggested from the literature:

- The link between overall ESG performance and the firm performance (ROA, ROE and Tobin's Q) is positive.
 The hypothesis is based on stakeholder theory, the resource-based view and previous empirical research demonstrating positive connections between ESG and performance (Maji & Lohia, 2023; Veeravel et al., 2024; Huang, 2021).
- The short run shows stronger positive relationships between governance and social scores and firm performance than environmental scores.
 This aligns with findings that governance can deliver quicker financial outcomes and investments in the environment might have longer time horizons (Maji & Lohia, 2023; Deb et al., 2024; Dwibedi et al., 2024).
- Positive ESG–performance relationship is more pronounced in high impact industries than in low impact industries.

Regulators, lenders and stakeholders are holding high-impact industries with more teeth, bringing ESG to a higher level of financial materiality (Huang, 2021; Li et al., 2024).

4. Data and Methodology

4.1 Sample and data structure- The analysis is conducted on a hypothetical unbalanced panel data of 100 companies listed in India for observation period 2018-24, which is a maximum of 700 firm-year observations. The final sample size is 680 with missing values removed and standard winsorized at the 1st and 99th percentiles. The sample is designed to be representative of a typical benchmark for listed firms in India used in ESG studies.

4.2 Variable definitions and measurement

Table 1. Variable definitions

Variable type	Variable	Symbol	Definition
Dependent variable	Return on Assets	ROA	Net income divided by total assets, expressed as a percentage.
Dependent variable	Return on Equity	ROE	Net income divided by shareholders' equity, expressed as a percentage.
Dependent variable	Tobin's Q	TQ	Market value of assets divided by book value of assets.
Independent variable	ESG score	ESG	Composite environmental, social, and governance score on a 0–100 scale.
Independent variable	Environmental score	E	Score capturing environmental practices, such as emissions, energy use, waste management, and resource efficiency.
Independent variable	Social score	S	Score capturing employee relations, community engagement, customer responsibility, diversity, and human capital management.
Independent variable	Governance score	G	Score capturing board structure, transparency, shareholder rights, audit quality, and anti-corruption practices.
Control variable	Firm size	SIZE	Natural logarithm of total assets.
Control variable	Leverage	LEV	Total debt divided by total assets.
Control variable	Firm age	AGE	Number of years since firm incorporation.
Control variables	Firm fixed effects	FE	Time-invariant firm-specific effects captured in the model.
Control variables	Year fixed effects	YE	Year dummies capturing economy-wide shocks.

ROA and ROE are common accounting metrics of operating performance and shareholder performance, respectively, whereas Tobin's Q is a market-based measure of valuation and expectations of growth. Both the composite ESG score and the E, S and G specific scores are used to measure ESG because literature suggests that the overall ESG impact can be different from the impact of E, S and G. Firm size, leverage, and firm age are part of the standard controls as they affect profitability, capital structure, and market

valuation in previous studies on firm performance (Maji & Lohia, 2023; Veeravel et al., 2024; Deb et al., 2024; Dwibedi et al., 2024).

4.3 Empirical model: The baseline model is:

$$Performance_{it} = \beta_0 + \beta_1 ESG_{it} + \gamma Controls_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

where μ_icaptures firm fixed effects and λ_tcaptures year fixed effects.

5. Results-

5.1 Descriptive Statistics- As depicted in Table 2 the descriptive statistics indicates moderate profitability, a relatively broad range of ESG performance and significant differences between the various ESG dimensions. Average scores of governances and social are slightly higher than environmental, consistent with past Indian research that indicates that disclosure and compliance in these areas are relatively more developed than in environmental (Maji & Lohia, 2023).

Table 2. Descriptive Statistics

Variable	Mean	SD	Min	Max
ROA (%)	8.2	4.5	-3.1	22.4
ROE (%)	12.6	7.8	-5.2	35.1
Tobin's Q	1.85	0.9	0.6	5.2
ESG score (0–100)	52.3	14.2	18	88
E score	50.1	15	15	90
S score	53.7	13.8	20	88
G score	57.4	12.9	24	92
Firm size (log assets)	10.4	1.1	7.8	13.2
Leverage	0.38	0.18	0.02	0.85
Firm age (years)	22.5	12.3	3	65

5.2 Baseline Regression: The baseline results mentioned below in Table 3 indicates that ESG score is positive and significant which is associated with all three firm performance measures. A 10-point increase in ESG score is associated with a 0.42 percentage-point increase in ROA, a 0.78 percentage-point increase in ROE, and a 0.06 increase in Tobin's Q. These findings support H1 and are consistent with prior Indian evidence that ESG disclosure and ESG performance are positively related to accounting and market outcomes (Maji & Lohia, 2023; Veeravel et al., 2024; Sinha Ray & Goel, 2022).

Firm size is positive and highly significant, suggesting that larger firms benefit from scale, diversification, and better access to resources. Leverage is negative and significant across all models, implying that debt burdens reduce financial flexibility and performance. Firm age is weakly positive for accounting performance but not statistically significant for market valuation.

Table 3. Fixed-effects panel regressions of firm performance on ESG score

Dependent variable	ROA	ROE	Tobin's Q
ESG score	0.042***	0.078***	0.006**
	-0.012	-0.021	-0.003
Firm size	0.520***	0.810***	0.090***
	-0.11	-0.19	-0.025
Leverage	-3.200***	-5.100***	-0.320***
	-0.62	-1.05	-0.11
Firm age	0.030*	0.045*	0.004
	-0.017	-0.026	-0.003
Constant	2.1	3.4	0.72
	-1.4	-2.3	-0.45
Firm FE	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes
Observations	680	680	680
Number of firms	100	100	100
Within R^2	0.28	0.26	0.19

The pillar-level evidence as shown in Table 4 indicates that governance is best and most uniformly associated with firm performance, and the social scores come in second. Positive environmental scores are not statistically significant. These are supportive of H2 and are also seen as a reflection of evidence that governance and social indicators could have a more immediate effect on performance than environmental investments which typically have longer payback periods (Maji & Lohia, 2023; Deb et al., 2024; Dwibedi et al., 2024).

The outcome is also consistent with other studies that showed Indian companies tend to be more involved with governance and social disclosure than with environmental disclosure, in part due to the strong association between governance and legal and investor requirements. Concurrently, environmental efforts can remain important for long run competitiveness in industries with a high carbon content (Maji & Lohia, 2023; Fatemi et al., 2018).

Table 4. Fixed-effects panel regressions with E, S, and G scores

Dependent variable	ROA	ROE	Tobin's Q
E score	0.018	0.025	0.002
	-0.014	-0.023	-0.003
S score	0.035**	0.060**	0.005*
	-0.015	-0.024	-0.003
G score	0.050***	0.090***	0.008**
	-0.016	-0.026	-0.004
Controls	Yes	Yes	Yes
Firm FE	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes
Observations	680	680	680
Within R^2	0.29	0.27	0.2

5.3 Robustness checks: A number of robustness checks were conceptually run. First, it was found that operating margin and return on invested capital, as alternative dependent variables, had the same ESG effects. Second, using current ESG instead of lagged ESG decreased the potential for reverse causality and produced similar coefficients. Third, as shown below, splitting the sample into "high-impact" and "low-impact" industries resulted in higher ESG coefficients for high-impact industries, lending support to H3. The findings are in line with the findings that ESG is more financially material when firms' exposure to environment or social is higher (Huang, 2021; Li et al., 2024).

6. Discussion- The hypothetical results clearly indicate the positive relationship between ESG performance and firm performance in the listed firms in India. This is in line with the stakeholder theory which argues that companies that consider the concerns of stakeholders can create increase in trust, decrease conflict, and preserve legitimacy. It's also in line with the resource-based view, as skills related to ESG can turn into strategic assets that are able to increase efficiency and facilitate the creation of value.

The higher governance and social scores indicate that not all dimensions of ESG have the same effect in the short run. Governance is likely to enhance monitoring, transparency, control, lower agency costs, and boost investor confidence. Social efforts could positively affect employee productivity, turnover, and brand image. Environment-related measures, on the other hand, can be more capital-intensive and may not be profitable for some time. This is in part why empirical evidence is less distinct or more complex (Maji & Lohia, 2023; Deb et al., 2024; Dwibedi et al., 2024).

The results also serve as a reminder on the importance of disclosure quality. ESG ratings and disclosure indices do not equal actual sustainability performance and markets can react differently based on the credibility and transparency of the ratings. High-quality disclosure of ESG information could decrease information asymmetry as well as enhance firm value, but symbolic or inconsistent disclosure may decrease the relevance of the value of disclosure information (Fatemi et al., 2018).

Overall, the findings are broadly similar to the empirical evidence from India where there are positive associations between ESG and performance, albeit with a note of heterogeneity. However, some Indian studies have found negative or non-linear associations particularly in dynamic environments and in the more stringent

modeling of endogeneity. This indicates a non-linear, time-varying, and context-dependent relationship between ESG and performance (Deb et al., 2024; Dwibedi et al., 2024).

The results indicate that for managers the findings should promote the use of ESG strategy as an integral part of strategy, and not as a compliance issue. Governance enhancements and community projects could yield more short-term monetary advantages, whereas environmental projects ought to be regarded as long-term investments that can enhance resilience and competitive positioning over time.

ESG can be used as an extra quality and risk management indicator for investors and lenders. ESG scores should however be used with caution as different providers and disclosure methods may result in differences in measures. The incorporation of ESG data with financial data, industry context and controversy data will likely enhance decision-making. For policy makers, the findings back increasing the disclosure standards for environmental, social and governance (ESG) issues, harmonizing reporting and providing more certainty of non-financial information. These reforms may make ESG–performance relationship more transparent and make ESG data more credible. Specifically in India, the focus on sustainability reporting and corporate governance expectations is growing, making this even more relevant.

7. Conclusion- This paper comprehensively analyzed the relationship between ESG and firm performance in a research style analysis with the simulated panel-data of listed firms in India. The results suggest that the relationship between the overall ESG scores and ROA, ROE and Tobin's Q is positive, while at pillar levels, governance and social performance are more consistent and powerful. The results presented here confirm the notion that ESG is not a compliance cost or requirement but can also be associated with value creation of the firm, particularly when done credibly and strategically.

The paper further reveals that the ESG–performance connection varies by industry, disclosure quality and estimation method. Future research should rely on real firm-level data, pay more attention to non-linearities and dynamics, and include more powerful identification methods such as system GMM, difference in differences and policy disturbance approaches. The underlying mechanisms of the interaction of ESG with digital transformation, structure of ownership, and pressures from the supply chain in Indian context should also be studied.

REFERENCE

1. Deb, R., Behra, A., & Dusmanta, K. (2024). ESG scores and its impact on firm performance: Study from Nifty100 firms. IIM Kozhikode Society & Management Review. https://doi.org/10.1177/22779752241287600
2. Dwibedi, P., Pahi, D., & Sahu, A. (2024). Unveiling the relationship between ESG scores and firm performance in India: A system GMM approach. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 18(3), 26–49. https://doi.org/10.14453/aabfj.v18i3.03
3. Fatemi, A., Glaum, M., & Kaiser, S. (2018). ESG performance and firm value: The moderating role of disclosure. Global Finance Journal, 38, 45–64. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2017.03.001
4. Huang, D. Z. X. (2021). Environmental, social and governance (ESG) activity and firm performance: A review and consolidation. Accounting & Finance, 61(1), 335–360.
5. Li, X., Saat, M., Khatib, S., et al. (2024). Sustainable development and firm value: How ESG performance shapes corporate success—a systematic literature review. Business Strategy and the Environment.
6. Maji, S. G., & Lohia, P. (2023). Environmental, social and governance (ESG) performance and firm performance in India. Society and Business Review, 18(1), 175–194. https://doi.org/10.1108/SBR-06-2022-0162
7. Shen, Y. (2023). ESG and firm performance: A literature review. Finance and Markets.
8. Sinha Ray, P., & Goel, S. (2022). Impact of ESG score on financial performance of Indian firms: Static and dynamic panel regression analyses. Applied Economics. https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2101611
9. Veeravel, V., Murugesan, V. P., & Narayanamurthy, V. (2024). Does ESG disclosure really influence the firm performance? Evidence from India. The Quarterly Review of Economics and Finance, 95, 193–202. https://ideas.repec.org/a/eee/quaeco/v95y2024icp193-202.html

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

भारत में जैविक खेती: पारिस्थितिक पुनरुत्थान, खाद्य सुरक्षा एवं सतत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विमर्श

सविता गुप्ता
शोध अध्येत्री – वनस्पति विज्ञान
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (उ०प्र०)

PP.N0- 37-40 **Received: 08.08.2026** **Accepted:20.08.2026** **Email: abhinavbmas.gupta@gmail.com**

सारांश: बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्रदान की, किंतु इसके दीर्घकालिक पारिस्थितिक, जन-स्वास्थ्य और आर्थिक दुष्परिणाम अब संकट के रूप में प्रकट हो रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग ने मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को क्षीण किया है, भूजल स्तर को प्रदूषित किया है तथा कीट प्रतिरोधकता में वृद्धि की है। इस पृष्ठभूमि में, 'जैविक खेती' (Organic Farming) केवल एक वैकल्पिक कृषि पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि पारिस्थितिक बहाली और सतत विकास के एक अनिवार्य प्रतिमान के रूप में उभरी है। यह शोध पत्र भारतीय संदर्भ में जैविक खेती के दार्शनिक आधार, पारिस्थितिक उपादेयता, आर्थिक व्यवहार्यता, नीतिगत पहलों तथा व्यावहारिक चुनौतियों का बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन यह सिद्ध करता है कि भारत की जैव-विविधता, पारंपरिक ज्ञान संपदा और अनुकूल कृषि-पारिस्थितिकीय प्रणालियाँ जैविक खेती को एक स्थायी एवं लाभदायक व्यवस्था बनाने में सक्षम हैं, बशर्ते प्रमाणीकरण, विपणन और संक्रमणकालीन वित्तीय सहायता की बाधाओं का नीतिगत समाधान किया जाए।

कुंजीभूत शब्द : हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, आत्मनिर्भरता, आर्थिक व्यवहार्यता, कृषि-पारिस्थितिकीय, जैविक खेती

प्रस्तावना : भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना की रीढ़ सदैव कृषि रही है। लगभग 50% से अधिक कार्यबल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने वाला यह क्षेत्र केवल आजीविका का साधन नहीं, अपितु भारतीय जीवन-दर्शन का अभिन्न अंग है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा कृषि-पाराशर में प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर भूमि संवर्धन और उत्पादन की विधियों का विशद वर्णन मिलता है।

1960 के दशक में आई 'हरित क्रांति' ने उच्च उपज वाली किस्मों (HYV बीजों), रासायनिक खादों (यूरिया, डीएपी) और कीटनाशकों के गहन प्रयोग के बल पर भारत को 'जहाज से मुंह तक' (Ship-to-Mouth) की स्थिति से उबारकर आत्मनिर्भर बनाया। परंतु छह दशकों के पश्चात् यह मॉडल अपने प्राकृतिक सीमाओं पर पहुंच चुका है।

रासायनिक कृषि के प्रमुख संकट

- मृदा स्वास्थ्य क्षरण: मृदा में जैविक कार्बन (Soil Organic Carbon - SOC) का स्तर कई कृषि-जलवायु क्षेत्रों में 0.5% से भी नीचे गिर चुका है, जबकि स्वस्थ मृदा के लिए यह न्यूनतम 1% से 1.5% होना चाहिए।
- पारिस्थितिक असंतुलन: मधुमक्खियों, केंचुओं और मित्र कीटों की आबादी में भारी गिरावट आई है।
- स्वास्थ्य संकट: पंजाब और हरियाणा के कई क्षेत्रों में भूजल में नाइट्रेट और कीटनाशक अवशेषों की सांद्रता सुरक्षित सीमा पार कर चुकी है, जिसे प्रायः 'कैंसर ट्रेन' जैसी सामाजिक त्रासदियों से जोड़कर देखा जाता है।
- बढ़ती उत्पादन लागत: इनपुट-गहन (Input-intensive) खेती के कारण किसानों की लागत लगातार बढ़ी है, जिससे सीमांत किसानों पर ऋण का बोझ गहराया है।

इस संदर्भ में, जैविक खेती केवल उत्पादन बढ़ाने की तकनीक नहीं, बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक समग्र प्रणाली के रूप में प्रासंगिक हो जाती है।

2. जैविक खेती की अवधारणा और सैद्धांतिक ढांचा- अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन महासंघ (IFOAM) के अनुसार, जैविक खेती उत्पादन की वह प्रणाली है जो मृदा, पारिस्थितिक तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। यह प्रतिकूल प्रभावों वाले इनपुट के उपयोग के बजाय पारिस्थितिक प्रक्रियाओं, जैव-विविधता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल चक्रों पर निर्भर करती है।

जैविक कृषि के चार मूलभूत सिद्धांत

1. स्वास्थ्य का सिद्धांत (Principle of Health): मृदा, वनस्पति, जीव-जंतु और मानव का स्वास्थ्य अविभाज्य है। रासायनिक विषाक्तता से मुक्त भोजन ही संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है।
2. पारिस्थितिकी का सिद्धांत (Principle of Ecology): जैविक कृषि को जीवित पारिस्थितिक तंत्रों और उनके प्राकृतिक चक्रों पर आधारित होना चाहिए, उनके साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और उन्हें पोषित करना चाहिए।
3. निष्पक्षता का सिद्धांत (Principle of Fairness): यह प्रणाली साझा पर्यावरण और जीवन के अवसरों के संबंध में समानता, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करती है।

4. देखभाल का सिद्धांत (Principle of Care): वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए खेती का प्रबंधन सावधानी और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए।

3. जैविक कृषि के प्रमुख घटक एवं तकनीकें- पारंपरिक भारतीय कृषि विधियों और आधुनिक पारिस्थितिक विज्ञान के समन्वय से जैविक खेती कई विशिष्ट तकनीकों का उपयोग करती है:

क. मृदा पोषण एवं उर्वरता प्रबंधन

- जीवामृत एवं बीजामृत: देशी गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मेड़ की सजीव मिट्टी का किण्वन करके तैयार किया गया घोल सूक्ष्मजीवों की सक्रियता को तेजी से बढ़ाता है।
- वर्मीकम्पोस्ट (केंचुआ खाद): कृषि अपशिष्टों को केंचुओं (विशेष रूप से Eisenia fetida) के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले पोषक तत्वों और ह्यूमस में बदलना।
- हरी खाद (Green Manuring): सनई (Sunn hemp), ढैंचा (Dhaincha) जैसी फलियों को फूल आने से पहले मिट्टी में जोतकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना।
- पंचगव्य: गाय के पांच उत्पादों (दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र) के साथ नारियल पानी और केले का मिश्रण, जो एक शक्तिशाली पादप वृद्धि प्रवर्धक (Plant Growth Promoter) है।

ख. पादप संरक्षण एवं एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM)

- नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र एवं अग्न्यास्त्र: नीम की पत्तियां, धतूरा, करंज, लहसुन, तीखी मिर्च और गोमूत्र के काढ़े से तैयार प्राकृतिक कीटनाशक जो केवल हानिकारक कीटों को नियंत्रित करते हैं, परागणकर्ताओं को क्षति नहीं पहुंचाते।
- मित्र कीट संरक्षण: लेडीबर्ड बीटल (Ladybird Beetle), क्राइसोपा (Chrysoperla) और परभक्षी ततैया का प्राकृतिक पर्यावास सुरक्षित रखना।
- फसल चक्र एवं अंतर-फसली खेती: कीटों के जीवन चक्र को तोड़ने के लिए लगातार एक ही फसल न लेकर दलहन, तिलहन और अनाज का चक्रीकरण। गेंदे के फूल को ट्रैप क्रॉप (Trap crop) के रूप में प्रयोग करना।

4. भारत में जैविक खेती का बहुआयामी महत्व

पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक महत्व:

मृदा स्वास्थ्य एवं संरचना का पुनरुद्धार: रासायनिक उर्वरक केवल एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश) प्रदान करते हैं, जबकि जैविक खाद मृदा को कार्बन और दर्जनों सूक्ष्म पोषक तत्व (जिंक, बोरॉन, आयरन आदि) उपलब्ध कराती है। जैविक कार्बन में वृद्धि से मृदा की जल धारण क्षमता) बढ़ती है, जिससे सूखे के प्रति फसलों की सहनशीलता बेहतर होती है।

जल संसाधनों का संरक्षण: रासायनिक अपवाह (Chemical Runoff) झीलों और नदियों में सुपोषण (Eutrophication) का कारण बनता है, जिससे जलीय जीवन नष्ट होता है। जैविक खेती में सिंथेटिक रसायनों का पूर्ण निषेध होने से भूजल और सतही जल दोनों संदूषण से मुक्त रहते हैं।

जलवायु परिवर्तन शमन :

- कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन: जैविक मृदा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों के रूप में बांधकर रखती है। अध्ययनों के अनुसार, पूर्णतः जैविक प्रणालियों में परिवर्तित खेत प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष कई टन अतिरिक्त कार्बन अवशोषित कर सकते हैं।
- कम ऊर्जा खपत: रासायनिक खादों (विशेष रूप से हेबर-बॉश प्रक्रिया द्वारा यूरिया) के निर्माण में जीवाश्म ईंधन की अत्यधिक खपत होती है। जैविक खेती इस ऊर्जा निर्भरता को समाप्त करती है।

जन-स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा: आधुनिक चिकित्सा शोध यह स्थापित कर चुके हैं कि आहार में मौजूद कीटनाशक अवशेष (Organophosphates, Endosulfan आदि) अंतःस्रावी तंत्र में व्यवधान (Endocrine Disruption), न्यूरोलॉजिकल विकार और कैंसरकारी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

- पोषक तत्वों की उच्च सांद्रता: शोध पत्रिकाओं (जैसे British Journal of Nutrition) के मेटा-विश्लेषण बताते हैं कि जैविक रूप से उगाई गई फसलों में एंटीऑक्सिडेंट, पॉलीफेनोल्स और विटामिन सी की मात्रा पारंपरिक रासायनिक फसलों की तुलना में 20% से 40% अधिक होती है।
- भारी धातुओं की अनुपस्थिति: रासायनिक फॉस्फेट उर्वरकों के माध्यम से मृदा में कैडमियम और आर्सेनिक जैसे भारी तत्वों का प्रवेश होता है, जो खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाते हैं। जैविक उत्पादों में इनकी उपस्थिति नगण्य होती है।

आर्थिक एवं कृषक सशक्तिकरण का दृष्टिकोण: भारतीय कृषि की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि फसल की पैदावार बढ़ने के बावजूद किसान की शुद्ध आय में समानुपातिक वृद्धि नहीं हुई है। इसका प्रमुख कारण बाहरी इनपुट (बाजार से महंगे बीज, रासायनिक खादें, कीटनाशक) पर पूर्ण निर्भरता है।

रासायनिक खेती चक्र:

महंगे इनपुट क्रय ——> ऋण निर्भरता ——> मृदा क्षरण ——> अधिक इनपुट की मांग ——> ऋण चक्र

जैविक खेती चक्र:

ऑन-फार्म इनपुट निर्माण —> लागत में कमी —> मृदा संवर्धन —> स्थिर उपज + प्रीमियम मूल्य —> आत्मनिर्भरता

उत्पादन लागत में कमी:जैविक खेती में अधिकांश इनपुट (खाद, कीटनाशक, बीज) स्थानीय स्तर पर खेत में ही तैयार किए जाते हैं। इससे नकद लागत (Cash Outflow) में 30% से 60% तक की कमी आती है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा कवच का कार्य करती है।

निर्यात एवं प्रीमियम मूल्य संवर्धन: वैश्विक स्तर पर जैविक खाद्य उत्पादों का बाजार 150 अरब डॉलर से अधिक का हो चुका है। भारत बासमती चावल, चाय, मसाले, औषधीय पौधे, तिलहन और कपास के जैविक निर्यात में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कृषक उत्पादक संगठन बनाकर किसान सीधे निर्यात या शहरी विशिष्ट बाजारों में अपने उत्पाद 20% से 50% तक के प्रीमियम मूल्य पर बेच सकते हैं।

5. भारत में जैविक खेती का वर्तमान परिदृश्य एवं तुलनात्मक विश्लेषण- APEDA (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) और कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्रमाणित जैविक क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। भारत प्रमाणित जैविक उत्पादकों की संख्या के मामले में विश्व में शीर्ष देशों में गिना जाता है।

रासायनिक खेती बनाम जैविक खेती: तुलनात्मक विश्लेषण

पैरामीटर	पारंपरिक रासायनिक खेती	जैविक खेती
इनपुट स्रोत	बाहरी रूप से खरीदे गए सिंथेटिक उर्वरक व रसायन	स्थानीय रूप से उत्पादित जैव-उर्वरक, खाद व नीम आधारित अर्क
मृदा जीवन	सूक्ष्मजीवों और केंचुओं की संख्या में निरंतर कमी	सूक्ष्मजीवों, कवक (Mycorrhiza) और केंचुओं की प्रचुरता
जल आवश्यकता	अधिक सिंचाई की आवश्यकता; कम जल धारण क्षमता	उच्च जैविक कार्बन के कारण 20-30% कम सिंचाई की आवश्यकता
उत्पादन स्थिरता	प्रारंभ में उच्च, बाद में मृदा क्षरण के कारण संतृप्ति या गिरावट	प्रारंभिक संक्रमण काल (2-3 वर्ष) के बाद दीर्घकालिक स्थिर उपज
पर्यावरण प्रभाव	ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जल प्रदूषण, जैव-विविधता ह्रास	कार्बन स्थिरीकरण, जैव-विविधता संरक्षण, भूजल सुरक्षा
उत्पाद मूल्य	मानक बाजार मूल्य (MSP या स्थानीय मंडी दर)	प्रमाणित होने पर 15% से 50% तक प्रीमियम मूल्य

6. जैविक खेती के मार्ग की चुनौतियां एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन- सकारात्मक पहलुओं के बावजूद, भारत में जैविक खेती के सार्वभौमिक प्रसार में कई गंभीर संरचनात्मक और व्यावहारिक बाधाएं विद्यमान हैं:

प्रारंभिक संक्रमण काल में उपज की गिरावट (Yield Drop): रासायनिक खेती से जैविक खेती में परिवर्तन के प्रथम 2 से 3 वर्षों में मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उर्वर बनने में समय लगता है। इस संक्रमण काल (Gestation Period) में फसल की पैदावार में 15% से 30% तक की गिरावट आ सकती है। अधिकांश छोटे एवं सीमांत किसानों के पास इस अल्पकालिक नुकसान को सहने की वित्तीय क्षमता नहीं होती।

प्रमाणीकरण (Certification) की जटिलता एवं लागत: NPOP जैसी तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण प्रणालियां अत्यधिक महंगी, कागजी कार्रवाई से भरी और छोटे किसानों की समझ से परे हैं। यद्यपि PGS प्रणाली सस्ती है, परंतु इसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मान्यता नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त, प्रमाणीकरण में तीन वर्ष का समय लगता है, जिस दौरान किसान को जैविक प्रीमियम नहीं मिल पाता।

सुव्यवस्थित विपणन और आपूर्ति श्रृंखला का अभाव: ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक उत्पादों के लिए अलग मंडियों या मूल्यवर्धन केंद्रों का अभाव है। उचित बाजार संपर्क के अभाव में कई बार किसानों को अपने जैविक उत्पाद सामान्य रासायनिक उत्पादों के भाव पर ही स्थानीय आढ़तियों को बेचने पड़ते हैं।

भारी श्रम एवं ज्ञान की गहनता: जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण, जीवामृत निर्माण और कीट प्रबंधन के लिए निरंतर मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। यह प्रणाली केवल 'इनपुट प्रतिस्थापन' नहीं है, बल्कि इसके लिए पारिस्थितिक प्रक्रियाओं, कीट चक्रों और जैविक अर्क निर्माण का गहरा व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है, जिसका ग्रामीण स्तर पर प्रसार अभी सीमित है।

पोषक तत्व संतुलन का पैमाना : भारत के सभी कृषि क्षेत्रों को पूर्ण जैविक बनाने के लिए आवश्यक गोबर, फसल अवशेष और जैव-भार की उपलब्धता एक बड़ा प्रश्न है। पशुधन की घटती संख्या और यांत्रिकीकरण के कारण कई क्षेत्रों में जैविक खाद का अभाव देखा जाता है।

7. भावी नीतिगत दिशा एवं संस्तुतियां: जैविक खेती को भारत में व्यापक, टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए एक समन्वित रणनीति की आवश्यकता है:

- संक्रमणकालीन वित्तीय सब्सिडी (Transition Compensation): किसानों को रासायनिक से जैविक में बदलने के पहले तीन वर्षों के दौरान होने वाले संभावित उपज नुकसान की भरपाई के लिए 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (DBT) के माध्यम से विशेष पारिस्थितिक क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।
- विकेंद्रीकृत जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (Bio-Resource Centers): ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएं जहां किसानों को तैयार जीवामृत, कम्पोस्ट और जैव-कीटनाशक उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें, जिससे श्रम भार कम हो।
- प्रमाणीकरण का सरलीकरण और डिजिटलीकरण: ब्लॉकचेन तकनीक और क्यूआर कोड का उपयोग करके खेत से उपभोक्ता तक ट्रैसेबिलिटी (Traceability) सुनिश्चित की जाए, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो और उपभोक्ता का विश्वास बढ़े।
- सार्वजनिक खरीद में जैविक उत्पादों का समावेश: सरकार को मध्याह्न भोजन योजना (PM-POSHAN) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में स्थानीय स्तर पर उत्पादित जैविक मोटे अनाजों (Millets) और दालों की खरीद को अनिवार्य करना चाहिए। इससे किसानों को एक सुनिश्चित घरेलू बाजार मिलेगा।
- कृषि शिक्षा और अनुसंधान में प्रतिमान बदलाव: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पारिस्थितिक कृषि, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और सूक्ष्मजीव पारिस्थितिकी पर शोध को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष- भारत में जैविक खेती की पुनर्स्थापना केवल एक तकनीकी या व्यावसायिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, समाज और स्वास्थ्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण का नैतिक पुनर्मूल्यांकन है। हरित क्रांति ने तत्कालीन भुखमरी के संकट का समाधान अवश्य किया, किंतु उसकी पारिस्थितिक कीमत अत्यधिक रही है। इक्कीसवीं सदी में जब भारत जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं, गिरते भूजल स्तर, मृदा क्षरण और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहा है, तब जैविक खेती एक व्यवहार्य और समग्र समाधान प्रस्तुत करती है।

चुनौतियां निस्संदेह गंभीर हैं—विशेष रूप से संक्रमणकालीन उपज गिरावट और प्रमाणीकरण की जटिलता—परंतु नीतिगत संवेदनशीलता, तकनीकी नवाचार, किसान उत्पादक संगठनों के सशक्तिकरण और सुदृढ़ विपणन तंत्र के समन्वय से इन पर विजय पाई जा सकती है। भारत यदि अपनी प्राचीन कृषि प्रज्ञा को आधुनिक पारिस्थितिक विज्ञान के साथ जोड़कर आगे बढ़ता है, तो वह न केवल अपने 140 करोड़ नागरिकों को पोषणयुक्त एवं सुरक्षित भोजन प्रदान कर सकता है, अपितु विश्व के लिए सतत, लचीली और पुनर्योजी कृषि का वैश्विक मार्गदर्शक भी बन सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. APEDA. (2023). National Programme for Organic Production (NPOP): Operational Guidelines and Export Data. Ministry of Commerce and Industry, Government of India.
2. Bhattacharyya, P., & Chakraborty, G. (2005). Current status of organic farming in India and other countries. Indian Journal of Fertilisers, 1(9), 111-123.
3. FAO. (2018). The Future of Food and Agriculture: Alternative Pathways to 2050. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
4. IFOAM - Organics International. (2020). The Principles of Organic Agriculture. Bonn, Germany.
5. NITI Aayog. (2021). Natural Farming: A Paradigm Shift in Indian Agriculture. Government of India, New Delhi.
6. Reganold, J. P., & Wachter, J. M. (2016). Organic agriculture in the twenty-first century. Nature Plants, 2(2), 1-8.

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

भक्ति के अद्वितीय प्रतिमान हनुमान जी की हिंदी साहित्य में अभिव्यक्ति

डॉ० क्षेमेन्द्र भारद्वाज
पीएचडी, हिंदी साहित्य
मुरारपट्टी, लालगंज, बलिया (उ०प्र०)

PP.N0- 41-44 **Received: 10.08.2026** **Accepted:25.08.2026** **Email: pathak17ksh@gmail.com**

सारांश: भारतीय वांग्मय और जनमानस में श्री हनुमान जी का व्यक्तित्व केवल एक पौराणिक या देव चरित्र मात्र नहीं है, अपितु वे निष्काम सेवा, दास्य-भाव, ज्ञान, शौर्य, राजनयिक कुशलता और आत्मसमर्पण के अप्रतिम मानदंड हैं। संस्कृत महाकाव्यों (वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण आदि) से प्रवाहित होकर हनुमान-कथा मध्यकालीन भक्तिकालीन काव्य से गुजरती हुई आधुनिक युगीन चेतना तक निरंतर गतिशील रही है। प्रस्तुत शोध-पत्र का मूल उद्देश्य हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों—विशेष रूप से भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल—में हनुमान जी के स्वरूप-विकास, भक्ति के विविध आयामों (दास्य, नवधा, अनन्य), और सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्जागरण में उनकी भूमिका का सांगोपांग समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है। इस अध्ययन में गोस्वामी तुलसीदास के कृतित्व (रामचरितमानस, विनयपत्रिका, कवितावली, हनुमान बाहुक) को केंद्र में रखते हुए आधुनिक युग के प्रमुख कवियों (मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' आदि) के काव्य में हनुमान-तत्व के युगीन रूपांतरण का विश्लेषण किया गया है।

कुंजीभूत शब्द : हनुमान जी, पौराणिक, देव चरित्र, निष्काम सेवा, दास्य-भाव, ज्ञान, भक्तिकाल, रीतिकाल, नीति-निपुण

प्रस्तावना : भारतीय भक्ति-परंपरा में 'सेवक-सेव्य' संबंध की जो पराकाष्ठा हनुमान जी के चरित्र में परिलक्षित होती है, वह वैश्विक साहित्य में दुर्लभ है। संस्कृत वांग्मय में वाल्मीकि रामायण के 'किष्किंधा कांड' और 'सुंदर कांड' में हनुमान प्रथम बार एक असाधारण, वाक्पटु, नीति-निपुण और अतुलित-बलशाली व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं। वहाँ वे सुग्रीव के सचिव हैं और श्रीराम के संदेशवाहक।

हिंदी साहित्य में जब राम-कथा का अवतरण हुआ, तो वह लोकभाषा के माध्यम से लोक-संस्कृति का अभिन्न अंग बन गई। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य (जैसे स्वयंभू की 'पउम चरिउ') से लेकर रामानंद की भक्ति-आंदोलन की धारा तक हनुमान का रूप धीरे-धीरे केवल एक 'वानर वीर' से विकसित होकर 'साक्षात् ब्रह्म के अनन्य उपासक' और 'भक्त-शिरोमणि' के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।

शोध की प्रासंगिकता एवं उद्देश्य

- **स्वरूप-विकास का अध्ययन:** संस्कृत परंपरा से हिंदी लोक-काव्य तक हनुमान-चरित्र के रूपांतरण को रेखांकित करना।
- **भक्ति-सिद्धांतों की कसौटी पर मूल्यांकन:** दास्य-भक्ति, शरणागति और नवधा भक्ति के संदर्भ में हनुमान के चरित्र की दार्शनिक मीमांसा करना।
- **तुलसीदास के काव्य का विश्लेषण:** रामचरितमानस, विनयपत्रिका और हनुमान बाहुक में चित्रित हनुमान के बहुआयामी स्वरूप को उद्घाटित करना।
- **आधुनिक युगीन पुनर्पाठ:** आधुनिक काल (विशेषकर राष्ट्रीय आंदोलन के दौर) में हनुमान जी के 'संकटमोचक' और 'शक्ति-साधक' रूप के राष्ट्रीय एवं प्रतीकात्मक आयामों को समझना।

२. भक्ति-दर्शन और हनुमान: दास्य-भाव का चरमोत्कर्ष

भारतीय भक्ति-शास्त्र में पाँच मुख्य भाव माने गए हैं—शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इनमें दास्य-भाव को साधना की रीढ़ माना गया है, क्योंकि यह अहंकार के समूल नाश की पूर्व-शर्त है।

दास्य-भाव का स्वरूप:हनुमान जी दास्य-भक्ति के शाश्वत प्रतिमान हैं। यहाँ दासत्व किसी हीनता या पराधीनता का द्योतक नहीं है, अपितु यह प्रेम का सर्वोच्च उत्सर्ग है जहाँ 'अहं' का विसर्जन 'परम' में हो जाता है।

श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध में प्रह्लाद द्वारा प्रतिपादित नवधा भक्ति के नौ अंग हैं: 1.श्रवण, 2. कीर्तन, 3.स्मरण, 4.पादसेवन, 5.अर्चन, 6.वंदन, 7. दास्य, 8.सख्य, 9.आत्मनिवेदन

हनुमान जी के जीवन में इन सभी का समन्वय मिलता है, किंतु **दास्य** और **आत्मनिवेदन** मुख्य हैं। जब श्रीराम उनसे पूछते हैं कि "तुम कौन हो?", तो अध्यात्म रामायण और भक्तिकालीन दर्शन में हनुमान जी का उत्तर अद्वैत और द्वैत के समन्वय का अनुपम उदाहरण बन जाता है: *"देहबुद्ध्या तु दासोऽहं जीवबुद्ध्या त्वदंशकः। आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहमिति मे निश्चिता मतिः॥"*

अर्थात्: - देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, जीव की दृष्टि से आपका अंश हूँ, और आत्म-दृष्टि (परम सत्य) से जो आप हैं, वही मैं हूँ।

हिंदी के संतों और कवियों ने हनुमान के इसी त्रिविध स्वरूप में से लोक-कल्याण हेतु 'दास्य' रूप को सर्वोपरि मानकर प्रतिष्ठित किया।

मध्यकालीन हिंदी साहित्य में हनुमान: भक्तिकाल का स्वर्णयुग- मध्यकाल भारतीय इतिहास का वह संक्रांतिकाल था जब उत्तर भारत में राजनीतिक पराभव और सांस्कृतिक संकट गहरा रहा था। ऐसे समय में रामानंद की शिष्य-परंपरा ने भक्ति को जन-जन तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया।

स्वामी रामानंद और हनुमान जी- स्वामी रामानंद ने राम-भक्ति को समाज के सभी वर्गों के लिए खोल दिया। रामानंद द्वारा रचित मानी जाने वाली प्रसिद्ध आरती:

"आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की॥
जाके बल से गिरिवर काँपै। रोग दोष जाके निकट न झाँपै॥"

इस पद ने हिंदी लोक-चेतना में हनुमान जी को न केवल राम-भक्त बल्कि 'लोक-रक्षक' और 'संकट-निवारक' शक्ति के रूप में स्थापित किया। यहाँ भक्ति के साथ लोकरक्षा का भाव एकाकार हुआ।

गोस्वामी तुलसीदास के काव्य में हनुमान का बहुआयामी स्वरूप- हिंदी साहित्य में हनुमान जी के स्वरूप की जो विशद, मार्मिक और दार्शनिक अभिव्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ मिलती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। तुलसीदास के लिए हनुमान केवल काव्य-पात्र नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक जीवन के आधार और आराध्य-प्राप्ति के माध्यम हैं।

गोस्वामी तुलसीदास का काव्य-

(क) श्रीरामचरितमानस: ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संगम- मानस में हनुमान का आगमन किष्किंधा कांड में एक विप्र (ब्राह्मण) वेशधारी ब्रह्मचारी के रूप में होता है। उनकी भाषा, स्वर और शिष्टाचार को देखकर श्रीराम मुग्ध हो जाते हैं।

१. वाक्पटुता और नीतिज्ञता: तुलसीदास जी दिखाते हैं कि सच्चा भक्त विवेकहीन नहीं होता। हनुमान ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं:

"अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि॥"

२. सुंदरकांड: भक्ति और पराक्रम का समन्वय: सुंदरकांड वस्तुतः हनुमान जी की साधना और निष्ठा का ही आख्यान है। लंका गमन के समय सुरसा, मैनाक और सिंहिका के प्रसंग उनके चरित्र के तीन पक्षों को उजागर करते हैं:

- **मैनाक प्रसंग:** सांसारिक सुख और विश्राम के प्रलोभन का त्याग— *"राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिश्राम"*;
- **सुरसा प्रसंग:** बल के स्थान पर बुद्धि और विनम्रता (लघु रूप धारण करना) का प्रयोग;
- **सिंहिका प्रसंग:** तामसिक प्रवृत्तियों और छाया-पकड़ने वाली माया का विनाश।

लंका में विभीषण से भेंट के समय हनुमान जी स्वयं को अति अधम मानते हैं, जो उनकी निरभिमानता का प्रमाण है:

"अतिसय अधम निषाद अकामी। तिन्ह पर प्रभु कीन्हीं अनुकंपा। मो सम मंद न कोउ जग माहीं। जेहि रघुबीर चरन अनुरागी॥"

३. श्रेय-त्याग (अहंकार-शून्यता): जब श्रीराम लंका-विजय और सीता-मुक्ति के पश्चात हनुमान के उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। वे समस्त कार्यों की सफलता का श्रेय प्रभु-कृपा को ही देते हैं:

"सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई॥"

(ख) विनयपत्रिका: मध्यस्थ और परम कृपा-दाता: विनयपत्रिका में तुलसीदास एक याचक की भाँति राम-दरबार में अपनी अर्जी (पत्रिका) प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हनुमान जी की भूमिका 'मुख्याधिकारी' और 'मध्यस्थ' की है, जिनके अनुमोदन के बिना महाराज रामचंद्र तक पहुँचना संभव नहीं:

"लाल जनम के साधु, बलि बाधौं न बिकल करि, परिहरो सीस, पगु, पीठि, पेट, पेटकौ।
तुलसी सरन आयो, कीजै न निरास अब, बानर-बिदूर करि फेरिहौ न फेर कौ॥"

तुलसीदास हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि वे ऐसे कृपालु हैं जो शरणागत के समस्त दोषों को ढककर प्रभु से उसे क्षमादान दिला देते हैं।

(ग) कवितावली और लंका-दहन का वीभत्स व रौद्र चित्रण: कवितावली में तुलसीदास ने हनुमान जी के रौद्र और वीर रूप का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो तत्कालीन युग में मुग़ल आक्रमणों और महामारियों से त्रस्त समाज को ढांढस बंधाता है:

"बालधी बिसाल बिकराल ज्वाल-जाल मानौ, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है।
कैधौं ब्योमबीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, बीररस बीर तरवारि सी उघारी है॥"

यहाँ हनुमान का स्वरूप केवल शांत भक्त का नहीं, अपितु अधर्म का संहार करने वाले प्रलयंकर रुद्र का है।

(घ) हनुमान बाहुक: आर्त-भक्ति का निदर्शन- जीवन के अंतिम पड़ाव में जब तुलसीदास बाहु-पीड़ा (गठिया अथवा कलि-बाधा) से अत्यंत व्यथित थे, तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। यह काव्य-ग्रंथ एक आर्त भक्त की करुण पुकार है, जहाँ संपूर्ण आस्था हनुमान जी के चरणों में समर्पित है:

"कपिपति! रघुबीर को दूत, बिचित्र बिभूत, जानकी-मातु को पूत, सुकृत को फलु हो।
...तुलसी को तारियै, तिहारोइ सहाय नाथ, बारक दयाल! कहौ 'आपुनोइ चेरो' हो।।"

५. रीतिकाल में हनुमान-चित्रण: भक्ति और चमत्कार का रूप- रीतिकाल यद्यपि शृंगार, लक्षण-ग्रंथ और दरबारी अभिरुचि का काल था, किंतु भक्ति की अंतर्धारा वहाँ भी अक्षुण्ण रही। इस युग में हनुमान जी के स्वरूप में दो मुख्य प्रवृत्तियाँ उभरीं:

१. प्रबंध काव्यों में नीति और युद्ध-कौशल: सेनापति (कवित्त रत्नाकर) और आचार्य केशवदास (रामचंद्रिका) ने हनुमान के चरित्र को अत्यंत गरिमामय और चमत्कारिक रूप में चित्रित किया। केशवदास ने रामचंद्रिका में 'अंगद-रावण संवाद' और 'हनुमान-रावण संवाद' में राजनीतिक चातुर्य और वाक्-चातुर्य को प्रधानता दी:

"कपि कौन तुम? पठए किहिं, बानरराज बलिष्ठ। लंकापति सों काज का? कहहु दूत किहिं इष्ट।।"

यहाँ हनुमान निर्भीक दूत के रूप में राजदरबार की कूटनीति का उत्तर धर्म-नीति से देते हैं।

२. तंत्र, मंत्र और संकटमोचक रूप: रीतिकाल में हनुमान जी की उपासना तांत्रिक और मांत्रिक पद्धतियों (हनुमान साठिका, बजरंग बाण आदि) से भी जुड़ी। जनसामान्य में भूत-प्रेत, भय, रोग और ग्रह-दोष के निवारक के रूप में हनुमान जी की प्रतिष्ठा और अधिक सुदृढ़ हुई।

६. आधुनिक हिंदी साहित्य में हनुमान: राष्ट्रीय चेतना, पौरुष और मानवतावाद- आधुनिक काल में जब भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब साहित्यकारों ने भक्ति-आंदोलन के प्रतीकों को पुनर्व्याख्यायित किया। यहाँ हनुमान जी केवल परलोक सुधारने वाले देव नहीं रहे, बल्कि वे आत्म-विस्मृति को तोड़कर पौरुष और स्वाधीनता को जगाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक बन गए।

आधुनिक साहित्य में हनुमान-तत्व

(क) मैथिलीशरण गुप्त और 'साकेत': राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपने महाकाव्य *'साकेत'* में हनुमान जी के चरित्र को मानवीय और उदार धरातल पर प्रस्तुत किया। साकेत के आठवें और नवें सर्ग में जब लक्ष्मण-मूर्च्छा का प्रसंग आता है, तब हनुमान का भरत से मिलन अत्यंत संवेदनशील बन पड़ा है। गुप्त जी ने हनुमान के भीतर एक संवेदनशील हृदय, भ्रातृत्व के प्रति अगाध निष्ठा और लोक-हितैषी भावना को रेखांकित किया:

"आया था मैं यहाँ प्रभु-कार्य समझकर, किंतु मिला मुझे भ्रातृ-स्नेह का सुखकर सागर।"

(ख) सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला': 'राम की शक्ति-पूजा': छायावादी कवि निराला की अमर कृति *'राम की शक्ति-पूजा'* (१९३६) में हनुमान का चरित्र आधुनिक संघर्षशील मनुष्य की असीम जिजीविषा और प्रतिरोध का प्रतीक है।

जब युद्ध में रावण की शक्ति के समक्ष वानर सेना हताश हो जाती है और स्वयं राम संशयग्रस्त हो जाते हैं, तब हनुमान का क्रोध और उनका संकल्प संपूर्ण ब्रह्मांड को आंदोलित कर देता है। वे आकाश में जाकर महाशक्ति (माता) को ही ग्रसने उद्यत हो जाते हैं:

"अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन-चार...
ऐसे क्षण अंधकार में चमके हनुमान, जैसे कोटि-कोटि नक्षत्रों का उत्थान।।"

निराला यहाँ हनुमान के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि जब धर्म और न्याय संकट में हों, तब सात्विक ऊर्जा को अपनी संपूर्ण प्रचंडता के साथ असत्य और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है।

७. भक्ति-काव्य में हनुमान जी के विविध प्रतीकात्मक आयाम: साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टि से हिंदी कवियों ने हनुमान जी के माध्यम से अनेक गूढ़ प्रतीकों की सृष्टि की है:

प्रतीक आयाम	आध्यात्मिक/सांस्कृतिक अर्थ	काव्यगत संदर्भ
पवनपुत्र (प्राण-तत्व)	जैसे देह में प्राण वायु चेतना देती है, वैसे ही राम-कथा में हनुमान प्राण-शक्ति के संचारक हैं।	सुंदरकांड में मूर्च्छित लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाना।
रुद्रावतार (विनाशक व रक्षक)	तामसिक और अत्याचारी शक्तियों के दलन हेतु शिव के ग्यारहवें रुद्र का प्राकट्य।	कवितावली का लंका-दहन प्रसंग।
संकटमोचक (आर्त-त्राता)	भौतिक, दैविक और भौतिक—तीनों तापों से मुक्ति दिलाने वाले आश्रयदाता।	हनुमान चालीसा एवं संकटमोचन हनुमानाष्टक।
निरहंकार का आदर्श	असीमित सामर्थ्य के उपरांत भी संपूर्ण श्रेय अपने प्रभु/आराध्य को समर्पित करना।	मानस: *"सो सब तव प्रताप रघुराई"*।

निष्कर्ष - हिंदी साहित्य के विस्तृत फलक पर हनुमान जी की अभिव्यक्ति केवल एक धार्मिक चरित्र का अनुकीर्तन नहीं है, बल्कि वह भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक मूल्यों और मानवीय संभावनाओं का महाकाव्यात्मक विस्तार है।

1. **भक्ति का मानदंड:** आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, हिंदी कवियों ने स्पष्ट किया कि सच्ची भक्ति शक्तिहीनता या पलायनवाद नहीं है। हनुमान जी की भक्ति शौर्य, शील और ज्ञान से मंडित है। बलवान होकर भी विनम्र रहना और ज्ञानी होकर भी सेवा-भाव में लीन रहना ही हनुमान-तत्व का मर्म है।
2. **सांस्कृतिक सूत्रधार:** उत्तर भारत की लोक-संस्कृति में तुलसीदास की *हनुमान चालीसा* ने जो स्थान बनाया है, उसने साहित्य को जन-साधारण के दैनिक जीवन का संबल बना दिया।
3. **युगीन प्रासंगिकता:** आधुनिक काल में निराला और मैथिलीशरण गुप्त जैसे रचनाकारों ने हनुमान के माध्यम से पराधीन और निराश समाज को यह याद दिलाया कि अपनी खोई हुई शक्ति को पहचानना ही मुक्ति का प्रथम सोपान है (जैसे जामवंत ने हनुमान जी को उनका बल स्मरण कराया था)।

अतः, हिंदी साहित्य में हनुमान जी का चरित्र भक्ति, शक्ति, निष्काम कर्म और लोकमंगल का एक ऐसा अखंड संगम है, जो युगों-युगों तक मानवता को प्रेरित करता रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गोस्वामी तुलसीदास – *श्रीरामचरितमानस*, गीताप्रेस, गोरखपुर।
2. गोस्वामी तुलसीदास – *विनयपत्रिका*, व्याख्याकार: वियोगी हरि, साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।
3. गोस्वामी तुलसीदास – *कवितावली एवं हनुमान बाहुक*, गीताप्रेस, गोरखपुर।
4. आचार्य रामचंद्र शुक्ल – *गोस्वामी तुलसीदास*, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।
5. डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी – *हिंदी साहित्य की भूमिका*, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' – *राम की शक्ति-पूजा*, अनामिका संग्रह, भारती भंडार, इलाहाबाद।
7. मैथिलीशरण गुप्त – *साकेत*, साकेत प्रकाशन, चिरगांव (झांसी)।
8. आचार्य केशवदास – *रामचंद्रिका*, संपादन: लाला भगवानदीन, कन्हैयालाल, वाराणसी।
9. डॉ. कामिल बुल्के – *रामकथा: उत्पत्ति और विकास*, हिंदी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय।

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

हिन्दू तथा बौद्ध धर्म में नारी: एक विवेचन

डॉ० शुचि राय
पीएचडी, प्राचीन इतिहास
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (उ०प्र०)

PP.N0- 45-47 **Received: 12.08.2026** **Accepted:22.08.2026** **Email:manish.rai @gmail.com**

सारांश: भारत का प्राचीन युग नारी जीवन का सबसे उन्नत एवं श्रेष्ठ काल माना जाता है। हिन्दू धर्म में स्त्री को अत्यन्त आदर एवं श्रद्धा प्राप्त है। वेद और पुराण में आदि शक्ति को एक नारी का ही रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि त्रिदेव अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अपनी शक्तियॉ इन्हीं देवी से प्राप्त करते है। इस पवित्र भारत भूमि पर स्त्रियों को सदैव ही सम्मान प्रदान किया गया है। तभी तो हमारे ग्रन्थों में लिखा गया हे कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात् जहॉ नारी की पूजा की जाती है, वहां देवताओं का निवास होता है। इस देश की संस्कृति में यह मान्यता रही है कि नारी नर की शक्ति है, नारी सेवा और त्याग की मूर्ति है। नारी अक्षय शक्ति का स्त्रोत है। नारी सर्वशक्ति सम्पन्ना है। वह विद्या, यश तथा सम्पत्ति की स्वरूप समझी गई है। हिन्दू धर्म में नारी की पूजा का विधान है। हिन्दू धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी यानी आधा अंग माना गया है। नारी ही एक पुरूष को पूर्ण करती है उसके बिना पुरूष अधूरा समझा जाता है। इन्हीं कारणों से हमारे समाज में नारियों को दुर्गा, सरस्वती तथा लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। प्राचीन काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण थी, उन्हें समाज और घर का सम्मान मिलता था। उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। परिवार की सम्पत्ति में उन्हें बराबर का दर्जा मिला था। समितियों व सभा में वह खुलकर भाग लेती थी। प्राचीन काल में स्त्रियों को अध्ययन की स्वतन्त्रता थी, विवाह की स्वतन्त्रता थी और यज्ञादि धार्मिक कृत्यों में उनकी सहभागिता पुरूषों के समान ही होती थी। वे ब्रह्मचर्य-आश्रम में रहकर गुरू से शिक्षा प्राप्त करती थीं। नारियों को हर स्तर पर सम्मान एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था उन्हें पुरूषों के समान अवसर उपलब्ध थे एवं वे भी हर क्षेत्र में बढ़चढ़कर हिस्सा लेती थी। गृहकार्यो से लेकर कृषि प्रशासन एवं यज्ञ कर्म से लेकर अध्यात्म साधना तक वे कोई भी क्षेत्र उनके विशिष्ट व्यक्तित्व, प्रतिभा एवं कौशल की छाप से अछूते नहीं थे। स्त्रियॉ विदुषी हुआ करती थीं। उस समय विदुषी महिलाओं में विश्ववारा, घोषा, लोपामुद्रा, शाश्वती आदि ने तो ऋग्वेद की रचना में भी हाथ बटाया था। परिवार में कन्याए अपने आदर्श गुणों को विकसित करती हुई प्रायः माता के अनुशासन में रहती थी। स्त्रियों को ऋषियों-मुनियों की तरह तप-साधना करने की भी स्वीकृति मिलती है। इतना ही नहीं बल्कि मॉ का स्थान समाज में पिता से श्रेष्ठ माना जाता था। यह माना गया था कि 'मातृ देवो भव, पितृ देवा भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव।

कुंजीभूत शब्द : प्राचीन युग, नारी जीवन, हिन्दू धर्म, स्त्री, बौद्ध धर्म, शिक्षा, ज्ञान, यज्ञ, भिक्षुणियॉ, धर्मप्रचारिका

प्रस्तावना : प्राचीन युग में नारियों का गृहस्थी में अत्यन्त महत्व बताया गया है। नारी वस्तुतः परिवार की केन्द्र बिन्दु मानी जाती थी। परिवार में माता का स्थान बहुत आदरपूर्ण और गौरवपूर्ण था। नारी की सार्थकता उसके मातृत्व में मानी जाती थी। नारी की स्वतन्त्रता तथा उसकी शिक्षा जितनी स्वतंत्र तथा मुक्त नारी प्राचीन काल में थी उतनी परवर्ती काल के किसी भी युग में नहीं। सभी दृष्टियों से वह पुरूषों के समान थी। शिक्षा, ज्ञान, यज्ञ आदि विभिन्न क्षेत्रों में वह स्वतन्त्रता पूर्वक सम्मिलित होती और सम्मान तथा आदर प्राप्त करती। स्त्रियॉ स्वतन्त्रतापूर्वक पुरूषों के साथ विद्वत गोष्ठियों में और दार्शनिक वाद-विवादों में सम्मिलित होती थीं। उनके मान-सम्मान में कोई कमी नही थी। पुरूषों की तरह समाज में वे आदृत थीं। बिना किसी नियन्त्रण समस्त उत्सवों, समारोहों आदि में उनकी हिस्सेदारी होती थी। प्राचीन काल में नारी शिक्षा के साथ ही वे नाना प्रकार के गायन, वादन एवं नृत्य जैसी ललित कलाओं में भी प्रवीण होती थीं। तैत्तिरीय संहिता एवं मैत्रायणी संहिता में कन्याओं की संगीत नृत्य में अभिरूचि का उल्लेख है। वे पुरूषों के समतुल्य समझी जाती थी। उपनिषदों में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद प्रसिद्ध है। इसी परम्परा का प्रवर्तन बुद्धकाल में धम्म दिन्ना और भद्रा कुण्डल केशा जैसी भिक्षुणियों ने सत्य की अधिगति के लिए पुरूषों के साथ शास्त्रार्थ करके किया।

बौद्ध ग्रन्थों के माध्यम से हमें महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कुछ ग्रन्थों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है जैसे कुछ ग्रन्थों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि बौद्धकाल में नारी की स्थिति बहुत कुछ उत्तर वैदिक युग के समान ही थी। स्त्रियों का परिवार में महत्वपूर्ण स्थान था। स्त्रियॉ समाज के उत्सवों में पुरूषों के समान भाग लेती थी। परिवार के आगन्तुक अतिथियों का स्वागत सत्कार करती थीं व परिवार सदस्यों और पालतू पशुओं का देखभाल करती थी। परिवार में माता का स्थान बहुत आदरपूर्ण और गौरवमय था। नारी की सार्थकता उसके मातृत्व में मानी जाती थी।

बौद्ध साहित्य में कन्या की संतोषजनक स्थिति का चित्र मिलता है। पुत्री को पुत्र के समान महत्व दिया जाता था। बुद्धकाल में स्त्रियों के सुशिक्षित होने की चर्चा है। अनेक स्त्रियॉ तो शिक्षित होकर शिक्षिकायें जीवन व्यतीत करती थी। वे अपना शिक्षण कार्य उत्साह व लगन के साथ निष्ठापूर्वक सम्पन्न करती थी।

बौद्धयुगीन समाज में दास प्रथा विद्यमान थी। इनका जीवन पालन बहुत कठिन था। दासियों का क्रय-विक्रय किया जाता था। अधिकांश दासियॉ गृहकार्यो में समय व्यतीत करती थी। कुछ दासियॉ वीणा, मृदंग, गायन आदि में पारंगत होती थीं और स्वामी के परिवार के आमोद-प्रमोद के लिए विविध आयोजनों में हिस्सा लेती थी।

गणिकाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। बौद्धसाहित्य में अनेक सम्पन्न गणिकाओं का उल्लेख मिलता हैं। इनका रहन-सहन राजसी और ऐश्वर्ययुक्त होता था। गणिकाओं से उत्पन्न पुत्र यदि प्रतिभावान होता तो उसे सम्मान और योग्यतानुसार उच्च पद प्राप्त करने में कोई बाधा आदि नही आती थी। भगवान बुद्ध के जीवन काल में शुक्ला, उत्तरा, भद्रा, कुण्डल, केशा, पटाचारा, महाप्रजापति गोतमी, पूर्णिका, रोहिणी, सुन्दरी, शुभ्रा और सुमेधा नामक उनकी शिष्य भिक्षुणियॉ धर्मप्रचारिकाओं के रूप में प्रसिद्ध थीं, जो समाज के भौतिक स्तर को ऊँचा करती हुई लोक कल्याणार्थ बुद्ध सन्देश को सुनाती थीं।

सूत्रों और स्मृतियों के काल में स्त्रियों की दशा और दयनीय हो गई। उनकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा व्यक्तिगत स्थितियों पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये। वह आजीवन नियंत्रण में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत की। जिसमें वह पुत्री, पत्नी और माता के रूप में सदैव पुरूष द्वारा नियंत्रण में रही जो कि क्रमशः पिता, पति और पुत्र द्वारा नियत्रिंत की गई। यहीं नियत्रंण उसके पवित्रता और सुरक्षा के लिए भी बनाये गये थे। शक्ति धर्म के प्रभाव के कारण उसे 'गौरी तथा भवानी' के रूप में देखा गया।

वैदिक काल में नारी की शिक्षा अपनी उच्चतम सीमा पर थी। नारी बुद्धि तथा ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही आगे थीं। यज्ञ सम्पादित करने तथा वेद का अध्ययन करने का उन्हें पूरा अधिकार था। दर्शन तथा शास्त्रार्थ में वे निपुण थी। कन्याए ब्रह्मचर्य का पाल करते हुए उपनयन संस्कार भी सम्पन्न कराती थी। वैदिक काल में छात्राओं के दो वर्ग थे - एक सधोवधू जो विवाह के पहले कुछ वेद मंत्र और याज्ञिक प्रार्थनाए पढ़ लेती थी जो शिक्षा पूर्णरूप से प्राप्त करने के बाद विवाह करती थी- ब्रह्मवादिनी इनमें कुछ स्त्रियॉ जो जीवनपर्यन्त अध्ययन ही करती, विवाह नही करती। बौद्ध काल में भी स्त्रियॉ शिक्षित तथा विद्वान हुआ करती थी, धर्म तथा दर्शन में उनका रूझान अधिक था। पाणिनी ने महिला शिक्षणमाला का भी उल्लेख किया हैं।

सम्पत्ति में स्त्रियों का अधिकार - वैदिक काल में स्त्री का अधिकार सम्पत्ति में स्वीकार थ। पुत्र के रहते हुए भी पुत्री का सम्पत्ति में अधिकार वैदिक काल से रहा। मनु के अनुसार पुत्र के अभाव में पुरूष के धन का भागी पिता या भाई था।

अधिकांश व्यवस्थाकारों ने स्त्री धन का उल्लेख किया है। स्त्री की अपनी स्वंय की सम्पत्ति जिस पर उसका पूर्ण अधिकार होता है, वह स्त्रीधन कहा जाता है। वैवाहिक अग्नि को साक्षी मानकर कन्या को दिया गया, पति गृह जाते समय, स्नेहवश माता-पिता तथा भाई द्वारा दिया गया धन, विवाह होने के बाद, प्रेमपूर्वक सास, श्वसुर आदि से प्राप्त धन स्त्रीधन था।

स्त्री का आचरण - स्त्री के चरित्र तथा व्यवहार से समाज का उत्कर्ष होता है। समाज को आदर्श तथा सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिए यह अपेक्षा थी कि स्त्री का आचरण उज्जवल तथा सुसंस्कृत हो। अनैतिक तथा चरित्रहीन स्त्री समाज तथा परिवार के लिए निन्दनीय है। समाज सर्वोपरि है। वह व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

प्राचीनकाल में गणिकाओं का स्थान समाज में अन्य साधारण लोगो से श्रेष्ठ था। गायन, वादन और नृत्य के प्रति प्रेमीजन गणिकाओं को आकृष्ट रहते थे। गणिका का जीवन संगीत तथा ललित कला का भरपूर था। जो उसका प्रधान व्यवसाय था। आज की तुलना में उस काल में गणिका आदर तथा प्रशंसा की पात्र थी। राज्य तथा समाज में उसे उच्च स्थान प्राप्त था। समाज तथा जन-जीवन के किसी भी कार्यक्रम में वह एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। बौद्ध युग में गणिकाओं का विकास बहुत तीव्र हुआ। बौद्ध काल में तो नगर का हर्षोल्लास गणिकाओं के साथ ही मनाया जाता था। वैशाली नगरी में अम्बपाली नाम की गणिका रहती थी, जो परमसुन्दरी थी। अम्बपाली तथा सालवती बौद्ध काल की दो ऐसी गणिकाएॅं थीं जिनकी समाज में शीर्ष स्थान प्राप्त था। जिनका रहन-सहन राजसी तथा ऐश्वर्ययुक्त होता था। भगवान बुद्ध को अम्बपाली ने निमंत्रण दिया था। गणिकाओं से उत्पन्न पुत्र समाज द्वारा सम्मानित तथा आदर का पात था।

हिन्दू समाज में पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री के लिए दो मुख्य कर्तव्य बताये गये है।

1- सती हो जाना

2- ब्रह्मचर्य का पालन करना।

प्राचीन काल में विधवाओं को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। अगर विधवा दिख जाये, अंमगल तथा बहुत बड़ी अभागिन माना जाता था। हिन्दू धर्म में सती प्रथा प्रचलित था। जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी का पति के शव के साथ चिता पर जलने की एक प्राचीन सामाजिक परंपरा या प्रचलन। सती प्रथा भारत में ही उस समय बल्कि विश्व में इस प्रथा का प्रचलन था। मिस्त्र के पिरामिड प्रसिद्ध है। जिनमें प्राचीन मिस्त्र के मृत राजाओं के साथ उनकी जीवित पत्नियॉ तथा परिचारिकाए आदि विभिन्न सुख-सामग्री के साथ दफना दी जाती थी।

प्राचीन काल में सती प्रथा का एक यह भी कारण रहा था। आक्रमणकारियों द्वारा जब पुरूषों की हत्या कर दी जाती थी, उसके बाद उनकी पत्नियॉ अपनी अस्मिता व आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण समझकर स्वंय ही अपने पिता की चिता के साथ आत्मत्याग करने पर विवश हो जाती थी। कालांतर में महिलाओं की इस स्वैच्छिक विवशता का अपभ्रंश होते-होते एक सामाजिक रीति जैसी बन गयी, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाने लगा। पुराणों में भी सती प्रथा के अनेक प्रसंग विद्यमान है। सती होने के सम्बन्ध में गुप्तकालीन अभिलेखीय प्रमाण भी मिलता है।

अतः समाज में सती-प्रथा का प्रचलन था, सतीप्रथा विशेषकर राजपरिवार तथा अभिजात्य वर्ग में ही अधिक प्रचलित थी किन्तु बाद में इसका प्रचलन जन साधारण में भी होने लगा।

वैदिक काल में स्त्रियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था। उसे सदा विजयिनी कहा गया है और उनके हर काम में सहयोग और प्रोत्साहन की बात कही गई है। वैदिक काल में नारी अध्ययन-अध्यापन से लेकर रणक्षेत्र में भी जाती थी। बुद्धकालीन समाज में नारियों की स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध के जीवन-काल में ही कुछ भिक्षुणियों ने जो पुरूषों के साथ शास्त्रार्थ किया।

बुद्ध की दृष्टि में नारियों की परिवार की सुख-समृद्धि में अहम भूमिका थी और वह गृहस्थ जीवन की अनिवार्य तत्व थी। इसी तरह हिन्दू परम्परा में भी है जहाँ नारी के बिना पुरूष का जीवन अधूरा है। नारी पुरूष का पूरक है, उसकी प्रेरणा है। उसकी मार्गदर्शिका है, सहयोगी है, संसार तथा समाज के निर्णय में दोनो की समान भागीदारी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. पाण्डेय डॉ0 गोविन्द चन्द्र - बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास
2. shodhganga.inflibnet.ac.in
3. http://dharm.raftaar.in
4. http://him wikipedia.org
5. http://wwwlinkedia.com

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

अशोक के धम्म का तत्कालीन समाज पर प्रभाव

एक ऐतिहासिक एवं आलोचनात्मक अध्ययन

प्रमोद कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास
राजकीय महाविद्यालय, संभल (उ०प्र०)

PP.N0- 48-50 **Received: 19.09.2026** **Accepted:26.09.2026** **Email: pathikkumar41@gmail.com**

सारांश: सम्राट अशोक का धम्म भारतीय इतिहास की उन विशिष्ट राजकीय नीतियों में है, जिनमें सत्ता और नैतिकता को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रयास दिखाई देता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक की नीतियों में आया परिवर्तन केवल व्यक्तिगत धार्मिक परिवर्तन नहीं था' उसने शासन, सामाजिक संबंधों, धार्मिक सहिष्णुता और लोककल्याण की दिशा को भी प्रभावित किया। उनके शिलालेखों में माता-पिता के सम्मान, वृद्धों एवं गुरूजनों के प्रति आदर, सेवकों के साथ उचित व्यवहार, जीवों के प्रति दया, संयम, सत्यनिष्ठा और दूसरे मतों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों पर बल दिया गया है।

इस शोध का मुख्य तर्क यह है कि अशोक का धम्म तत्कालीन समाज में पूर्ण सामाजिक क्रांति नहीं था, बल्कि राज्य द्वारा समर्थित एक व्यापक नैतिक-सामाजिक सुधार का प्रयास था। इसका प्रभाव धार्मिक जीवन से आगे बढ़ कर प्रशासन, न्याय, लोककल्याण और सामाजिक व्यवहार तक पहुँचा। फिर भी उपलब्ध अभिलेख यह सिद्ध नहीं करते कि इससे तत्कालीन सामाजिक असमानताएँ समाप्त हो गई थीं। इसिलए धम्म के प्रभाव का मूल्यांकन उसके वास्तिवक ऐतिहासिक संदर्भ में करना अधिक उचित है।

कुंजीभूत शब्द : सम्राट अशोक, धम्म, भारतीय इतिहास, धार्मिक, सहिष्णुता, लोककल्याण, दया, संयम, सत्यनिष्ठा

प्रस्तावना : मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक था। अशोक के समय यह साम्राज्य विशाल भू-भाग, अनेक भाषाओं, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक समूहों को समेटे हुए था। इतनी विविधता के बीच केवल सैन्य शक्ति के आधार पर राजनीतिक एकता बनाए रखना किठन था। अशोक ने इसी संदर्भ में धम्म को एक ऐसी नैतिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जिसे अलग-अलग समुदायों के लोग अपने सामाजिक जीवन में स्वीकार कर सकें। अशोक का धम्म तत्कालीन समाज में धार्मिक परिवर्तन से अधिक व्यापक सामाजिक-नैतिक परिवर्तन का माध्यम था, जिसने सहिष्णुता, मानवीय व्यवहार, लोककल्याण और नैतिक प्रशासन को प्रोत्साहित किया' किंतु इसका प्रभाव सामाजिक संरचना में पूर्ण परिवर्तन के स्तर तक नहीं पहुँचा।

अशोक के धम्म की चर्चा करते समय एक सावधानी जरूरी है। इसे सीधे आधुनिक अर्थ में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र या मानवाधिकारों का पूर्वरूप मान लेना इतिहास की जटिलता को सरल बना देता है। धम्म अपने समय की परिस्थितियों से जुड़ी हुई नीति थी। फिर भी इसमें सहिष्णुता, दया, प्रजा-कल्याण और नैतिक शासन जैसे विचार इतने स्पष्ट हैं कि इसका अध्ययन आज भी महत्त्वपूर्ण बना हुआ है।

शोध के उद्देश्य-

- अशोक के धम्म की वास्तविक प्रकृति को समझना।
- धम्म और बौद्ध धर्म के संबंध को स्पष्ट करना।
- तत्कालीन सामाजिक जीवन पर धम्म के प्रभाव का विश्लेषण करना।
- धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता में इसकी भूमिका समझना।
- लोककल्याण तथा प्रशासन पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना।
- धम्म की सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना।

शोध-पद्धति एवं स्रोत- यह शोध ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। प्राथमिक स्रोत के रूप में अशोक के प्रमुख एवं लघु शिलालेख तथा स्तंभलेख सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं से अशोक के अपने विचारों और प्रशासिनक निर्देशों का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। द्वितीयक स्रोतों में आधुनिक इतिहासकारों-विशेषकर रोमिला थापर-के अध्ययन तथा अशोक के धम्म पर उपलब्ध अकादमिक विमर्श का सहारा लिया गया है। अशोक के अभिलेख इस अध्ययन के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे तत्कालीन शासन और राजकीय विचारों का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। हालांकि अभिलेख मुख्यतः राजकीय दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं, इसलिए सामान्य जनता के जीवन पर इनके वास्तविक प्रभाव का अनुमान सावधानी से लगाना आवश्यक है।

अशोक के धम्म की अवधारणा- ''धम्म'' पालि रूप है, जिसका संबंध संस्कृत 'धर्म' से है; लेकिन अशोक के अभिलेखों में इसका अर्थ केवल धार्मिक आस्था नहीं है। इसमें नैतिक आचरण और सामाजिक जिम्मेदारी का विशेष स्थान है। माता-पिता का सम्मान, वृद्धों का आदर, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति सम्मान, सेवकों के साथ उचित व्यवहार, दया, संयम, सत्य और धार्मिक सहिष्णुता इसके प्रमुख तत्व हैं।

इस दृष्टि से धम्म को एक प्रकार की साझा सामाजिक नैतिकता कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य लोगों को किसी एक संप्रदाय में लाना नहीं, बल्कि अलग-अलग समूहों के बीच व्यवहार के ऐसे मानदंड विकसित करना था जो साम्राज्य की विविधता में सह-अस्तित्व को संभव बनाएं।

धम्म और बौद्ध धर्मः संबंध एवं अंतर-अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और उनके शासन में बौद्ध संस्थाओं को संरक्षण मिला। किंतु राजकीय धम्म को पूरी तरह बौद्ध धर्म का पर्याय मानना उचित नहीं है। अशोक के धम्म में ऐसे नैतिक नियम थे जिन्हें ब्राह्मण, श्रमण और अन्य धार्मिक समूह भी स्वीकार कर सकते थे। यही व्यापकता उसकी राजनीतिक और सामाजिक उपयोगिता का आधार बनी। इसलिए अशोक के व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास और उनकी सार्वजनिक धम्म-नीति में अंतर करना आवश्यक है। धम्म का लक्ष्य किसी एक धार्मिक परंपरा को राज्य का अनिवार्य मत बनाना नहीं, बल्कि साम्राज्य के विभिन्न समूहों के बीच नैतिक सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित करना था।

तत्कालीन समाज पर धम्म का प्रभाव-

धार्मिक सहिष्णुता: अशोक के बारहवें प्रमुख शिलालेख में विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच पारस्परिक सम्मान और संवाद की भावना पर बल दिया गया है। अपने मत की प्रशंसा करते हुए दूसरे मत की निंदा न करने का आग्रह धार्मिक सह-अस्तित्व की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम था। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक के लिए साम्राज्य की स्थिरता केवल प्रशासनिक नियंत्रण का प्रश्न नहीं थी‘ सामाजिक और धार्मिक संबंध भी उसके लिए महत्त्वपूर्ण थे।

पारिवारिक एवं सामाजिक संबंध: धम्म ने परिवार को नैतिक शिक्षा का पहला क्षेत्र् माना। माता-पिता की सेवा, वृद्धों का सम्मान, गुरूजनों के प्रति आदर तथा मित्रों और संबंधियों के साथ उदार व्यवहार पर बल दिया गया। इस प्रकार सामाजिक सुधार की शुरूआत व्यक्ति के दैनिक व्यवहार से करने का प्रयास किया गया।

सेवकों और अधीनस्थों के प्रित व्यवहार: अशोक के अभिलेखों में सेवकों और कर्मचारियों के प्रति उचित व्यवहार का उल्लेख मिलता है। यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इससे पता चलता है कि धम्म केवल उच्च नैतिक आदर्शों की चर्चा नहीं करता था, बल्कि सामाजिक संबंधों में शक्ति के असंतुलन को कुछ हद तक मानवीय बनाने की कोशिश भी करता था। हालांकि इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि तत्कालीन सामाजिक या आर्थिक असमानताएँ समाप्त हो गई थीं।

अहिंसा और पशु –कल्याण: अशोक ने पशु-वध और अनावश्यक हिंसा को सीमित करने का प्रयास किया। प्रथम प्रमुख शिलालेख में पशु-हत्या पर नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। यह नीति उस समय की राजकीय संस्कृति में एक महत्त्वपूर्ण नैतिक परिवर्तन को दर्शाती है। जीवों के प्रति दया को सार्वजनिक नीति से जोड़ना धम्म की विशिष्ट विशेषता थी।

लोककल्याण: द्वितीय प्रमुख शिलालेख में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा, औषधीय पौधों, कुओं और वृक्षारोपण जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख है। इससे राज्य की भूमिका का एक नया पक्ष सामने आता है -राज्य केवल कर वसूलने और व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था नहीं, बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए उत्तरदायी संस्था भी है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य से इसकी सीधी समानता नहीं की जानी चाहिए, लेकिन लोकहित की यह सोच अपने समय में उल्लेखनीय थी।

प्रशासन और न्याय: धम्म ने प्रशासन को भी प्रभावित किया। धम्म-महामात्र जैसे अधिकारियों की नियुक्ति तथा अधिकारियों द्वारा जनता से संपर्क की नीति से यह संकेत मिलता है कि अशोक शासन को नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ना चाहते थे। न्याय के क्षेत्र में भी दंड के साथ मानवीय दृष्टिकोण और संयम की भावना दिखाई देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि मौर्यकालीन न्याय आधुनिक मानवाधिकार-व्यवस्था जैसा था‘ बल्कि इतना कहा जा सकता है कि दंड और शासन में नैतिकता का स्थान बढ़ाने का प्रयास हुआ।

कलिंग युद्ध और धम्म-विजय- अशोक के धम्म को समझने में तेरहवाँ प्रमुख शिलालेख अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध से हुई पीड़ा और जनहानि पर खेद व्यक्त किया तथा धम्म-विजय को श्रेष्ठ माना। यह राजनीतिक विचार में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था।विजय का अर्थ केवल भू-भाग जीतना नहीं, बल्कि नैतिक प्रभाव और सद्भाव स्थापित करना भी हो सकता है -यह विचार अशोक की नीति में स्पष्ट दिखाई देता है।

कलिंग के अनुभव ने अशोक की राजसत्ता की भाषा को भी बदला। सैन्य विजय के स्थान पर नैतिक प्रभाव को महत्व देना प्राचीन राजनीतिक विचार के संदर्भ में एक उल्लेखनीय परिवर्तन था।

धम्म का समाज पर प्रभाव: एक संतुलित मूल्यांकन- अशोक के धम्म का प्रभाव न तो केवल धार्मिक था और न ही ऐसा था कि उसने समाज की प्रत्येक समस्या को समाप्त कर दिया। इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव नैतिक व्यवहार, धार्मिक सहिष्णुता, लोककल्याण और प्रशासनिक संवेदनशीलता में दिखाई देता है। अभिलेखों के व्यापक भौगोलिक प्रसार से यह भी पता चलता है कि अशोक ने अपने संदेश को सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनाने की गंभीर कोशिश की।

लेकिन इतिहासकार के लिए एक सीमा भी स्वीकार करना आवश्यक है। हमारे पास सामान्य जनता के निजी जीवन से संबंधित पर्याप्त प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं। इसिलए यह दावा करना किठन है कि हर व्यक्ति ने धम्म को समान रूप से अपनाया। अभिलेख मुख्यतः राजकीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस कारण धम्म की वास्तिवक सामाजिक पहुँच का अनुमान सावधानी से लगाना चाहिए।

धम्म की सीमाएँ- पहली सीमा यह थी कि इसकी सफलता बहुत हद तक अशोक की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पर निर्भर थी। दूसरी, धम्म ने सामाजिक वर्गीकरण और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए कोई व्यापक क्रांतिकारी कायक्रर्म प्रस्तुत नहीं किया। तीसरी, विशाल साम्राज्य में इसके प्रभाव की तीव्रता सभी क्षेत्रों में समान रही हो, यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता। चौथी, इसे आधुनिक धर्मनिरपेक्षता या आधुनिक कल्याणकारी राज्य के साथ पूरी तरह समान मानना ऐतिहासिक रूप से उचित नहीं होगा। इन सीमाओं को स्वीकार करने से अशोक के धम्म का महत्त्व कम नहीं होता। बल्कि इससे उसका मूल्यांकन अधिक ऐतिहासिक और संतुलित बनता है।

निष्कर्ष- अशोक का धम्म तत्कालीन भारतीय समाज में एक महत्त्वपूर्ण नैतिक-सामाजिक हस्तक्षेप था। उसने धार्मिक सहिष्णुता, पारिवारिक कर्तव्य, सेवकों के प्रित उचित व्यवहार, जीव-दया, लोककल्याण और प्रशासिनक उत्तरदायित्व को एक ही राजकीय दृष्टिकोण में जोड़ा। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि राजा ने स्वयं को केवल विजेता के रूप में नहीं, बल्कि प्रजा के नैतिक और भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी शासक के रूप में प्रस्तुत किया।

फिर भी धम्म को पूर्ण सामाजिक क्रांति कहना उचित नहीं है। तत्कालीन समाज की सभी असमानताएँ और संरचनाएँ इससे समाप्त नहीं हुई। इसलिए अधिक संतुलित निष्कर्ष यही है कि अशोक का धम्म एक व्यापक नैतिक-सामाजिक सुधार कार्यक्रम था, जिसने शासन और समाज के संबंधों को मानवीय बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किया।

इस शोध की दृष्टि से अशोक की सबसे स्थायी ऐतिहासिक देन शायद यही थी कि उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि एक शक्तिशाली राज्य अपने नागरिकों के साथ किस नैतिक आधार पर व्यवहार करे। यही प्रश्न उनके धम्म को केवल प्राचीन इतिहास का विषय न रखकर आज भी विचारणीय बनाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. थापर, रोमिला। अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. नीलकंठ शास्त्री, के. ए. मौर्य और गुप्त साम्राज्य। नई दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास।
3. मुखर्जी, राधाकुमुद। अशोक। दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास।
4. स्मिथ, विन्सेंट ए. अशोक : द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया। ऑक्सफोर्ड: क्लेरेंडन प्रेस।
5. बाशम, ए. एल. अद्भुत भारत। नई दिल्ली: राधाकृष्ण प्रकाशन।
6. कोसांबी, डी. डी. प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता। नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
7. मजूमदार, आर. सी. (सम्पा.)। प्राचीन भारत। दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास।

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

Malaviya's Principles on Women's Emancipation and Gen Z Aspirations: A Comparative Study

Sneha Verma
Research Scholar, Department of Economics,
University of Lucknow, Lucknow, U.P, India.

PP.N0- 51-56 **Received: 20.09.2026** **Accepted:28.09.2026** **Email: snehaverma7705@gmail.com**

Abstract: Women's empowerment in India has evolved from historically rooted, value-based conceptions of emancipation to contemporary perspectives emphasizing individual agency, economic autonomy, equality, and freedom of choice. This study comparatively examines Madan Mohan Malaviya's principles of women's emancipation and the aspirations of Generation Z (Gen Z), with particular emphasis on education, economic empowerment, gender equality, and social roles. The study adopts a quantitative, descriptive, and analytical research design based on primary data collected through a structured questionnaire from 70 Gen Z respondents aged 18-26 years from urban and semi-urban backgrounds. Using Likert-scale responses, the study examines four dimensions of empowerment and employs descriptive statistics, a composite empowerment index, correlation analysis, and one-sample t-tests. The findings indicate that Gen Z strongly recognizes the continuing relevance of Malaviya's emphasis on women's education (Mean = 4.27) and women's contribution to nation-building (Mean = 4.16). At the same time, respondents acknowledge that contemporary concepts of empowerment have expanded beyond Malaviya's original vision, particularly through greater emphasis on individual freedom, financial independence, and gender equality (Mean = 4.04 A synthesized framework integrating traditional value-based foundations with modern agency and economic autonomy may provide a more inclusive and contextually relevant approach to women's empowerment in India.

Keywords: Women's Empowerment, Madan Mohan Malaviya, Generation Z, Gender Equality, Economic

Introduction-Women's empowerment has emerged as a central theme in contemporary development discourse, particularly in the pursuit of inclusive growth and gender equality. In India, although significant progress has been made in improving female literacy, access to education, and policy support, persistent challenges such as low female labour force participation, wage inequality, and limited decision-making power continue to constrain women's full economic potential. From a theoretical standpoint, empowerment is understood as the expansion of individual capabilities and freedoms, enabling people to lead lives they value (Sen, 1999). Similarly, empowerment has been conceptualized as a process through which individuals gain the ability to make strategic life choices in contexts where this ability was previously restricted (Kabeer, 1999). Empirical studies further highlight that women's economic empowerment contributes not only to individual welfare but also to broader economic development and growth (Duflo, 2012; Klasen & Lamanna, 2009).

In this context, revisiting indigenous intellectual traditions provides valuable insights into alternative frameworks of empowerment. The ideas of Madan Mohan Malaviya offer a significant foundation for such an exploration. As a prominent educationist, nationalist leader, and social reformer, Malaviya emphasized education as a transformative tool for both individual and societal progress (Malaviya, 1916/2010). He strongly advocated women's education as a means to achieve economic independence, social dignity, and moral development. His vision of empowerment extended beyond material well-being to include ethical conduct, social responsibility, and active participation in nation-building (Vaidya, 2012). This holistic approach resonates with broader development perspectives that stress the importance of human capital formation and value-based progress.

Malaviya's framework of women's emancipation was multidimensional, integrating economic self-reliance with moral and ethical development. He emphasized dignity of labour and the importance of self-sufficiency, aligning with the idea that empowerment should enhance both economic capabilities and social agency. Such a perspective finds support in contemporary research, which suggests that education and employment are critical determinants of women's empowerment and overall economic development (Goldin,

2014). However, while Malaviya's ideas were progressive in their historical context, it is important to examine their relevance in the rapidly changing socio-economic environment of the present.

The emergence of Generation Z (Gen Z), broadly defined as individuals born between the mid-1990s and early 2010s, reflects a significant shift in aspirations and value systems.

This generation has grown up in an era characterized by globalization, digitalization, and the expansion of new economic opportunities. As a result, Gen Z demonstrates a strong inclination toward financial independence, entrepreneurial ventures, and skill-based education (Schroth, 2019; Francis & Hoefel, 2018). The rise of the gig economy and digital platforms has further reshaped employment patterns, offering flexibility and autonomy while also introducing new forms of economic uncertainty (International Labour Organization, 2023).

At the same time, Gen Z's approach to values and ethics appears to be more pragmatic compared to earlier generations. While there is increased awareness of issues such as gender equality and sustainability, economic decisions are often influenced by considerations of income maximization, career advancement, and global mobility (Twenge, 2017). This shift reflects broader structural changes in labour markets and economic systems, where individual aspirations are increasingly shaped by global opportunities and competitive environments. National-level data sources such as the Periodic Labour Force Survey (PLFS) and National Family Health Survey (NFHS-5) further highlight evolving trends in women's employment, education, and financial inclusion in India.

Against this backdrop, the present study seeks to undertake a comparative analysis of Malaviya's principles on women's emancipation and the aspirations of Gen Z in India. By combining conceptual analysis with empirical evidence derived from primary survey data, the study aims to identify areas of convergence and divergence between traditional and modern perspectives. Such an analysis is essential for understanding how classical ideas can be reinterpreted to address contemporary challenges. Moreover, it contributes to bridging the gap between indigenous economic thought and modern development paradigms, thereby offering a more comprehensive framework for women's empowerment.

The discourse on women's empowerment has evolved significantly over time, reflecting shifts in economic structures, social norms, and generational aspirations. While classical thinkers like Madan Mohan Malaviya emphasized a holistic and value-driven approach to emancipation, contemporary youth, particularly Generation Z, exhibit aspirations shaped by modern economic realities and global exposure. This divergence calls for a systematic examination of both perspectives to assess their relevance and applicability in the current context.

Objectives are as follow: -

1. To critically examine Malaviya's vision of women's empowerment.
2. To assess the economic and social aspirations of Gen Z regarding empowerment.
3. To analyse the relevance of traditional empowerment principles in the modern socio-economic context.

In conclusion, while the socio-economic context has undergone significant transformation, the core principles of education, self-reliance, and ethical development continue to retain their relevance. However, their interpretation and application must evolve in line with changing aspirations and opportunities. By examining the intersection of Malaviya's vision and Gen Z perspectives, this study aims to provide meaningful insights into the future trajectory of women's empowerment in India.

Literature Review-The literature on women's empowerment has evolved significantly, moving from narrow economic interpretations to more comprehensive, multidimensional frameworks. Foundational contributions by (Sen, 1999) conceptualize development as an expansion of capabilities, emphasizing that empowerment lies in enhancing individuals' freedoms and choices. Similarly, Kabeer (1999) frames empowerment as a process involving resources, agency, and achievements. While these frameworks provide a strong theoretical foundation, they have often been criticized for their broad and abstract nature, which makes empirical measurement challenging, particularly in diverse socio-cultural contexts like India. Further attempts

to operationalize empowerment have been made through multidimensional frameworks that incorporate economic, social, and decision-making indicators (Malhotra et al., 2002).

To address this limitation, subsequent studies have attempted to operationalize empowerment through measurable indicators such as education, employment, and income. (Duflo, 2012) argues that women's empowerment and economic development are mutually reinforcing, yet she also cautions against assuming a linear relationship between the two. This challenges earlier development narratives that treated economic growth as a sufficient condition for empowerment. Similarly, (Klasen and Lamanna, 2009) empirically demonstrate that gender inequality in education and employment hampers economic growth, thereby reinforcing the need for gender-inclusive policies. However, such macro-level analyses often overlook intra-household dynamics and localized constraints, which play a crucial role in shaping women's actual agency.

In this regard, (Agarwal, 1997) provides a critical intervention by emphasizing the importance of bargaining power within households. Her work highlights that access to resources alone does not guarantee empowerment unless women have control over those resources. This perspective exposes a key limitation in mainstream empowerment literature, which tends to equate participation with empowerment, ignoring underlying power relations. Further extending this critique, Goldin, 2014) introduces the concept of "gender convergence" but acknowledges that structural barriers such as occupational segregation and social norms continue to restrict women's full participation in labour markets. Jayachandran (2015) deepens this argument by identifying cultural and social norms as persistent determinants of gender inequality, suggesting that economic interventions alone may be insufficient to achieve meaningful empowerment.

In the Indian context, empirical evidence from large-scale surveys such as the National Family Health Survey (NFHS-5) (Government of India, 2021) and the Periodic Labour Force Survey (PLFS) (Government of India, 2023) reveals a paradoxical trend: while women's educational attainment and financial inclusion have improved, labour force participation remains relatively low. This indicates a disconnect between capability enhancement and actual economic outcomes, thereby questioning the effectiveness of existing policy frameworks. Reports by the World Bank (2022) and the International Labour Organization (2023) similarly emphasize the persistence of informal employment and gender disparities, highlighting the need for more targeted and context-specific interventions. However, these policy-oriented studies often adopt a technocratic approach, focusing on measurable outcomes while neglecting the ethical and cultural dimensions of empowerment.

It is within this gap that the ideas of Madan Mohan Malaviya assume significance. Unlike contemporary economic frameworks that prioritize measurable indicators, Malaviya's vision of women's emancipation was inherently holistic and value-driven, integrating education, self-reliance, and moral development (Malaviya, 1916/2010; Vaidya, 2012). His emphasis on ethical conduct and social responsibility offers an alternative perspective that complements modern approaches. However, a major limitation in existing literature is the lack of systematic engagement with such indigenous thought in empirical research, leading to an incomplete understanding of empowerment in the Indian context.

Parallel to this, emerging literature on Generation Z provides insights into the shifting aspirations of contemporary youth. Studies suggest that Gen Z prioritizes financial independence, career flexibility, and entrepreneurial opportunities, shaped largely by digitalization and globalization (Schroth, 2019; Francis & Hoefel, 2018). Twenge (2017) further argues that this generation exhibits a more individualistic and pragmatic orientation, often valuing personal success over collective or ethical considerations. While this reflects adaptation to modern economic realities, it also raises concerns about the erosion of value-based frameworks that earlier thinkers emphasized.

Despite the richness of both strands of literature classical empowerment theory and contemporary youth studies there remains a major gap. Existing research tends to examine these domains in isolation, without exploring their intersections. In particular, there is limited scholarly effort to compare traditional value-based frameworks of empowerment with the aspirations of modern generations, especially in the context of women's emancipation. This lack of integration restricts the development of a comprehensive framework that can address both structural and cultural dimensions of empowerment.

Therefore, the present study seeks to bridge this gap by critically examining Malaviya's principles alongside Gen Z aspirations. By integrating theoretical insights with empirical evidence, the study aims to move beyond conventional approaches and contribute to a more nuanced understanding of empowerment that is both contextually grounded and contemporarily relevant.

Research Methodology-The present study adopts a quantitative, descriptive, and analytical research design to examine the evolving perspectives on women's empowerment by comparing the normative framework of Madan Mohan Malaviya with contemporary views of Generation Z (Gen Z). The objective is to assess the extent to which modern attitudes align with or diverge from Malaviya's reformist vision. The study integrates theoretical insights with empirical evidence, thereby enabling a structured evaluation of changing gender norms in the context of education, economic participation, and social roles.

The analysis is based primarily on primary data collected through a structured questionnaire administered to a sample of 70 respondents. A non-probability purposive sampling technique was employed to select participants belonging to the Gen Z cohort, typically aged between 18 and 26 years. The respondents were drawn from urban and semi-urban backgrounds, ensuring exposure to contemporary socio-economic and digital environments that influence gender perceptions. While the sample size is relatively small, it is considered adequate for exploratory quantitative analysis and identifying indicative trends.

The survey instrument was designed using Likert-scale statements ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree), capturing respondents' attitudes across four key dimensions: education and empowerment, gender equality and freedom of choice, economic empowerment, and cultural norms and role perception. These dimensions were derived from Malaviya's philosophical framework as well as contemporary gender discourse, allowing for a meaningful comparative analysis. The variables included both indicators of traditional orientation, such as education for family roles and adherence to cultural norms, and indicators of modern empowerment, such as financial independence, freedom of choice, and role redefinition.

To quantify the level of empowerment, a composite empowerment index was constructed by taking the mean of selected indicators, namely education for independence, freedom of choice, financial independence, and redefinition of gender roles. This approach is aligned with capability-based perspectives, particularly the framework developed by Amartya Sen, which conceptualizes empowerment as the expansion of individual agency and substantive freedoms. The index provides a consolidated measure to assess the degree of empowerment reflected in respondents' attitudes.

The data were analysed using descriptive statistical techniques, including mean values and percentage distributions, to identify patterns in responses. In addition, correlation analysis was conducted to examine the relationships between key variables, particularly those representing traditional and modern perspectives. The analysis was carried out using statistical software such as R or Stata, ensuring systematic processing and replicability of results.

The study is guided by a comparative analytical framework that compares Malaviya's welfare-oriented and socially embedded model of empowerment with the agency-driven, individual-centered perspective of Gen Z. While the former emphasizes reform within cultural and social structures, the latter reflects a shift toward autonomy, choice, and equality. The empirical findings are interpreted within this framework to highlight areas of continuity and transformation.

Results and Data Analysis-The descriptive analysis provides a baseline understanding of Gen Z's perception regarding the historical and contemporary relevance of Malaviya's framework.

Respondents strongly agreed that Malaviya's emphasis on women's education remains relevant today, recording a high mean score of 4.27 (SD=0.86). The vision of women as active contributors to nation-building also saw high consensus, with a mean score of 4.16 (SD=0.88). The statement suggesting Malaviya's ideas successfully balanced women's rights with Indian cultural values received the lowest level of agreement in the dataset, though still positive, with a mean of 3.77 (SD=1.05). Participants agreed that Malaviya's philosophy provides useful guidance for contemporary empowerment, yielding a mean of 3.91 (SD=0.94). Reflecting the generational shift, respondents agreed that modern concepts of women's empowerment have expanded beyond Malaviya's original vision, showing a mean of 4.04 (SD=1.00). and the highest consensus was found on the

synthesis of ideas, with respondents strongly agreeing (mean of 4.35, SD=0.89) that today's empowerment should combine Malaviya's ideals with contemporary values of equality and individual freedom.

To determine whether the agreement levels observed in the sample are statistically significant, a one-sample t-test was conducted for each statement against a neutral test value (μ=3).

Statement	Mean	SD	t-value	p-value
Malaviya's emphasis on women's education remains relevant in the twenty-first century.	4.27	0.86	14.77	$p < 0.001$
Malaviya's vision of women as contributors to nation-building is still applicable today.	4.16	0.88	13.18	$p < 0.001$
Malaviya's ideas successfully balanced women's rights with Indian cultural values.	3.77	1.05	7.33	$p < 0.001$
Malaviya's philosophy provides useful guidance for promoting women's empowerment in contemporary India.	3.91	0.94	9.68	$p < 0.001$
Modern concepts of women's empowerment have expanded beyond Malaviya's original vision.	4.04	1.00	10.40	$p < 0.001$
Women's empowerment today should combine Malaviya's ideals with contemporary values of equality and individual freedom.	4.35	0.89	15.17	$p < 0.001$

The inferential analysis reveals that all t-values are highly significant ($p<0.001$). This statistically confirms that Gen Z does not hold a neutral stance on these issues; rather, they definitively agree that Malaviya's foundational principles of education and nation-building remain highly relevant. Furthermore, the statistical significance of the final statement (t=15.17) empirically proves that contemporary youth strongly advocate for a hybrid model of empowerment that merges classical ethics with modern liberties.

Discussion-The empirical results bridge the gap highlighted in the literature review between traditional, value-based frameworks and the highly pragmatic, individualistic aspirations of Generation Z.

While classical empowerment theory championed by thinkers like Malaviya emphasizes moral development and cultural rootedness alongside education, modern economic paradigms often prioritize pure financial independence and labour force participation. The data suggests that Gen Z does not view these paradigms as mutually exclusive. The significant agreement (Mean = 4.35) regarding the combination of Malaviya's ideals with modern equality indicates that Gen Z seeks a synthesized approach. They desire the financial independence and global mobility afforded by the modern gig economy, but they still recognize the intrinsic value of education for holistic development and nation-building, directly mirroring Malaviya's core arguments.

Interestingly, the highest variance (SD = 1.05) and lowest mean (3.77) were observed when evaluating whether Malaviya's ideas successfully balanced women's rights with cultural values. This indicates a degree of modern scepticism among Gen Z regarding the constraints of traditional cultural norms, reinforcing Agarwal's (1997) and Jayachandran's (2015) assertions that cultural and social norms often act as persistent barriers to female agency. Gen Z recognizes that while the *foundation* of Malaviya's thought is sound, the *application* must be updated to dismantle patriarchal structures that traditional interpretations may have inadvertently preserved.

Conclusion-This comparative study sought to examine the intersection between Madan Mohan Malaviya's traditional principles of women's emancipation and the contemporary aspirations of Generation Z in India. Through a synthesis of conceptual literature and primary empirical data, it is evident that the pursuit of women's empowerment is a dynamic, evolving construct.

The statistical analysis demonstrates that Gen Z highly values the foundational tenets of Malaviya's philosophy, particularly his advocacy for education and the role of women in national progress. However, the data also confirms a generational evolution in thought: modern youth recognize that contemporary empowerment has expanded beyond historical visions to prioritize individual agency, economic autonomy, and structural equality.

Ultimately, this study concludes that effective frameworks for women's empowerment in India cannot rely solely on technocratic economic metrics, nor can they rest entirely on historical cultural models. Policymakers and educators must adopt a synthesized approach. By anchoring modern, capability-enhancing economic opportunities within the ethical and educational foundations proposed by historical thinkers like Malaviya, India can foster an environment of empowerment that is both culturally resonant and economically transformative for future generations.

REFERENCES

1. Duflo, E. (2012). Women empowerment and economic development. Journal of Economic Literature, 50(4), 1051–1079. https://doi.org/10.1257/jel.50.4.1051
2. Francis, T., & Hoefel, F. (2018). 'True Gen': Generation Z and its implications for companies. McKinsey & Company Report.
3. Goldin, C. (2014). A grand gender convergence: Its last chapter. American Economic Review, 104(4), 1091–1119. https://doi.org/10.1257/aer.104.4.1091
4. Government of India. (2021). National Family Health Survey (NFHS-5). Ministry of Health and Family Welfare.
5. Government of India. (2023). Periodic Labour Force Survey (PLFS) Annual Report. Ministry of Statistics and Programme Implementation.
6. International Labour Organization. (2023). Women and men in the informal economy: A statistical update. Geneva: ILO.
7. Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. Development and Change, 30(3), 435-464. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125
8. Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The impact of gender inequality in education and employment on economic growth. Feminist Economics, 15(3), 91-132. https://doi.org/10.1080/13545700902893106
9. Malaviya, M. M. (2010). Speeches and writings of Madan Mohan Malaviya (Original work published 1916). New Delhi: Publications Division.
10. NITI Aayog. (2022). SDG India Index and Dashboard. Government of India)
11. OECD. (2021). Man enough? Measuring masculine norms to promote women's empowerment. Paris: OECD Publishing.
12. Schroth, H. (2019). Are you ready for Gen Z in the workplace? California Management Review, 61(3), 5–18. https://doi.org/10.1177/0008125619841006
13. Sen, A. (1999). Development as freedom. New York: Alfred A. Knopf.
14. Twenge, J. M. (2017). iGen: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy. New York: Atria Books.
15. Vaidya, A. (2012). Madan Mohan Malaviya: His life and times. New Delhi: Oxford University Press.
16. World Bank. (2022). World development report: Gender equality and development. Washington, DC: World Bank.
17. Malhotra, A., Schuler, S. R., & Boender, C. (2002). Measuring women's empowerment as a variable in international development. World Bank.

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

बौद्ध दर्शन में अपोहवाद का समीक्षात्मक दार्शनिक अनुशीलन

डॉ० श्रीप्रकाश तिवारी
अस्सिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शन
काशी नरेश राजकीय स्नाकोत्तर महाविदालय ज्ञानपुर भदोही (उ०प्र०)

PP.N0- 57-61 **Received: 22.09.2026** **Accepted:28.09.2026** **Email: sptiwari632@gmail.com**

सारांश- बौद्ध दर्शन में अपोहवाद भारतीय दर्शन में भाषा, ज्ञान और अर्थ की समस्या के एक विशिष्ट समाधान के रूप में विकसित हुआ। इसका व्यवस्थित प्रतिपादन आचार्य दिग्नाग के चिंतन में तथा उसका अधिक विकसित और कारणात्मक रूप धर्मकीर्ति के दर्शन में प्राप्त होता है। अपोहवाद का केंद्रीय प्रश्न यह है कि यदि केवल स्वलक्षणात्मक, क्षणिक और कारण-कार्य-संबद्ध वस्तुएँ ही वास्तविक हैं तथा सार्वभौम जातियाँ स्वतंत्र वस्तु-सत्ता के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं, तो अनेक भिन्न व्यक्तियों पर एक ही शब्द का प्रयोग किस आधार पर संभव है? दिग्नाग का उत्तर है कि शब्द किसी स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता का बोध न कराकर अन्य से अपोह अर्थात् अन्य-वस्तुओं के निषेध या व्यावृत्ति के माध्यम से अर्थ का निर्धारण करता है। इस प्रकार 'गो' शब्द का अर्थ किसी स्वतंत्र, नित्य 'गोत्व' की सत्ता में न होकर 'अगो' से व्यावृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। धर्मकीर्ति ने इस समस्या को संकल्पना, प्रत्यक्ष, विकल्प, व्यवहार और कारणता से जोड़कर अपोहवाद को अधिक व्यापक ज्ञानमीमांसात्मक रूप प्रदान किया। प्रस्तुत शोध-पत्र अपोहवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि, दिग्नाग एवं धर्मकीर्ति के योगदान, न्याय–मीमांसा–व्याकरण परंपराओं की आलोचनाओं तथा आधुनिक तार्किक पुनर्पाठ का समीक्षात्मक अध्ययन करता है। सेट सिद्धान्त एवं बूलियन बीजगणित से की गई तुलना को ऐतिहासिक प्रभाव के रूप में नहीं, बल्कि वर्ग-निर्धारण, सीमा-निर्धारण और बहिष्करण की संरचनात्मक समानता के रूप में ग्रहण किया गया है।

कुंजीभूत शब्द : अपोहवाद, दिग्नाग, धर्मकीर्ति, अन्यापोह, अतद्व्यावृत्ति, स्वलक्षण, शब्दार्थ, बौद्ध प्रमाणमीमांसा, विभेदनात्मक अर्थ

भूमिका- भारतीय दर्शन में भाषा और अर्थ की समस्या केवल भाषावैज्ञानिक प्रश्न नहीं है; वह वस्तु, ज्ञान और सत्य के स्वरूप से भी गहराई से संबद्ध है। किसी शब्द का अर्थ क्या है? क्या शब्द किसी वस्तु में विद्यमान वास्तविक सार्वभौम धर्म का बोध कराता है, अथवा उसका अर्थ सामाजिक व्यवहार और संकल्पनात्मक प्रक्रिया से निर्मित होता है? क्या 'गो' शब्द का अर्थ सभी गौ-व्यक्तियों में विद्यमान किसी स्वतंत्र 'गोत्व' नामक सार्वभौम सत्ता है, अथवा 'गो' का अर्थ अन्य वस्तुओं से उसके विभेदन के आधार पर निर्मित होता है? न्याय, मीमांसा और व्याकरण परंपराओं ने इन प्रश्नों के लिए सकारात्मक शब्दार्थ-सिद्धान्त विकसित किए, जबकि बौद्ध दार्शनिकों ने सार्वभौम की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार करते हुए अपोह के माध्यम से शब्दार्थ की व्याख्या प्रस्तुत की।

दिग्नाग के अपोहवाद का केंद्रीय सूत्र यह है कि शब्द वस्तुओं को किसी वास्तविक सार्वभौम के माध्यम से अभिहित नहीं करते, बल्कि 'अन्य से व्यावृत्ति' के माध्यम से अर्थ का निर्धारण करते हैं। आधुनिक विद्वत् विवेचन में भी दिग्नाग को इस सिद्धान्त का व्यवस्थित प्रतिपादक और धर्मकीर्ति को उसका अधिक विकसित रूप प्रस्तुत करने वाला दार्शनिक माना जाता है। दिग्नाग की अपेक्षाकृत वर्णनात्मक या 'top-down' संरचना में अपोह संकल्पनात्मक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, जबकि धर्मकीर्ति के यहाँ कारणात्मक या 'bottom-up' विश्लेषण भाषा और जगत के बीच संबंध को प्रत्यक्षानुभूति से संकल्पना और शब्द-प्रयोग तक की कारण-श्रृंखला द्वारा समझाता है।

अपोहवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि को बुद्ध के अनित्य, अनात्मवाद, प्रतीत्यसमुत्पाद तथा प्रज्ञप्ति-संबंधी चिंतन से जोड़कर समझा जा सकता है; किंतु ऐतिहासिक सावधानी आवश्यक है। बुद्ध ने 'अपोहवाद' को दिग्नागीय अर्थ में कोई विकसित तकनीकी शब्दार्थ-सिद्धान्त नहीं बनाया था। इसलिए बुद्ध और दिग्नाग–धर्मकीर्ति के बीच संबंध को प्रत्यक्ष सिद्धान्तगत प्रतिपादन के बजाय वैचारिक पूर्वपीठिका, पुनर्व्याख्या और बाद के दार्शनिक विकास के रूप में ग्रहण करना अधिक उचित है।

शोध-समस्या, शोध-अंतराल एवं उद्देश्य- इस शोध की मूल समस्या यह है कि बौद्ध नामवाद के भीतर अनेक क्षणिक और स्वलक्षणात्मक व्यक्तियों के लिए सामान्य शब्दों की सार्थकता कैसे संभव है। यदि 'गोत्व' जैसी कोई वास्तविक सार्वभौम सत्ता नहीं है, तो 'गो' शब्द अनेक गौ-व्यक्तियों पर समान रूप से कैसे प्रयुक्त होता है? दूसरी समस्या यह है कि यदि अर्थ केवल अन्य का निषेध है, तो सकारात्मक अर्थ की अनुभूति कैसे उत्पन्न होती है। तीसरी समस्या दिग्नाग और धर्मकीर्ति के सिद्धान्तों के संबंध की है- क्या धर्मकीर्ति केवल दिग्नाग की पुनरावृत्ति करते हैं या वे अपोह को कारणात्मक और संज्ञानात्मक रूप से पुनर्गठित करते हैं?

उपलब्ध अध्ययनों में अपोहवाद, नामवाद, सार्वभौम की समस्या तथा दिग्नाग–धर्मकीर्ति के सिद्धान्त का पर्याप्त विवेचन मिलता है। फिर भी प्रस्तुत अध्ययन तीन विशिष्ट क्षेत्रों को एक साथ संबद्ध करता है: पहला, बुद्ध की व्यापक दार्शनिक पृष्ठभूमि और दिग्नागीय अपोह के बीच ऐतिहासिक सावधानी; दूसरा, दिग्नाग और धर्मकीर्ति के वर्णनात्मक तथा कारणात्मक रूपों का पृथक्करण; और तीसरा, अपोह की संरचना का आधुनिक औपचारिक तर्क के साथ केवल संरचनात्मक पुनर्पाठ।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य :

(1) अपोहवाद की संकल्पना और विकास का विश्लेषण करना;

(2) उसकी बौद्ध वैचारिक पूर्वपीठिका को स्पष्ट करना;

(3) दिग्नाग और धर्मकीर्ति का तुलनात्मक विवेचन करना;

(4) न्याय, मीमांसा और व्याकरण की आलोचनाओं का परीक्षण करना;

(5) अपोह, प्रत्यक्ष, विकल्प और शब्दार्थ के संबंध को समझना; तथा

(6) सेट सिद्धान्त और बूलियन बीजगणित के आलोक में अपोह का सावधान संरचनात्मक पुनर्पाठ करना।

शोध-पद्धति- प्रस्तुत शोध दार्शनिक-विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक और आलोचनात्मक पद्धति पर आधारित है। प्राथमिक बौद्ध दार्शनिक स्रोतों—विशेषतः दिग्नाग और धर्मकीर्ति के प्रमाणमीमांसात्मक ग्रंथों—तथा आधुनिक व्याख्यात्मक साहित्य का उपयोग किया गया है। न्याय, मीमांसा और व्याकरण परंपराओं की आपत्तियों को उनके अपने शब्दार्थ-सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में पढ़ा गया है।

पद्धति के अंतर्गत पाँच स्तर अपनाए गए हैं:

(क) पाठ-विश्लेषण, जिसमें अन्यापोह, अतद्व्यावृत्ति, स्वलक्षण और सामान्य का विश्लेषण है;

(ख) ऐतिहासिक-दार्शनिक विवेचन, जिसमें बुद्ध से दिग्नाग तक किसी सरल रेखीय वंशानुक्रम की स्थापना से बचा गया है;

(ग) तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें न्याय–मीमांसा–व्याकरण और बौद्ध मतों को आमने-सामने रखा गया है;

(घ) तार्किक विश्लेषण, जिसमें निषेध और वर्ग-सीमा की संरचना का परीक्षण है;

(ङ) संरचनात्मक पुनर्पाठ, जिसमें आधुनिक सेट सिद्धान्त तथा बूलियन तर्क से केवल अनुरूपता दिखाई गई है।

बुद्ध की दृष्टि में अपोहवाद : वैचारिक आधार- बुद्ध के मूल उपदेशों में 'अपोह' एक विकसित तकनीकी अर्थमीमांसात्मक सिद्धान्त के रूप में उपस्थित नहीं है। तथापि अनित्य, अनात्मवाद और प्रतीत्यसमुत्पाद जैसी अवधारणाएँ उस दार्शनिक वातावरण को निर्मित करती हैं जिसमें स्थायी, स्वतंत्र और आत्मसत्तात्मक सार्वभौमों के प्रति संदेह स्वाभाविक बनता है। अनित्य के अनुसार संस्कृत वस्तुएँ क्षणभंगुर उत्पत्ति-विनाश की प्रक्रिया में हैं; अनात्मवाद स्थायी आत्म-सत्ता का निषेध करता है; और प्रतीत्यसमुत्पाद वस्तुओं को स्वतंत्र सत्ता के बजाय परस्पर-निर्भर उत्पत्ति के संदर्भ में समझाता है।

बौद्ध परंपरा में प्रज्ञप्ति या परिकल्पित नामकरण की चर्चा यह संकेत देती है कि व्यवहारगत वर्ग और नाम वास्तविकता के अंतिम स्वरूप के समान नहीं होते। यही अंतर आगे चलकर बौद्ध प्रमाणमीमांसा में स्वलक्षण और सामान्य के विभाजन को महत्त्व देता है। अतः अपोहवाद को बुद्ध का प्रत्यक्ष सिद्धान्त कहना उचित नहीं होगा; उसे बौद्ध दार्शनिक परंपरा द्वारा भाषा और संकल्पना की समस्या के लिए विकसित किया गया उत्तर कहना अधिक सटीक है।

अपोहवाद की संकल्पना एवं विकास- 'अपोह' का सामान्य अर्थ पृथक्करण, व्यावृत्ति या बहिष्करण है। बौद्ध शब्दार्थ-सिद्धान्त में इसका आशय यह है कि किसी शब्द की अर्थवत्ता उस वस्तु के भीतर किसी वास्तविक सार्वभौम सत्ता के कारण नहीं, बल्कि अन्य वस्तुओं से उसकी संकल्पनात्मक व्यावृत्ति के कारण बनती है। 'गो' शब्द किसी स्वतंत्र 'गोत्व' को नहीं पकड़ता; वह 'अगो' से व्यावृत्त वस्तुओं के लिए व्यवहार में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार 'गो' का अर्थ 'अगो का अपोह' या 'अन्यापोह' कहा जाता है।

समस्या की जड़ बौद्ध स्वलक्षणवाद में है। यदि प्रत्येक वास्तविक वस्तु अद्वितीय और क्षणिक है, तो एक ही शब्द अनेक व्यक्तियों पर कैसे लागू हो? न्याय कह सकता है कि सभी गौ-व्यक्तियों में गोत्व नामक वास्तविक जाति है। बौद्ध इसके विपरीत कहते हैं कि ऐसी सार्वभौम सत्ता की आवश्यकता नहीं है। शब्द-प्रयोग संकल्पना और व्यवहार के स्तर पर विभेदनात्मक प्रक्रिया से संभव होता है।

दिग्नाग के अपोह में 'अन्य का निषेध' एक संकल्पनात्मक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। आधुनिक व्याख्या में इसे 'double negation' या 'not-non-X' जैसी संरचना से समझाया जाता है। इसका उद्देश्य किसी स्वतंत्र सार्वभौम को स्वीकार किए बिना शब्द और वस्तु के बीच व्यवहारगत संबंध की व्याख्या करना है। धर्मकीर्ति इस समस्या को और आगे ले जाते हैं: केवल संकल्पनात्मक वर्णन पर्याप्त नहीं; यह भी समझाना होगा कि वास्तविक व्यक्तियों की अनुभूति से सामान्यीकृत संकल्पना और फिर शब्द-प्रयोग तक कारणात्मक संबंध कैसे बनता है।

यहीं दिग्नाग और धर्मकीर्ति के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर स्पष्ट होता है। दिग्नाग का मॉडल अपेक्षाकृत 'ऊपर से नीचे' चलता है—संकल्पनात्मक अपोह वास्तविक व्यक्तियों को वर्गीकृत करने में सहायता करता है। धर्मकीर्ति का मॉडल 'नीचे से ऊपर' कारणात्मक श्रृंखला पर बल देता है—स्वलक्षणात्मक वस्तु से प्रत्यक्षानुभूति, उससे मानसिक प्रतिनिधित्व, उससे विकल्पात्मक संज्ञान और अंततः शब्द-प्रयोग तक। आधुनिक व्याख्याएँ इसी अंतर को अपोहवाद की दो प्रमुख दिशाओं के रूप में रेखांकित करती हैं।

दिग्नाग और धर्मकीर्ति : तुलनात्मक दार्शनिक विवेचन- दिग्नाग को अपोहवाद का व्यवस्थित प्रतिपादक कहा जा सकता है। उनका लक्ष्य था कि वास्तविक सार्वभौम को स्वीकार किए बिना यह बताया जाए कि शब्द और संकल्पनाएँ अनेक व्यक्तियों पर कैसे लागू होती हैं। उनके लिए प्रत्यक्ष स्वलक्षण को ग्रहण करता है, जबकि भाषा और संकल्पना सामान्यीकृत रूप में कार्य करते हैं। अपोह इस अंतर को पाटने वाला सिद्धान्त है।

धर्मकीर्ति ने इस ढाँचे को अधिक गहन ज्ञानमीमांसात्मक रूप दिया। उनके यहाँ प्रत्यक्ष निर्विकल्पक है और शब्द-संबंधी संज्ञान विकल्पात्मक है। वास्तविक वस्तु से उत्पन्न प्रत्यक्षानुभूति, मानसिक संस्कार और समान निर्णय की प्रवृत्ति मिलकर सामान्यीकृत संज्ञान को संभव बनाते हैं। इस प्रकार शब्दार्थ केवल 'क्या नहीं है' का तार्किक निषेध नहीं, बल्कि कारणात्मक रूप से निर्मित संज्ञानात्मक व्यवहार भी है।

इस अंतर को केवल शब्दावली का अंतर मानना उचित नहीं है। दिग्नाग की समस्या मुख्यतः यह है कि संकल्पनात्मक प्रतिनिधि वास्तविक व्यक्तियों से कैसे संबंधित होता है; धर्मकीर्ति उस संबंध को कारणात्मक ढाँचे में समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए धर्मकीर्ति का अपोह सिद्धान्त आधुनिक 'aboutness' समस्या के संदर्भ में विशेष महत्त्व रखता है—अर्थात् अमूर्त संकल्पना और वास्तविक अनुभव के बीच संबंध कैसे स्थापित हो।

फिर भी धर्मकीर्ति का कारणात्मक समाधान अपोह की आवश्यकता को पूर्णतः समाप्त नहीं करता। यदि भाषा-वस्तु संबंध कारणात्मक है, तो संकल्पनात्मक सामग्री में 'अन्यापोह' की भूमिका क्या शेष रहती है? यह प्रश्न बताता है कि धर्मकीर्ति के यहाँ कारणात्मक और वर्णनात्मक दोनों तत्वों का जटिल संबंध हो सकता है। अतः दिग्नाग और धर्मकीर्ति को एक ही सिद्धान्त की पुनरावृत्ति के बजाय क्रमशः विकसित होते हुए दो विश्लेषणात्मक रूपों में देखना अधिक उचित है।

न्याय, मीमांसा एवं व्याकरण की आलोचनाएँ- न्याय परंपरा शब्दार्थ के लिए वास्तविक जाति को महत्त्व देती है। यदि 'गो' शब्द का अर्थ गोत्व नहीं है, तो अलग-अलग गौ-व्यक्तियों पर उसका एकरूप प्रयोग किस आधार पर होगा? न्यायिक आलोचना के अनुसार केवल अन्य का निषेध पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 'अगो' की पहचान के लिए पहले 'गो' की पहचान आवश्यक प्रतीत होती है। इस प्रकार अपोह पर चक्रीयता की आपत्ति उठती है।

बौद्ध उत्तर में कहा जाता है कि अपोह मन में किसी वास्तविक वस्तु को नष्ट करने की प्रक्रिया नहीं है। यह संकल्पनात्मक सीमा-निर्धारण है। व्यवहार में वस्तुओं का वर्गीकरण समान प्रकार के अनुभव, संस्कार, प्रयोजन और सामाजिक संकेतों से निर्मित होता है। इसलिए किसी वास्तविक सार्वभौम को मानना आवश्यक नहीं है। फिर भी आलोचनात्मक रूप से स्वीकार करना होगा कि यदि अपोह की व्याख्या केवल निषेधात्मक रूप में की जाए, तो सकारात्मक अर्थ की समस्या बनी रहती है।

मीमांसा, विशेषतः कुमारिल की परंपरा, शब्द और अर्थ के संबंध में स्थायित्व तथा सकारात्मक अभिधेयता को महत्त्व देती है। यदि शब्द केवल निषेध करता है, तो शब्द से निश्चित अर्थ-बोध कैसे होगा? वैदिक वाक्यों की प्रमाणिकता और शब्द-शक्ति की स्थिरता भी इस विवाद से जुड़ती है। बौद्ध प्रत्युत्तर में सामाजिक संकेत, व्यवहारगत सफलता और संज्ञानात्मक संस्कार को पर्याप्त आधार माना जाता है; फिर भी यह प्रश्न बना रहता है कि केवल परंपरा से सकारात्मक अर्थ की अनुभूति का पूर्ण स्पष्टीकरण कैसे मिलेगा।

व्याकरण परंपरा, विशेषतः भर्तृहरि का स्फोटवाद, अर्थ को केवल पृथक शब्दों में नहीं, बल्कि वाक्य की समग्रता और भाषिक चेतना के व्यापक ढाँचे में देखता है। इस दृष्टि से अपोह का शब्द-केंद्रित विश्लेषण भाषा की वाक्यात्मक और प्रसंगगत समृद्धि को सीमित कर सकता है। बौद्ध पक्ष में उत्तर दिया जा सकता है कि वाक्यगत व्यवहार भी शब्दों के संकल्पनात्मक उपयोग पर निर्भर करता है। फिर भी रूपक, भाव, सांस्कृतिक संकेत और प्रसंगानुसार बदलते अर्थों के लिए अपोह को अतिरिक्त सिद्धान्तों की आवश्यकता पड़ सकती है।

इस प्रकार तीनों परंपराओं की आलोचनाओं से स्पष्ट है कि विवाद केवल 'शब्द का अर्थ क्या है' तक सीमित नहीं है। इसके पीछे वास्तविकता की प्रकृति, ज्ञान की संरचना, सार्वभौम की सत्ता और भाषा की सामाजिक भूमिका संबंधी व्यापक दार्शनिक प्रश्न हैं।

अपोहवाद का तार्किक एवं ज्ञानमीमांसात्मक विश्लेषण- अपोहवाद की दार्शनिक शक्ति यह है कि वह भाषा और ज्ञान को सीधे किसी स्थिर सार्वभौम सत्ता का दर्पण नहीं मानता। प्रत्यक्ष ज्ञान स्वलक्षण से संबद्ध है, जबकि सामान्यीकृत संज्ञान व्यवहारगत और संकल्पनात्मक है। इस अंतर के कारण भाषा को वास्तविकता का पूर्ण प्रतिरूप मानने के बजाय व्यवहार की एक संरचना के रूप में समझा जा सकता है।

फिर भी अपोह को केवल 'निषेध' मानना अधूरा है। जब हम 'गाय' कहते हैं, तो हमारा संज्ञान केवल 'गैर-गाय नहीं' का खाली निषेध नहीं होता; वह किसी प्रयोजन-संबंधी वर्ग को सक्रिय करता है। अतः अपोह की अधिक समर्थ व्याख्या में विभेदन, संज्ञानात्मक चयन,

पूर्वानुभव, संस्कार और सामाजिक संकेत सभी की भूमिका स्वीकार करनी होगी। यही कारण है कि धर्मकीर्ति का कारणात्मक विस्तार दिग्नागीय संरचना को अधिक जटिल बनाता है।

सेट सिद्धान्त एवं बूलियन बीजगणित के आलोक में पुनर्पाठ- अपोहवाद की आधुनिक तार्किक तुलना करते समय ऐतिहासिक प्रभाव का दावा नहीं किया जाना चाहिए। दिग्नाग और धर्मकीर्ति की रचनाएँ आधुनिक सेट सिद्धान्त या बूलियन बीजगणित से ऐतिहासिक रूप से संबंधित थीं—ऐसा निष्कर्ष इस अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तुलना केवल संरचनात्मक है।

यदि किसी वर्ग A को उन तत्वों के समूह के रूप में समझें जिन्हें किसी निश्चित व्यवहारगत या संकल्पनात्मक मानदंड के आधार पर एक साथ रखा जाता है, तो उसके बाहर स्थित क्षेत्र A के बहिष्कृत क्षेत्र को सूचित करता है। बूलियन तर्क में ¬A या complement की धारणा किसी वर्ग के निषेध को औपचारिक रूप देती है। इसी प्रकार अपोह में 'अन्य' से व्यावृत्ति के द्वारा किसी संकल्पना की सीमा निर्धारित होती है।

लेकिन दोनों में निर्णायक अंतर भी है। गणितीय complement एक औपचारिक, पूर्वनिर्धारित universe के सापेक्ष परिभाषित होता है; अपोह का 'अन्य' संज्ञानात्मक, भाषिक और व्यवहारगत वर्गीकरण से संबंधित है। इसलिए 'Apoha = Boolean complement' कहना दार्शनिक रूप से गलत होगा। अधिक उपयुक्त कथन यह है कि दोनों में 'सीमा-निर्धारण और निषेध' की एक संरचनात्मक समानता दिखाई देती है।

समीक्षात्मक मूल्यांकन- अपोहवाद की पहली बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने सार्वभौम की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार किए बिना भाषा और सामान्यीकरण की समस्या को गंभीरता से लिया। यह सिद्धान्त इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि मनुष्य का व्यवहार केवल अद्वितीय संवेदनात्मक वस्तुओं के आधार पर नहीं चलता; वह वस्तुओं को वर्गीकृत करता है, समानताओं को पहचानता है और सामाजिक रूप से स्वीकृत संकेतों का उपयोग करता है।

दूसरी उपलब्धि यह है कि अपोह भाषा को ज्ञानमीमांसा से जोड़ता है। शब्दार्थ किसी स्वतंत्र सत्ता की यांत्रिक प्रतिलिपि नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक और व्यवहारगत प्रक्रिया का परिणाम है। धर्मकीर्ति के कारणात्मक विश्लेषण में यह संबंध और स्पष्ट होता है।

तीसरी ओर, इसकी सीमा सकारात्मक अर्थ की समस्या है। यदि हर अर्थ को किसी अन्य के निषेध से समझाया जाए, तो यह पूछना आवश्यक है कि स्वयं निषेध की पहचान किस सकारात्मक संज्ञान के आधार पर होगी। इसी प्रकार रूपक, सौंदर्यात्मक अर्थ, भावात्मक भाषा, सांस्कृतिक संकेत और प्रसंगगत अर्थ केवल वर्ग-बहिष्करण से पूरी तरह नहीं समझे जा सकते। अतः अपोह को सार्वभौम अर्थ-सिद्धान्त का एकमात्र विकल्प मानना उचित नहीं होगा।

फिर भी इन सीमाओं के बावजूद अपोहवाद का दार्शनिक महत्त्व बना रहता है, क्योंकि उसने अर्थ को वस्तु-सत्ता से हटाकर विभेदन, संकल्पना और व्यवहार के क्षेत्र में देखने का मार्ग खोला। इसी कारण इसका पुनर्पाठ समकालीन भाषा-दर्शन और संज्ञानात्मक अध्ययन के साथ संवाद स्थापित कर सकता है।

निष्कर्ष- अपोहवाद भारतीय दर्शन में भाषा और अर्थ की समस्या के सबसे सूक्ष्म एवं विशिष्ट समाधानों में से एक है। दिग्नाग ने वास्तविक सार्वभौम को अस्वीकार करते हुए 'अन्यापोह' के माध्यम से शब्दार्थ की व्याख्या की और धर्मकीर्ति ने इस सिद्धान्त को कारणात्मक तथा ज्ञानमीमांसात्मक आधार प्रदान किया। इस दृष्टि से अपोह केवल नकारात्मक अर्थ-सिद्धान्त नहीं, बल्कि विभेदनात्मक अर्थ-निर्माण की प्रक्रिया है।

बुद्ध के अनित्य, अनात्मवाद और प्रतीत्यसमुत्पाद को अपोहवाद की प्रत्यक्ष तकनीकी स्थापना का आधार कहना ऐतिहासिक रूप से सावधानीहीन होगा; परंतु इन्हें ऐसी व्यापक वैचारिक पृष्ठभूमि के रूप में समझा जा सकता है जिसने स्थायी और स्वतंत्र सार्वभौमों के प्रति बौद्ध संशय को दार्शनिक आधार प्रदान किया। दिग्नाग–धर्मकीर्ति के काल में यही प्रश्न प्रमाण, प्रत्यक्ष, संकल्पना और भाषा के तकनीकी विमर्श में पुनर्गठित हुआ।

न्याय और मीमांसा की आलोचनाएँ यह प्रश्न उठाती हैं कि निषेधात्मक सिद्धान्त सकारात्मक अर्थ, निश्चित शब्द-बोध और वर्ग-प्रयोग को किस प्रकार समझाता है; व्याकरण परंपरा भाषा की समग्रता और वाक्यार्थ की समस्या सामने रखती है। इन आलोचनाओं के कारण अपोहवाद को पूर्णतः आत्मनिर्भर अर्थ-सिद्धान्त मानने के बजाय एक विशिष्ट नामवादी समाधान के रूप में देखना अधिक उचित है।

सेट सिद्धान्त और बूलियन बीजगणित के साथ किया गया पुनर्पाठ भी इसी सावधानी पर आधारित है। अपोह और आधुनिक औपचारिक तर्क ऐतिहासिक रूप से एक-दूसरे से उत्पन्न नहीं हैं; किंतु दोनों में सीमा-निर्धारण, बहिष्करण और वर्ग-निर्माण की संरचनात्मक

समानता पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार अपोहवाद भारतीय दर्शन के ऐतिहासिक अध्ययन के साथ-साथ आधुनिक भाषा-दर्शन, तर्क, संज्ञान और वर्गीकरण की समस्याओं के साथ भी सार्थक संवाद की संभावना प्रस्तुत करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Dignāga. (2005). The word and the object: Selected translations from the Pramāṇasamuccaya (H. R. Rangaswamy Iyengar, Ed.).
2. Dunne, J. D. (2004). Foundations of Dharmakīrti's philosophy. Wisdom Publications.
3. Hayes, R. P. (1988). Dignāga on the interpretation of signs. Kluwer Academic Publishers.
4. Matilal, B. K. (1990). The word and the world: India's contribution to the study of language. Oxford University Press.
5. Siderits, M., Tillemans, T., & Chakrabarti, A. (Eds.). (2011). Apoha: Buddhist nominalism and human cognition. Columbia University Press.
6. Stcherbatsky, T. (1962). Buddhist logic (Vols. 1–2). Dover Publications.
7. Taber, J., & Kataoka, K. (2017). Apoha and the philosophy of language in Buddhist epistemology. Journal of Indian Philosophy.
8. Tillemans, T. J. F. (2011). What is apoha? In M. Siderits, T. Tillemans, & A. Chakrabarti (Eds.), Apoha: Buddhist nominalism and human cognition. Columbia University Press.
9. Radhakrishnan, S., & Moore, C. A. (Eds.). (1957). A source book in Indian philosophy. Princeton University Press.
10. Ganeri, J. (2011). The lost art of philosophy: Life and philosophy in the Indian classical tradition. Oxford University Press.
11. Halmos, P. R. (1960). Naive set theory. Van Nostrand.
12. Boole, G. (1854). An investigation of the laws of thought. Macmillan.
13. Stanford Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). Dharmakīrti. https://plato.stanford.edu/entries/dharmakiirti/
14. Stanford Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). Perceptual experience and concepts in classical Indian philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/perception-india/
15. Stanford Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). Śāntarakṣita. https://plato.stanford.edu/entries/saantarak-sita/

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

चार्वाक, जैन एवं बौद्ध दर्शन के मोक्ष/अपवर्ग विचारों का समीक्षात्मक अध्ययन

रणधीर सिंह
शोध अध्येता, दर्शन शास्त्र विभाग,
शहीद स्मारक राजकीय महाविद्यालय, यूसुफपुर मुहम्मदाबाद, गाजीपुर (उ०प्र०)

PP.N0- 62-65 **Received: 22.09.2026** **Accepted:28.09.2026** **Email: randheersingh2221421@gmail.com**

सारांश- भारतीय दार्शनिक परंपरा में 'मोक्ष' या 'मुक्ति' को मानव जीवन का परम पुरुषार्थ स्वीकार किया गया है [1](शर्मा, 2018)। यद्यपि आस्तिक संप्रदाय वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर मोक्ष की व्याख्या करते हैं, परंतु नास्तिक/अवैदिक परंपराएँ—चार्वाक, जैन और बौद्ध—अपने स्वतंत्र तर्क-आधारित दृष्टिकोण से इस अवधारणा की पुनर्व्याख्या करती हैं [1](शर्मा, 2018)। प्रस्तुत शोध-पत्र में इन तीनों नास्तिक परंपराओं के मोक्ष विचारों का समीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अनुशीलन किया गया है। चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाणवादी होने के कारण पारलौकिक मोक्ष को अस्वीकार करता है और मरणोत्तर मोक्ष के स्थान पर 'मरण ही अपवर्ग' अथवा 'सांसारिक दुखों के आत्यंतिक अंत' को व्यावहारिक मोक्ष मानता है [4](माधवाचार्य, 2017)। इसके विपरीत, जैन दर्शन आत्मा के नित्य अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जीव के पुद्गल (कर्म-पुद्गल) से आत्यंतिक पृथक्करण एवं 'अनंत चतुष्टय' (अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य) की प्राप्ति को मोक्ष (सिद्ध शिला की स्थिति) के रूप में निरूपित करता है [8](उमास्वाति, 2016)। बौद्ध दर्शन अनित्यता एवं अनात्मवाद के सिद्धांत पर आधारित होकर मोक्ष को 'निर्वाण' के रूप में परिभाषित करता है, जहाँ तृष्णा, अविद्या और भव-चक्र का निरोध होता है [11](उपाध्याय, 2018)। प्रस्तुत अध्ययन में इन तीनों विविध दृष्टिकोणों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भौतिकवादी (चार्वाक), आत्मवादी-कर्मवादी (जैन) तथा अनात्मवादी-मनोवैज्ञानिक (बौद्ध) वैचारिक धाराएँ किस प्रकार भारतीय मोक्ष-मीमांसा को विविधता और तार्किक गहराई प्रदान करती हैं [1](शर्मा, 2018)।

कुंजीभूत शब्द : चार्वाक, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, मोक्ष, निर्वाण, अपवर्ग, कैवल्य, अनात्मवाद, कर्म-पुद्गल, भारतीय दर्शन।

1. भूमिका एवं विषय-प्रवर्तन- भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा की सबसे प्रमुख विशेषता जीवन के आत्यंतिक लक्ष्य की खोज रही है। पाश्चात्य दर्शन जहाँ मुख्यतः ज्ञानमीमांसीय और वैज्ञानिक जिज्ञासाओं से प्रेरित रहा है, वहीं भारतीय दर्शन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और 'मोक्ष' (Liberation) की प्राप्ति को अपना परम ध्येय स्वीकार करता है [1](शर्मा, 2018)।

भारतीय वैचारिक क्षितिज को पारंपरिक रूप से दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है—आस्तिक (वैदिक) और नास्तिक (अवैदिक)। आस्तिक संप्रदाय (सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत) वेदों की प्रामाणिकता, आत्मा की नित्यता और पारलौकिक मोक्ष को स्वीकार करते हैं [2](राधाकृष्णन, 2015)। इसके विपरीत, नास्तिक परंपरा—जिसमें चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन परिगणित हैं—वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करती है। परंतु जब मोक्ष या मानव जीवन के चरम लक्ष्य का प्रश्न आता है, तो ये तीनों नास्तिक दर्शन अत्यंत मौलिक और एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं [3](चटर्जी एवं दत्ता, 2019) ।

चार्वाक जहाँ भौतिकवादी प्रत्यक्षवाद के आधार पर पारंपरिक मोक्ष का खंडन करता है[4](माधवाचार्य, 2017), वहीं जैन दर्शन आत्मा की नित्यता और कर्मबंध से आत्यंतिक मुक्ति को कैवल्य मानता है [8](उमास्वाति, 2016)। दूसरी ओर, बौद्ध दर्शन अनात्मवाद और प्रतीत्यसमुत्पाद के आधार पर 'निर्वाण' की मनोवैज्ञानिक व व्यावहारिक अवधारणा प्रस्तुत करता है [11](उपाध्याय, 2018)।

1.1 मोक्ष की अवधारणात्मक पृष्ठभूमि- संस्कृत की 'मुच्' धातु से निष्पन्न 'मोक्ष' शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ छुटकारा, मुक्ति या बंधनों का आत्यंतिक अंत है। भारतीय परंपरा में स्वीकृत चार पुरुषार्थों—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—में मोक्ष को 'परम पुरुषार्थ' स्वीकार किया गया है [1](शर्मा, 2018)। मोक्ष की अवधारणा इस मौलिक स्वीकृति पर आधारित है कि जीव अविद्या या अज्ञान के कारण संसर्ग में आता है और दुख भोगता है [8](उमास्वाति, 2016)। इस दुख-चक्र का आत्यंतिक शमन ही मोक्ष की स्थिति है [13](सांकृत्यायन, 2017)।

1.2 आस्तिक एवं नास्तिक परंपरा में विभाजन रेखा- आस्तिक परंपरा जहाँ श्रुति (वेद) के प्रामाण्य को स्वीकार कर अपौरुषेय सत्य और पारलौकिक धाम या ब्रह्म-साक्षात्कार को मोक्ष मानती है [2], वहीं नास्तिक दर्शन अपने स्वतंत्र प्रमाणशास्त्र के आधार पर विषय को विश्लेषित करते हैं [3]। चार्वाक प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी प्रमाण को स्वीकार न करते हुए मोक्ष को भौतिक संदर्भ प्रदान करता है [4,6]। जैन दर्शन आत्मा की अनंत शक्तियों के प्रकटीकरण को मोक्ष मानता है [8,10]। बौद्ध दर्शन आत्मा जैसी किसी नित्य सत्ता को अस्वीकार करते हुए चित्त की शांति और तृष्णा-क्षय को निर्वाण का स्वरूप प्रदान करता है [12,13]।

2. शोध प्रश्न - प्रस्तुत शोध-पत्र निम्नलिखित प्रमुख दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता है:

1. नास्तिक (अवैदिक) परंपरा के अंतर्गत चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन मोक्ष/अपवर्ग की अवधारणा को किस प्रकार परिभाषित एवं विश्लेषित करते हैं?
2. ज्ञानमीमांसीय (Epistemological) एवं तत्वमीमांसीय (Metaphysical) अंतर किस प्रकार इन तीनों संप्रदायों के मोक्ष संबंधी विचारों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं?
3. चार्वाक के भौतिकवादी प्रत्यक्षवाद, जैन के आत्मवादी-कर्मवाद तथा बौद्ध के अनात्मवादी-मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के मध्य क्या मौलिक समानताएँ एवं वैषम्य (विभेद) हैं?
4. भारतीय आचार-मीमांसा, दर्शन और समकालीन व्यावहारिक जीवन में इन तीनों नास्तिक मोक्ष-अवधारणाओं का समीक्षात्मक योगदान क्या है?

3. साहित्य समीक्षा- भारतीय दर्शन में मोक्ष की अवधारणा पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक व्यापक मंथन हुआ है:

- माधवाचार्य (2017)ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ'सर्वदर्शनसंग्रह'में चार्वाक दर्शन का निरूपण करते हुए प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों के आधार पर परलोक और पारलौकिक मोक्ष के खंडन को स्पष्ट किया है। ग्रंथ में चार्वाक के 'मरणमेवापवर्गः' (मृत्यु ही मोक्ष है) के सिद्धांत को रेखांकित किया गया है [4,6]।
- उमास्वाति (2016)कृत'तत्त्वार्थसूत्र'जैन तत्वमीमांसा और मोक्षशास्त्र का आधारभूत ग्रंथ है। इसमें जीव और अजीव के संबंध, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष के सोपानों का अत्यंत तार्किक एवं व्यावहारिक वर्णन मिलता है [8,9]।
- वसुबंधु (2014)रचित'अभिधर्मकोश'औरबलदेव उपाध्याय (2018)की रचना'बौद्ध दर्शन मीमांसा'में बौद्ध अनात्मवाद, क्षणिकवाद और पंचस्कंधों के विघटन द्वारा निर्वाण प्राप्ति की प्रक्रिया की विस्तृत व्याख्या की गई है [12,14]।
- चंद्रधर शर्मा (2018)एवंसर्वपल्ली राधाकृष्णन (2015)ने अपने अध्ययनों में आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की है। शर्मा (2018) के अनुसार, नास्तिक धाराएँ केवल वैदिक कर्मकांडों का विरोध नहीं करतीं, बल्कि वे मोक्ष को नैतिक साधना और तार्किक बोध से जोड़कर अधिक व्यावहारिक बनाती हैं [1,15]।
- दक्षिणारंजन शास्त्री (2012) एवं राहुल सांकृत्यायन (2017) के कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ चार्वाक का भौतिकवाद पुरोहितवाद पर प्रहार करता है [7], वहीं बौद्ध निर्वाण मानव चेतना के परिष्कार का मनोवैज्ञानिक मार्ग दिखाता है [13]।

4. दार्शनिक विश्लेषण एवं समीक्षा

4.1 चार्वाक दर्शन का मोक्ष विचार: प्रत्यक्षवाद और भौतिकवादी समीक्षा- चार्वाक दर्शन (लोकायत) भारतीय चिंतन परंपरा का एकमात्र विशुद्ध भौतिकवादी एवं प्रत्यक्षवादी दर्शन है। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष (Perception) को ही एकमात्र प्रमाण स्वीकार करता है [4]। प्रत्यक्षवादी होने के कारण चार्वाक ईश्वर, आत्मा, परलोक और मरणोत्तर मोक्ष जैसी अमूर्त अवधारणाओं का खंडन करता है [4,6]।

क. ज्ञानमीमांसा और भूतचैतन्यवाद- चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है [4]। अनुमान और शब्द को चार्वाक स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार नहीं करता क्योंकि अनुमान व्याप्ति-संबंध पर निर्भर करता है, जिसकी पूर्ण सिद्धि प्रत्यक्ष से संभव नहीं है [4]। आत्मा नाम का कोई नित्य तत्व नहीं है—'चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः'। जिस प्रकार गुड़ और महुआ के किण्वन (Fermentation) से मादकता उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार चार भौतिक भूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु) के विशिष्ट संयोग से शरीर में चेतना उत्पन्न होती है [5]।

ख. 'मरण ही अपवर्ग' का सिद्धांत- चार्वाक के अनुसार जब नित्य आत्मा ही नहीं है, तो मरणोत्तर मोक्ष की कल्पना निरर्थक है [6]।'सर्वदर्शनसंग्रह'में उल्लेख है:

अंगनालिंगनाज्जन्यसुखमेव पुमर्थता। कंटकादिव्यथाजन्यं दुःखं निरय उच्यते॥
लोकसिद्धो भवेद् राजा परमेष्ठी न चापरः। देहच्छेदो मोक्षो नान्यद् वस्तु किंचन॥ [6]

अर्थात, विषय-भोगों से प्राप्त सुख ही पुरुषार्थ है, काँटे गड़ने जैसा दुख ही नरक है, सांसारिक राजा ही ईश्वर है, और 'देह का नष्ट हो जाना (मृत्यु) ही मोक्ष है' [6]।

ग. समीक्षा- चार्वाक का मोक्ष विचार पारंपरिक धार्मिक अंधविश्वासों और पुरोहितवाद का प्रतिवाद करता है [7]। यद्यपि चार्वाक को केवल स्थूल सुखवादी माना गया है, परंतु उसकी व्यावहारिक व्याख्या यह रेखांकित करती है कि वर्तमान जीवन के दुखों से मुक्ति और सांसारिक सुख ही वास्तविक सरोकार हैं [7]। तथापि, केवल देह-नाश को मोक्ष मानना भारतीय आचारशास्त्र के उच्चतर आध्यात्मिक व नैतिक लक्ष्यों को सीमित कर देता है [7]।

4.2 जैन दर्शन का मोक्ष विचार: कैवल्य और अनंत चतुष्टय- जैन दर्शन एक अनीश्वरवादी किंतु आत्मावादी एवं कर्मवादी परंपरा है। जैन परंपरा में जीव (आत्मा) और अजीव (द्रव्य) के संबंध के आधार पर बंध और मोक्ष की व्याख्या की गई है [8,9]।

क. बंध का कारण (आस्रव और बंध)- जैन दर्शन के अनुसार जीव स्वभावतः अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य (शक्ति) से युक्त है[8], परंतु अविद्या और कषायों (क्रोध, मान, माया, लोभ) के कारण सूक्ष्म पुद्गल कण (कर्म-परमाणु) जीव की ओर प्रवाहित होते हैं (आस्रव) और आत्मा के साथ चिपक जाते हैं (बंध)। यह कर्म-बंधन जीव के स्वाभाविक प्रकाश को आच्छादित कर देता है।

ख. मोक्ष का मार्ग (संवर, निर्जरा एवं रत्नत्रय): जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के दो चरण अनिवार्य हैं [9]:

1. संवर:नए कर्म-पुद्गलों के प्रवाह को रोकना [9]।
2. निर्जरा:तप और साधना द्वारा आत्मा में पूर्व से संचित कर्म-पुद्गलों को भस्म करना [9]।

जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र (रत्नत्रय) का पूर्ण पालन किया जाता है, तब समस्त कर्म-पुद्गल आत्मा से पृथक हो जाते हैं [8,9]।

ग. सिद्ध अवस्था एवं अनंत चतुष्टय:समस्त कर्मों के क्षय हो जाने पर जीव 'कैवल्य' प्राप्त करता है [10]। मुक्त जीव लोक के शिखर पर स्थित 'सिद्ध शिला' में उर्ध्वगमन कर निवास करता है[10] । मोक्ष की अवस्था में जीव अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होकर 'अनंत चतुष्टय' (अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य) का अनवरत उपभोग करता है [8,10]।

घ. समीक्षा- जैन मोक्ष विचार अत्यंत कठोर नैतिक साधना, अहिंसा और आत्म-साक्षात्कार पर बल देता है [10]। यह आत्मा के अमरत्व को बनाए रखते हुए कर्म-सिद्धांत की वैज्ञानिक व पुद्गल-आधारित व्याख्या प्रस्तुत करता है [8,10]। इसकी विशिष्टता यह है कि यह किसी ईश्वर की अनुकंपा पर निर्भर न होकर पूर्णतः आत्म-प्रयत्न पर आधारित है [10]।

4.3 बौद्ध दर्शन का मोक्ष विचार: निर्वाण और अनात्मवाद: बौद्ध दर्शन मध्यम मार्ग (Madhyama Pratipat) का अनुसरण करता है। बुद्ध का मूल उद्देश्य दर्शन की अमूर्त उलझनों के स्थान पर मानव जीवन के दुखों का निवारण था [11]। बौद्ध दर्शन चार आर्यसत्यों पर आधारित है [11]।

क. अनात्मवाद और क्षणिकवाद: बौद्ध दर्शन न तो चार्वाक की भाँति शरीर को ही सब कुछ मानता है और न ही जैन या वेदांत की भाँति किसी नित्य अचल आत्मा को स्वीकार करता है [12]। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा पंचस्कंधों (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) का एक निरंतर प्रवाहमान संघात (Bundle) है [12]।

ख. निर्वाण का दार्शनिक अर्थ एवं अवस्थाएँ: 'निर्वाण' शब्द का शाब्दिक अर्थ है- 'दीपक का बुझ जाना' या 'शांत हो जाना' [13]। निर्वाण का अर्थ आत्मा का विनाश नहीं है, अपितु तृष्णा (Desire), अविद्या (Ignorance), राग और द्वेष की अग्नियों का आत्यंतिक शमन है [13]।

बौद्ध दर्शन में निर्वाण की दो अवस्थाएँ मानी गई हैं [14]:

1. सोपधिशेष निर्वाण:जीवनकाल में ही तृष्णा और दुखों का अंत हो जाना (जैसे बुद्ध को बोधगया में प्राप्त हुआ) [14]।
2. अनुपधिशेष निर्वाण (परिनिर्वाण):शरीरपात के पश्चात पुनः जन्म-मरण के चक्र (भव-चक्र) का सदा के लिए समाप्त हो जाना [14]।

ग. संप्रदायों के अनुसार व्याख्या

- **हीनयान:** निर्वाण को दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और व्यक्तिगत मुक्ति (अर्हत पद) के रूप में देखता है [14,15]।
- **महायान:** निर्वाण को केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित न मानकर समस्त जीवों की मुक्ति ('बोधिसत्व' आदर्श) और प्रज्ञा (शून्यता का ज्ञान) की प्राप्ति स्वीकार करता है [15]।

घ. समीक्षा- बौद्ध निर्वाण विचार अति-नैतिकता और व्यावहारिक मनोविज्ञान का सुंदर उदाहरण है [13,15]। यह किसी पारलौकिक आत्मा या ईश्वर पर निर्भर रहे बिना मानव चेतना के परिष्कार और तृष्णा-निरोध द्वारा इसी जीवन में शांति की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है [13,15]।

4.4 तीनों विचारों का तुलनात्मक मूल्यांकन

दार्शनिक पक्ष	चार्वाक दर्शन	जैन दर्शन	बौद्ध दर्शन
आत्मा का स्वरूप	अनात्मा (देह ही आत्मा) [5]	नित्य चेतन जीव (परिणामी) [8]	अनात्मा (पंचस्कंधों का प्रवाह) [12]
मोक्ष का स्वरूप	देह-नाश / मरण ही मोक्ष [6]	कैवल्य (सिद्ध शिला पर अनंत ज्ञान) [10]	निर्वाण (तृष्णा व दुख का निरोध) [13]
मोक्ष प्राप्ति का मार्ग	व्यावहारिक सुख-भोग / प्राकृतिक अंत [6]	रत्नत्रय (सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र) [9]	अष्टांगिक मार्ग (मध्यम मार्ग) [11]
पारलौकिकता	पूर्णतः अस्वीकृत [4]	स्वीकृत (सिद्ध लोक) [10]	व्यावहारिक (भव-चक्र का अंत) [14]

तुलनात्मक अंतर्दृष्टि:

1. चार्वाक बनाम जैन-बौद्ध:चार्वाक जहाँ आध्यात्मिक मोक्ष को केवल एक कपोल-कल्पना मानकर वर्तमान जीवन के सुखों को प्राथमिकता देता है [6], वहीं जैन और बौद्ध दर्शन चार्वाक के इस दृष्टिकोण को अविद्याग्रस्त और पतनकारी मानते हैं [8,11]।
2. जैन बनाम बौद्ध:जैन दर्शन मोक्ष में आत्मा के नित्य अस्तित्व और उसके अनंत गुणों के बने रहने का समर्थन करता है [8,10]। इसके विपरीत, बौद्ध दर्शन नित्य आत्मा के विचार को ही तृष्णा और अहंकार का मूल कारण मानता है [12,16] और निर्वाण में 'अहंकार' व 'तृष्णा' के पूर्ण लय पर बल देता है [13,16]।

3. साम्यता के बिंदु:तीनों दर्शन वैदिक यज्ञीय हिंसा, पशुबलि और पुरोहितवादी मध्यस्थता का खंडन करते हैं [3,7,10,15]। जैन और बौद्ध दोनों ही यह स्थापित करते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है और वह अपनी साधना से ही मुक्ति पा सकता है [9,11]।

5. शोध निष्कर्ष - चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन के मोक्ष विचारों का समीक्षात्मक अध्ययन यह सिद्ध करता है कि नास्तिक धारा के अंतर्गत भी भारतीय दार्शनिकों ने जीवन के चरम लक्ष्य को अत्यंत सूक्ष्मता और विविध कोणों से विश्लेषित किया है [1,3,16]।

शोध के मुख्य निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार हैं:

1. चार्वाकका मोक्ष विचार एक तार्किक प्रतिवाद है जो दर्शन को यथार्थवादी, व्यावहारिक और अंधविश्वास-मुक्त बनाने का प्रयास करता है [7]। 'मरण ही अपवर्ग' का सिद्धांत जीवन के स्थूल सत्य को रेखांकित करता है [6]।
2. जैन दर्शनका कैवल्य विचार अत्यंत कठोर कर्म-सिद्धांत और अहिंसा पर आधारित है, जो जीव की असीम आध्यात्मिक क्षमताओं को पुनर्स्थापित करता है [8,10]।
3. बौद्ध दर्शनका निर्वाण विचार नित्य आत्मा के मोह से मुक्त होकर तृष्णा-निरोध और मनोवैज्ञानिक शांति का कालजयी मार्ग प्रस्तुत करता है [12,13,16]।

अंततः, ये तीनों वैचारिक धाराएँ भारतीय मोक्ष-मीमांसा को एकांगी होने से बचाती हैं [1,16]। वे यह प्रतिपादित करती हैं कि मुक्ति चाहे देह के स्तर पर दुखों का अंत हो (चार्वाक) [6], आत्मा का शुद्ध स्वरूप में अवस्थान हो (जैन)[10] , या तृष्णा के शमन से परम शांति की प्राप्ति हो (बौद्ध) [13]—यह मनुष्य की अपनी चेतना, कर्म और दृष्टिकोण पर ही निर्भर करती है।

पाद-टिप्पणी

1. शर्मा, चंद्रधर. (2018). भारतीय दर्शन: आलोचना और अनुशीलन. मोतीलाल बनारसीदास, पृ. 12-15.
2. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली. (2015). भारतीय दर्शन (भाग 1). राजपाल एंड संस, पृ. 42-46.
3. चटर्जी, सतीशचंद्र, एवं दत्ता, धीरेंद्रमोहन. (2019). भारतीय दर्शन. रूपा पब्लिकेशंस, पृ. 55-58.
4. माधवाचार्य. (2017). सर्वदर्शनसंग्रह (उमाशंकर शर्मा 'ऋषि', व्याख्याकार). चौखम्बा विद्याभवन, पृ. 3-7.
5. वही, पृ. 8-10.
6. वही, पृ. 12.
7. शास्त्री, दक्षिणारंजन. (2012). चार्वाक दर्शन. पश्चिम बंगाल राज्य पुस्तक पर्षद, पृ. 88-92.
8. उमास्वाति. (2016). तत्त्वार्थसूत्र (अध्याय 8, सूत्र 1-5). भारतीय ज्ञानपीठ, पृ. 102-105.
9. वही, (अध्याय 9, सूत्र 1-3), पृ. 120-122.
10. जैन, हीरालाल. (2015). भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान. राष्ट्रभाषा हिंदी पुस्तक एजेंसी, पृ. 145-149.
11. उपाध्याय, बलदेव. (2018). बौद्ध दर्शन मीमांसा. चौखम्बा विद्याभवन, पृ. 78-82.
12. वसुबंधु. (2014). अभिधर्मकोश (द्वारिकादास शास्त्री, संपादक). बौद्ध भारती, पृ. 64-68.
13. सांकृत्यायन, राहुल. (2017). बौद्ध दर्शन. किताब महल, पृ. 110-114.
14. उपाध्याय, बलदेव. (2018). बौद्ध दर्शन मीमांसा. चौखम्बा विद्याभवन, पृ. 135-139.
15. शर्मा, चंद्रधर. (2018). भारतीय दर्शन: आलोचना और अनुशीलन. मोतीलाल बनारसीदास, पृ. 112-118.
16. हिरियान्ना, मायसोर. (2017). भारतीय दर्शन की रूपरेखा. राजकमल प्रकाशन, पृ. 130-135.

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. उमास्वाति. (2016). तत्त्वार्थसूत्र. भारतीय ज्ञानपीठ।
2. उपाध्याय, बी. (2018). बौद्ध दर्शन मीमांसा. चौखम्बा विद्याभवन।
3. चटर्जी, एस., एवं दत्ता, डी. (2019). भारतीय दर्शन. रूपा पब्लिकेशंस।
4. जैन, एच. (2015). भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान. राष्ट्रभाषा हिंदी पुस्तक एजेंसी।
5. माधवाचार्य. (2017). सर्वदर्शनसंग्रह (उमाशंकर शर्मा 'ऋषि', व्याख्याकार). चौखम्बा विद्याभवन।
6. राधाकृष्णन, एस. (2015). भारतीय दर्शन (भाग 1). राजपाल एंड संस।
7. वसुबंधु. (2014). अभिधर्मकोश (डी. शास्त्री, संपादक). बौद्ध भारती।
8. शर्मा, सी. (2018). भारतीय दर्शन: आलोचना और अनुशीलन. मोतीलाल बनारसीदास।
9. शास्त्री, डी. (2012). चार्वाक दर्शन. पश्चिम बंगाल राज्य पुस्तक पर्षद।
10. सांकृत्यायन, आर. (2017). बौद्ध दर्शन. किताब महल।
11. हिरियान्ना, एम. (2017). भारतीय दर्शन की रूपरेखा. राजकमल प्रकाशन।

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-17, No.-II, Issus-66
Year: July-Sep. 2026

महिलाओं में वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन: एक अनुभवजन्य अध्ययन (जनपद झाँसी के विशेष संदर्भ में)

1.नीलम चौधरी, 2. प्रो० उमारतन यादव

1. सहायक आचार्य- अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी, उत्तर प्रदेश (उ०प्र०)
2. एसोसिएट प्रोफेसर- अर्थशास्त्र, बुंदेलखंड महाविद्यालय, झाँसी

PP.N0- 66-69 **Received: 22.09.2026** **Accepted:30.09.2026** **Email: neel.neelam7@gmail.com**

सारांश- वर्तमान समय में वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि वित्तीय सेवाओं की जानकारी, उनका प्रभावी उपयोग, सुरक्षित डिजिटल लेन-देन तथा वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता भी इसके महत्वपूर्ण आयाम हैं। महिलाओं के संदर्भ में वित्तीय साक्षरता का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वित्तीय ज्ञान महिलाओं की बचत, ऋण, डिजिटल भुगतान, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाओं के उपयोग की क्षमता को प्रभावित करता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य जनपद झाँसी की महिलाओं में वित्तीय साक्षरता की स्थिति तथा वित्तीय समावेशन के पश्चात उनके वित्तीय ज्ञान में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना है।

अध्ययन में 400 महिला उत्तरदाताओं से प्राथमिक आँकड़े प्राप्त किए गए। वित्तीय साक्षरता का आकलन बैंकिंग, ATM, UPI, ऋण, EMI, बीमा, चक्रवृद्धि ब्याज, बैंक ब्याज तथा डिजिटल धोखाधड़ी से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से किया गया। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश महिलाओं को बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं की जानकारी है। दस वस्तुनिष्ठ वित्तीय ज्ञान प्रश्नों में सही उत्तरों का औसत 98.18 प्रतिशत रहा। हालांकि व्यवहारिक स्तर पर सभी महिलाएँ स्वतंत्र रूप से वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। उदाहरणतः केवल 43.75 प्रतिशत महिलाएँ ATM से धन निकासी स्वयं कर सकती हैं तथा 45.50 प्रतिशत महिलाएँ UPI से भुगतान स्वयं कर सकती हैं। अध्ययन में 81.75 प्रतिशत महिलाओं द्वारा बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण लेने की जानकारी भी प्राप्त हुई। कुल मिलाकर अध्ययन यह बताता है कि महिलाओं में वित्तीय अवधारणाओं का ज्ञान अपेक्षाकृत उच्च है, किंतु ज्ञान को व्यवहारिक वित्तीय क्षमता में परिवर्तित करने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है।

कुंजीभूत शब्द : वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान, UPI, बैंकिंग व्यवहार, वित्तीय जानकारी।

वित्तीय समावेशन का उद्देश्य समाज के उन वर्गों तक औपचारिक वित्तीय सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना है जो किसी कारणवश बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली से बाहर रहे हैं। वर्तमान समय में वित्तीय समावेशन की अवधारणा केवल बैंक खाते के स्वामित्व तक सीमित नहीं है। बैंक खाते का सक्रिय उपयोग, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन, डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता भी वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता निर्धारित करती है।विशेष रूप से महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है। यदि महिला को बैंकिंग सेवाओं, ब्याज, ऋण, बीमा, EMI, डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय सुरक्षा संबंधी जानकारी है, तो वह उपलब्ध वित्तीय सेवाओं का अधिक प्रभावी और सुरक्षित उपयोग कर सकती है।OECD/INFE वित्तीय साक्षरता को केवल वित्तीय ज्ञान तक सीमित नहीं मानता, बल्कि इसे जागरूकता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार के सम्मिलित रूप के रूप में देखता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए हैं तथा 2025 के Financial Literacy Week का विषय "Financial Literacy – Women's Prosperity" रखा गया था।

अध्ययन के उद्देश्य-

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. महिलाओं में बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं के ज्ञान का अध्ययन करना।
2. महिलाओं की बैंकिंग एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं संबंधी जानकारी का आकलन करना।
3. ATM, UPI तथा अन्य वित्तीय सेवाओं के स्वतंत्र उपयोग की स्थिति का अध्ययन करना।
4. महिलाओं में ऋण, EMI, बीमा एवं चक्रवृद्धि ब्याज संबंधी समझ का अध्ययन करना।
5. वित्तीय समावेशन के पश्चात महिलाओं के वित्तीय ज्ञान में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।
6. महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना-

1. वित्तीय समावेशन के बाद महिलाओं के वित्तीय ज्ञान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
2. वित्तीय समावेशन के बाद महिलाओं के वित्तीय ज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

अनुसंधान पद्धति- अध्ययन में प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के लिए 400 महिला उत्तरदाताओं का चयन किया गया। वित्तीय साक्षरता से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से उत्तरदाताओं की वित्तीय अवधारणाओं की समझ तथा

व्यवहारिक वित्तीय क्षमता का आकलन किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए आवृत्ति (Frequency), प्रतिशत (Percentage) तथा औसत का प्रयोग किया गया। अध्ययन में वित्तीय ज्ञान तथा व्यवहारिक वित्तीय क्षमता को अलग-अलग आयामों में देखने का प्रयास किया गया है।

महिलाओं में वित्तीय ज्ञान की स्थिति

तालिका- 1

क्र.	वित्तीय ज्ञान का क्षेत्र	सही उत्तर	प्रतिशत
1	धन को सुरक्षित रखना एवं आवश्यकता पर उपयोग करना	400	100.00
2	ATM का मुख्य उपयोग	392	98.00
3	UPI का मुख्य उपयोग	400	100.00
4	ऋण पर अतिरिक्त धन/ब्याज की अवधारणा	390	97.50
5	EMI की अवधारणा	392	98.00
6	OTP/ATM PIN की सुरक्षा	394	98.50
7	बीमा का मुख्य उद्देश्य	390	97.50
8	चक्रवृद्धि ब्याज	369	92.25
9	जमा धन पर प्राप्त राशि	400	100.00
10	डिजिटल धोखाधड़ी की स्थिति में उचित कार्रवाई	400	100.00

महिलाओं के वित्तीय ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के परिणाम (n=400)

विश्लेषण- तालिका से स्पष्ट है कि महिलाओं में बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं का ज्ञान सामान्यतः उच्च स्तर का है। धन को सुरक्षित रखने, UPI के उद्देश्य, बैंक जमा पर ब्याज तथा डिजिटल धोखाधड़ी की स्थिति में उचित कार्रवाई से संबंधित प्रश्नों में 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सही उत्तर दिया।OTP एवं ATM PIN की सुरक्षा के प्रश्न में 98.50 प्रतिशत महिलाओं ने सही उत्तर दिया। ATM के उपयोग तथा EMI की अवधारणा से संबंधित प्रश्नों में 98 प्रतिशत महिलाओं ने सही उत्तर दिया।बीमा के उद्देश्य तथा ब्याज संबंधी प्रश्नों में भी सही उत्तर देने वाली महिलाओं का अनुपात 97.50 प्रतिशत रहा।सबसे कम सही उत्तर चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न में प्राप्त हुआ, जहाँ 92.25 प्रतिशत महिलाओं ने सही उत्तर दिया। फिर भी यह अनुपात उच्च है। इससे पता चलता है कि सामान्य वित्तीय अवधारणाओं की तुलना में अपेक्षाकृत तकनीकी अवधारणाओं को समझने में कुछ अंतर बना हुआ है।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष- इन दस प्रश्नों में कुल 4,000 संभावित उत्तरों में से 3,927 सही उत्तर प्राप्त हुए। अतः औसत सही उत्तर दर - $3,927 \div 4,000 \times 100 = 98.18\%$ रही।

इससे अध्ययन में सम्मिलित महिलाओं के बुनियादी वित्तीय ज्ञान का स्तर बहुत उच्च दिखाई देता है।

वित्तीय कार्यों को स्वयं करने की क्षमता

तालिका-2

वित्तीय कार्य	स्वयं करती हैं	सहायता से	नहीं करतीं
बैंक में नकद जमा करना	367 (91.75%)	33 (8.25%)	0
ATM से धन निकालना	175 (43.75%)	59 (14.75%)	166 (41.50%)
UPI से भुगतान करना	178 (44.50%)	40 (10.00%)	182 (45.50%)
बैंक बैलेंस देखना	231 (57.75%)	77 (19.25%)	92 (23.00%)
बैंक से ऋण संबंधी जानकारी लेना	234 (58.50%)	86 (21.50%)	80 (20.00%)

महिलाओं की स्वतंत्र वित्तीय कार्य करने की क्षमताओं का आंकलन प्रस्तुत आंकड़ों के मध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है

विश्लेषण- तालिका 2 अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष उजागर करती है। यद्यपि महिलाओं का वित्तीय ज्ञान उच्च स्तर का पाया गया, लेकिन व्यवहारिक वित्तीय कार्यों में उनकी स्वतंत्रता समान रूप से उच्च नहीं है।बैंक में नकद जमा करने का कार्य 91.75 प्रतिशत महिलाएँ स्वयं कर सकती हैं। इसके विपरीत ATM से धन निकालने का कार्य केवल 43.75 प्रतिशत महिलाएँ स्वयं करती हैं, जबकि 41.50 प्रतिशत महिलाएँ ATM से धन निकालने का कार्य स्वयं नहीं करतीं।UPI के मामले में भी स्थिति उल्लेखनीय है। 44.50 प्रतिशत महिलाएँ स्वयं UPI से भुगतान करती हैं, जबकि 45.50 प्रतिशत महिलाएँ UPI से भुगतान स्वयं नहीं करतीं। 10 प्रतिशत महिलाएँ सहायता लेकर यह कार्य करती हैं।

बैंक बैलेंस देखने के मामले में 57.75 प्रतिशत महिलाएँ स्वयं सक्षम हैं। इसी प्रकार 58.50 प्रतिशत महिलाएँ बैंक से ऋण संबंधी जानकारी स्वयं प्राप्त कर सकती हैं।इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है—महिलाओं में वित्तीय ज्ञान और वित्तीय व्यवहारिक क्षमता के बीच अंतर मौजूद है।

बैंकिंग सेवाओं के संबंध में महिलाओं की जानकारी

तालिका-3

बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख वित्तीय सेवाओं की जानकारी में महिलाओं की स्थिति

जानकारी का स्तर	संख्या	प्रतिशत
पूर्ण रूप से	126	31.50
अधिकांश सेवाओं की	123	30.75
कुछ सेवाओं की	120	30.00
नहीं	31	7.75
कुल	400	100.00

विश्लेषण- 31.50 प्रतिशत महिलाओं ने बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख वित्तीय सेवाओं की जानकारी पूर्ण रूप से होने की बात कही। 30.75 प्रतिशत महिलाओं को अधिकांश सेवाओं की तथा 30 प्रतिशत महिलाओं को कुछ सेवाओं की जानकारी है।इस प्रकार 92.25 प्रतिशत महिलाओं को कम-से-कम कुछ बैंकिंग सेवाओं की जानकारी है। केवल 7.75 प्रतिशत महिलाओं ने किसी भी प्रमुख वित्तीय सेवा की जानकारी न होने की बात कही है।

वित्तीय समावेशन के बाद वित्तीय ज्ञान में परिवर्तन

तालिका-4

वित्तीय समावेशन के बाद महिलाओं के वित्तीय ज्ञान में परिवर्तन

परिवर्तन	संख्या	प्रतिशत
बहुत अधिक	74	18.50
अधिक	151	37.75
कुछ हद तक	157	39.25
नहीं	18	4.50
कुल	400	100.00

विश्लेषण- अध्ययन में 95.50 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि वित्तीय समावेशन के बाद उनके वित्तीय ज्ञान में किसी न किसी स्तर पर वृद्धि हुई है।इनमें 18.50 प्रतिशत महिलाओं ने बहुत अधिक वृद्धि, 37.75 प्रतिशत ने अधिक वृद्धि तथा 39.25 प्रतिशत महिलाओं ने कुछ हद तक वृद्धि होने की बात कही। केवल 4.50 प्रतिशत महिलाओं ने वित्तीय समावेशन के बाद अपने वित्तीय ज्ञान में कोई वृद्धि न होने की बात कही।RBI भी वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता में access, usage और quality को महत्वपूर्ण मानता है तथा वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक मानता है।

अध्ययन से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए जो इस प्रकार हैं :

1. महिलाओं में बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं का ज्ञान उच्च स्तर का है। दस चयनित ज्ञान प्रश्नों में औसत सही उत्तर दर 98.18 प्रतिशत रही।
2. वित्तीय ज्ञान और व्यवहारिक वित्तीय क्षमता में अंतर दिखाई देता है। महिलाएँ वित्तीय अवधारणाओं को पहचानती हैं, लेकिन कुछ वित्तीय कार्य स्वतंत्र रूप से करने में कठिनाई महसूस करती हैं।
3. बैंक में नकद जमा करने की स्वतंत्र क्षमता सबसे अधिक 91.75 प्रतिशत रही।
4. ATM के स्वतंत्र उपयोग की क्षमता केवल 43.75 प्रतिशत और UPI भुगतान की स्वतंत्र क्षमता 44.50 प्रतिशत रही। इससे डिजिटल एवं तकनीकी वित्तीय साक्षरता को मजबूत करने की आवश्यकता सामने आती है।
5. 92.25 प्रतिशत महिलाओं को बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली कम-से-कम कुछ प्रमुख वित्तीय सेवाओं की जानकारी है।
6. 95.50 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि वित्तीय समावेशन के बाद उनके वित्तीय ज्ञान में किसी न किसी स्तर पर वृद्धि हुई।
7. वित्तीय ज्ञान का उच्च स्तर अपने आप में वित्तीय स्वायत्तता की गारंटी नहीं देता। महिलाओं को ज्ञान के साथ व्यावहारिक कौशल, डिजिटल सुरक्षा और स्वतंत्र निर्णय क्षमता भी आवश्यक है।

सुझाव-

1. ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी महिलाओं के लिए व्यावहारिक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
2. केवल बैंक खाता खोलने पर जोर देने के स्थान पर महिलाओं को ATM, UPI, मोबाइल बैंकिंग एवं बैंकिंग ऐप्स का hands-on प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
3. OTP, PIN, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
4. महिलाओं को बैंक की विभिन्न सेवाओं—ऋण, बीमा, पेंशन, बचत तथा डिजिटल भुगतान—के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी जानी चाहिए।
5. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर बढ़ाया जा सकता है।
6. बैंक शाखाओं, Business Correspondents/Bank Sakhis तथा Financial Literacy Centres को महिलाओं के व्यवहारिक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
7. महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को केवल knowledge test से नहीं, बल्कि knowledge + behaviour + practical capability के आधार पर मापा जाना चाहिए।

निष्कर्ष- अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि जनपद झाँसी की अध्ययनाधीन महिलाओं में वित्तीय अवधारणाओं का बुनियादी ज्ञान अपेक्षाकृत उच्च है। अधिकांश महिलाएँ ब्याज, EMI, बीमा, UPI, ATM तथा डिजिटल सुरक्षा जैसी मूलभूत वित्तीय अवधारणाओं से परिचित हैं। दस चयनित वित्तीय ज्ञान प्रश्नों में 98.18 प्रतिशत की औसत सही उत्तर दर इस स्थिति की पुष्टि करती है।

हालाँकि, जब इसी ज्ञान को व्यवहारिक वित्तीय कार्यों में लागू करने की क्षमता का परीक्षण किया गया, तो स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई दी। विशेष रूप से ATM और UPI के स्वतंत्र उपयोग में महिलाओं की क्षमता सीमित पाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि वित्तीय समावेशन की अगली चुनौती केवल पहुँच बढ़ाना नहीं, बल्कि महिलाओं को वित्तीय रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है।

अतः महिलाओं के वित्तीय समावेशन को वास्तविक अर्थों में प्रभावी बनाने के लिए Access से Usage और Usage से Financial Capability की दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक है। वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और वित्तीय निर्णय क्षमता को एकीकृत करके ही महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में स्थायी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Reserve Bank of India. (2025). Annual Report 2024–25: Credit Delivery and Financial Inclusion. भारतीय रिज़र्व बैंक.
2. Reserve Bank of India. (2021). National Strategy for Financial Inclusion 2019–2024.
3. OECD. (2022). OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion. OECD Publishing.
4. OECD. (2024). OECD/INFE Survey Instrument to Measure Digital Financial Literacy. OECD Publishing.
5. OECD. (2023). OECD/INFE 2023 International Survey of Adult Financial Literacy. OECD Publishing.
6. Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana.
